सप्तदश माला, खंड 1, अंक 10 **शुक्रवार, 28 जून, 2019**
7 आषाढ़, 1941 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

इंदु बक्शी
संयुक्त निदेशक

सुनील कुमार
संपादक

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है, बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2019 / 1941 (शक)

अंक 10, शुक्रवार, 28 जून, 2019 / 7 आषाढ़, 1941 (शक)

विषय	**पृष्ठ संख्या**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न सं. 101 से 106	9-35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	36
तारांकित प्रश्न संख्या 107 से 120	
अतारांकित प्रश्न सं. 1112 से 1341	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

17वीं लोक सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम 37

सभा पटल पर रखे गए पत्र 38-41

सभा का कार्य 42-47

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प 48-139

तथा

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

विचार करने के लिए प्रस्ताव 48

श्री अमित शाह 48-55

114-135

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन 55-60

135-136

श्री मनीष तिवारी 61-67

श्रीमती पूनम महाजन 67-76

श्रीमती प्रतिमा मण्डल 77-78

श्री हसनैन मसूदी 79-83

डॉ. जितेन्द्र सिंह	84-96
श्री रघु राम कृष्ण राजू	96-97
श्री राहुल रमेश शेवाले	97-100
श्री कौशलेन्द्र कुमार	101
श्री भर्तृहरि महताब	101-104
कुंवर दानिश अली	105-106
श्री नामा नागेश्वर राव	106-107
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	107
श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.	107-109
श्री असादुद्दीन ओवैसी	109-110
श्रीमती मीनाक्षी लेखी	111-112
श्री जसबीर सिंह गिल	113-114

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

पारित करने के लिए प्रस्ताव 137

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

संकल्प अस्वीकृत हुआ 138

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

खंड 2 से 4 और 1 138

पारित करने के लिए प्रस्ताव 138

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण 139-173

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 139-155

श्री अधीर रंजन चौधरी 155-166

श्री जगदम्बिका पाल 166-173

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 28 जून, 2019 / 7 आषाढ़, 1941 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर†

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब प्रश्न काल, प्रश्न सं. 101, श्री अशोक महादेवराव नेते ।

(प्रश्न संख्या 101)

[हिन्दी]

श्री अशोक महादेवराव नेते: अध्यक्ष महोदय, भूकंप का नाम लेते ही मन भय से कांप उठता है। जब भूकंप आता है तो वहां कई पेड़-पौधे और मकान ध्वस्त हो जाते हैं। मानव के साथ-साथ जीव-जंतु भी घरों में दबकर मर जाते हैं तथा चारों ओर प्रलय का दृश्य दिखाई देता है। इस प्रकार का भूकंप होता है और अनेक प्रकार की कष्टदायक पीड़ा दे जाता है।

माननीय अध्यक्ष: भूकंप तो कष्टदायक होता ही है, आप क्वेश्चन पूछो न।

श्री अशोक महादेवराव नेते: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में हिमालय के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, गुजरात में और महाराष्ट्र के लातूर में भी इस प्रकार के भूकंप आ चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भूकंप के कारण होने वाले नुकसान को कम करने हेतु भूकंप रोधी इमारतें बनाए जाने के लिए जो दिशा-निर्देश, नियम आज तक निर्धारित किए गए हैं, उनका अनुपालन करने वाली और न करने वाली सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं व एजेंसियों का विवरण अलग-अलग क्या है? सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस संबंध में बनाए गए दिशा-निर्देशों और नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। क्या अभी इसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं?

† प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।

https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को देश के भूकंपों के बारे में उसकी निगरानी करने का मैनडेट प्राप्त है। साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत नेशनल सेन्टर फॉर सीस्मोलॉजी देश और देश के आसपास में भूकंप की गतिविधियों पर नजर रखती है। हमने उसको राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क में सभी प्रकार के संचालन तथा रख-रखाव करने का दायित्व भी दिया हुआ है। जहां तक केन्द्र की सभी उपयोगकर्ता एजेंसियां हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं और आपदा प्रबंधन के जो प्राधिकरण हैं, उनसे भूकंप आने के पांच मिनट के अंदर हम सभी सूचनाएं कलेक्ट करके और सभी मापदंडों के अनुसार उनको भेजते रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि भूकंप अवरोधी विभाग के द्वारा क्या-क्या हो रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा विभाग है, भारतीय मानक ब्यूरो, भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद तथा आवास शहरी विकास निगम (हुडको) आदि द्वारा भूकंप के कारण जान-माल की हिफ़ाजत करने के लिए तथा उसके नुकसान को कम करने के लिए भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा-निर्देश बराबर भेजते रहे हैं।

भूकम्प प्रभावी क्षेत्रों में भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा-निर्देश देने का काम विभाग करता रहा है। उसका उत्तरदायित्व प्रशासनिक अधिकारियों और वहां के जो कोरपोरेशन या जो भी इस प्रकार म्युनिसिपल बॉडीज हैं या ग्रामीण पदाधिकारी हैं, उन पर रहता है। हालांकि भूकम्प प्रतिरोधी भवनों के निर्माण से संबंधित नीतिगत मुद्दों के लिए हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय उत्तरदायी नहीं है, फिर भी, अपितु, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिल्ली और कोलकाता दोनों प्रमुख शहरों में भूकम्पीय माइक्रो जोनेशन हमने कर लिया है। साथ ही सिक्किम, गुवाहटी और बेंगलुरु जैसे शहरों में हमारे सीस्मिक माइक्रो जोनेशन के काम परियोजना मोड में पूरे हो चुके हैं और अभी चेन्नई, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर और मंगलौर का सीस्मिक माइक्रो जोनेशन शुरू किया गया है।

श्री अशोक महादेवराव नेते: महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि वर्ष 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकम्प के बाद एक सर्वे में देश की कई हजार ऐसी इमारतों की पहचान की गई, जो भूकम्प के झटके झेलने

के हिसाब से कमजोर और बेहद खतरनाक थीं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन इमारतों को भी भूकम्परोधी बनाए जाने हेतु क्या आज तक कोई सकारात्मक कदम उठाया गया है?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि हमारी अर्थ विज्ञान मिनिस्ट्री बनाती नहीं है, बल्कि यह निर्देश देती है। इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि हमने बीआईएस को, बीएमटीपीसी और हुडको को समय-समय पर इसके लिए दिशा-निर्देश किए हैं। विशेषकर जो भूकम्प वहां आया था, उसके बारे में जो नई इमारतें बननी हैं, उसके अनुसार वह वहां बन रहा है।

(प्रश्न संख्या 102)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने पॉवरटेक्स इंडिया स्कीम के तहत बुनाई और बुना हुआ कपड़ा क्षेत्र, जो मुख्य रूप से लघु उद्योग के क्षेत्र से बराबर है। मुख्य रूप से यह विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में आता है। यह रोजगार का मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुल कपड़ा उत्पादन में बुनाई और बुना हुआ कपड़ा कितना प्रतिशत होता है और बुनाई और बुने हुए कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदय, जो भी कपड़ा पहना जाता है, वह हैंडलूम अथवा पॉवरलूम के माध्यम से बुना जाता है। कुल कितना कपड़ा बुना जा रहा है, वह नंबर ऑफ प्रोडक्शन डे-टु-डे वेरी करता है। मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि सरकार ने गारमेंटिंग की दृष्टि से और गारमेंटिंग में हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, उसकी दृष्टि से विशेष 6 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश कपड़े बुनने में और सिलने में हिंदुस्तान में हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अति प्रसन्नता है कि कई राज्यों की सरकारों ने भी विशेष टेक्सटाइल पॉलिसी का निर्माण किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक भी आएं और साथ ही वहां रोजगार के साधन भी बढ़ें। उदाहरणत: झारखंड में बहुत ही पॉपुलर टेक्सटाइल पॉलिसी वर्तमान में चल रही है। प्रदेश की सरकार के साथ समन्वय के साथ-साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ समन्वय कर हम क्लस्टर-बाई-क्लस्टर काम करते हैं। जिस पॉवरटेक्स स्कीम का उल्लेख माननीय सांसद जी ने किया, उसके संदर्भ में भी पॉवरटेक्स स्कीम बनाने से पहले इंडस्ट्री और क्लस्टर के साथ विशेष, जो छोटी इकाई के एंटरप्रिन्योर्स हैं, एम.एस.एम.ई. हैं, जिनकी ओर माननीय सांसद ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, उनकी समस्याओं को लेकर उन्हें कैसे सब्सिडी प्रदान की जाए, मुद्रा लोन और स्टैंड अप इंडिया से जोड़ा जाए, इसका प्रावधान हमने टेक्सटाइल कमिश्नर के ऑफिस के माध्यम से किया है।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: अध्यक्ष महोदय, इस योजना में मौजूदा पॉवरलूम सर्विस सेंटर के आधुनिकीकरण और पॉवरटेक्स योजना के अंतर्गत यार्न बैंक सामान्य सुविधा केन्द्र और बीमा कवरेज योजना की परिकल्पना की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विशेष कर अभी तक महाराष्ट्र में कितने पॉवरलूम सेवा केन्द्रों और संस्थानों को आधुनिक बनाया गया है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि वर्तमान में यार्न बैंक स्कीम की चर्चा माननीय सांसद ने आपके माध्यम से सदन के सम्मुख प्रस्तुत की है। उसके संदर्भ में देश भर में 96 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं और कुल 26 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इन्होंने विशेष रूप से महाराष्ट्र की दृष्टि से प्रश्न रखा है। यार्न बैंक स्कीम के अंतर्गत इंडस्ट्री टैक्सटाइल कमिश्नर के पास बैंकों के माध्यम से एक एसपीपी बनाकर जाती है, तभी इस प्रकार की योजनाओं को हम उस क्षेत्र में निर्धारित रूप से बना सकते हैं। अगर वह विशेष जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में किस-किस इंडस्ट्री ने एमएसएमई के स्तर पर यार्न बैंक की कल्पना के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और कितने पास हुए हैं तो वह जानकारी मैं टैक्सटाइल कमिश्नर के ऑफिस से माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दूंगी।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे: अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली में मैं सवाल मराठी में पूछना चाहती थी, [अनुवाद] इस समय, चूँकि भाषांतरकार उपलब्ध नहीं है, मैं अपना अनुपूरक प्रश्न अंग्रेजी भाषा में पूछूंगी।

माननीय मंत्री ने हमें उत्तर दे दिया है। लेकिन आपके माध्यम से, मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या पावरटेक्स इंडिया के अंतर्गत महाराष्ट्र, विशेषकर महाराष्ट्र के सूखा संभावित क्षेत्र, मराठवाड़ा को शामिल करने की कोई गुंजाइश है? क्योंकि इस क्षेत्र में कपास जो कि एक नकदी फसल है, की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। क्या मराठवाड़ा क्षेत्र, विशेषकर मेरे बीड जिले को इस योजना के अंतर्गत शामिल करने की कोई गुंजाइश है? क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रखंडों में बहुत बड़े पैमाने पर कपास की खेती की जाती है। क्या बीड को पावरटेक्स इंडिया योजना के तहत शामिल करने की कोई गुंजाइश है?

[हिन्दी]

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: अध्यक्ष महोदय, आपल्या माहीत आहेत कि माला पण मराठी येते, पण त्यानी खूप छान निर्णय घेतला कि हिंदी मध्ये बोलाइची किंवा इंग्लिश मध्ये बोलाइची। [अनुवाद] मैं केवल आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बता सकती हूं कि बुने हुए कपड़े, परिधान, हथकरघा और हस्तशिल्प या पावरलूम के संबंध में, विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के संबंध में, यदि माननीय सदस्य मेरे कार्यालय से संपर्क करना चाहती हैं या मेरे अथवा मेरे सहकर्मियों से बात करना उचित समझती हैं, तो मुझे सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए वस्त्र मंत्रालय की ओर से सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने में अत्यंत खुशी होगी।

[हिन्दी]

श्री रवनीत सिंह: स्पीकर महोदय, लुधियाना टैक्साइल्स हब है। मैं मंत्री जी की इस बात के लिए तारीफ भी करूंगा क्योंकि जो वह स्कीम्स लेकर आई हैं, खासतौर पर यार्न खरीदने के लिए पांच करोड़ रुपये तक इट्रेस्ट फ्री उन्होंने किया है, चाहे कोई लेबरर ट्रेनिंग लेना चाहे तो मिनिस्ट्री की तरफ से दस हजार रुपये दिया जाता है।

स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, खासतौर से छह हजार करोड़ रुपये का कॉटन चीन को एक्सपोर्ट करते हैं। चीन अपनी टी-शर्ट और शर्ट बना कर किसी भी तरीके से बांग्लादेश भेज देता है। बांग्लादेश से सारा माल इंडिया में आता है क्योंकि हमारी उससे ट्रीटी है, न हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, न कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं। इससे इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट पर मार पड़ती है। उसके साथ ही जो बात जुड़ी हुई है, टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए हम मिनिस्ट्री की तरफ से फंड देते हैं, लेकिन आज 4500 केसेज पेन्डिंग पड़े हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जहां ग्रोज कंपनी की एक नीडल आती है, चाहे जापान, कोरिया, इटली, चीन और जर्मनी से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। अगर हम उस टैक्नोलॉजी को यहां नहीं ला सकते तो फिर इम्पोर्ट ड्यूटी 16 परसेंट क्यों लगाई हुई है? उसे कम करना चाहिए और यहां हमें अपग्रेडेशन करना चाहिए।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद श्री को बताना चाहती हूं निटवियर हब की दृष्टि से लुधियाना में एक विशेष प्रोजेक्ट ...(व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो उनके सामने नहीं आएं।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूं कि निटवेयर और टैक्सटाइल की दृष्टि से लुधियाना शहर के लिए विशेष 2 करोड़ के यार्न बैंक का प्रावधान किया गया और साथ ही टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में दो करोड़ रुपये का एक और प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है।

माननीय सांसद ने आपके माध्यम से एक विशेष कंपनी का उल्लेख किया है। टैक्सटाइल कमिश्नर ऑफिस में टेक्नोलाजी से संबंधित पैरामीटर्स सैट होते हैं जो इंडस्ट्री के साथ बाकी संबंधित मंत्रालयों के समन्वय से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी के आधार पर बाकी मशीनरी का काम सब्सिडी की दृष्टि से अलाऊ किया जाता है।

माननीय सदस्य ने बांग्लादेश का विषय रखा है। जहां तक बांग्लादेश के माध्यम से कपड़ा आने की बात है, यह विषय बार-बार आता है। जब भी इंडस्ट्री यह विषय मंत्रालय के सम्मुख उठाती है, हम उनसे बार-बार आग्रह करते हैं कि डब्ल्यूटीओ का प्रोटोकाल देखते हुए, डीजीएफटी के ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन एविडेंस के साथ प्रस्तुत करें ताकि टैक्सटाइल कमिश्नर ऑफिस से डाटा को वैलीडेट कर इस विषय पर कोई ठोस कदम उठा सकें।

मेरा आपके माध्यम से सांसद महोदय को यह बताने का प्रयास है कि अब तक जब भी डाटा वैलीडेट हुआ है, जैसे जूट की डम्पिंग होती थी, हमने उसे रोका है। यह इंडस्ट्री फंक्शन है, सरकार की भूमिका इसमें लिमिटेड है, इसलिए मैं आपके माध्यम से दोबारा उल्लेख करना चाहती हूं कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को पढ़ते हुए डीजीएफटी में इंडस्ट्री अपने विषय को प्रस्तुत करती है तो हम टैक्सटाइल कमिश्नर से डाटा वैलीडिटी का काम मंत्रालय के माध्यम से सुनिश्चित कराएंगे।

[अनुवाद]

श्री के. षणमुग सुंदरम: महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं हमारे पार्टी अध्यक्ष, श्री स्टालिन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, कोयम्बटूर और तिरूप्पुर में वस्त्र उद्योग से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

विभिन्न प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजनाओं के तहत कवर की गई लगभग 25,000 परियोजनाओं को अभी तक लगभग 10,000 करोड़ रुपये की टी.यू.एफ. सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है। अब, यह सरकार के पास लंबित है। यह वस्त्र उद्योग पर भारी वित्तीय दबाव का कारण बन रहा है और नए निवेश, निर्यात और रोजगार सृजन को बहुत प्रभावित कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए आवंटित कुल 17,822 करोड़ रुपये की निधि में से 3,000 करोड़ रुपये भी उपयोग नहीं किए गए हैं। माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री को आवश्यक समर्थन के लिए कहा जाए और यथाशीघ्र सब्सिडी जारी की जाए।

एक और मुद्दा है। ...(*व्यवधान*) सरकार वस्त्र और कपड़ो के उत्पादों के निर्यात के लिए करों की शुल्क वापसी और एम्बेडेड करों सहित राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट के माध्यम से वापस कर रही है। वर्तमान में, आर.ओ.एस.सी.टी.एल. का लाभ केवल परिधान और मेड-अप को दिया जा रहा है। यार्न और कपड़ों के लिए इस लाभ का विस्तार करना आवश्यक है ताकि कताई मिलों और पावर लूम को निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके, लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके और उन्हें घाटे में होने और बंद होने से रोका जा सके। हम लगभग 50 से 60 लाख गट्ठा कच्चे कपास का निर्यात करते हैं। इसे मूल्य वर्धित धागे और कपड़ों में परिवर्तित किया जा सकता है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार सब्सिडी कब जारी करेगी।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि सब्सिडी कोई अधिकार नहीं है। यह भारत सरकार द्वारा बैंकों और अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए दस्तावेजों के आधार पर दी गई एक सुविधा है जो उस विशेष कंपनी में यह देखने के लिए जाते हैं कि कंपनी ने जो प्रस्ताव दिया है उसे उस तकनीक के माध्यम से मान्य किया जा सकता है जिसके बारे में कंपनी दावा करती है। साथ ही कंपनी कितने लोगों को रोजगार देने का दावा करती है। यह देखते हुए, वस्त्र आयुक्त

कार्यालय के माध्यम से संयुक्त निरीक्षण समितियां यह देखने के लिए जाती हैं कि कंपनी द्वारा दिया गया आवेदन किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण तो नहीं है। यदि कंपनी त्रुटिपूर्ण जानकारी देते हुए पाई जाती है, तो उसका आवेदन तुरंत खारिज कर दिया जाता है। एक यू.आई.डी. जनरेट होता है। यह एक पारदर्शी और स्वचालित तंत्र है। वस्त्र मंत्रालय का एक अनुदेश है कि प्रत्येक संयुक्त निरीक्षण समिति जो किसी कंपनी द्वारा किए गए दावों का मान्य प्रमाण पाती है, पहले सात कार्य दिवसों के भीतर सब्सिडी जारी करेगी। लेकिन यदि कंपनी का दावा झूठा पाया जाता है, तो सब्सिडी जारी नहीं की जाती है ताकि बैंकों को एन.पी.ए. होने का अतिरिक्त दबाव न झेलना पड़े और कंपनियों को सरकार और करदाताओं के खजाने से अवैध रूप से लाभ न हो।

महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगी कि तिरुप्पुर को यार्न बैंक की एक परियोजना, सामान्य सुविधा केंद्र की दो परियोजनाओं तथा एक समूह कार्य शेड योजना प्राप्त हुई है। वास्तव में, ए.टी.यू.एफ.एस. के तहत, केवल तिरुप्पुर शहर को 178 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं। मेरे स्तर पर, मैं तिरुप्पुर और कोयम्बटूर समेत कई शहरों के उद्योग संघों और उद्योग प्रतिनिधियों से मिलती हूं फिर चाहे वे छोटे स्तर के हो या बड़े।

शुल्क वापसी और आर.ओ.एस.सी.टी.एल के संदर्भ में, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि वस्त्रों और मेड-अप पर आर.ओ.एस.सी.टी.एल इसलिए दिया गया था क्योंकि प्रत्येक करोड़ के निवेश पर उद्योगों द्वारा 70 नौकरियों का आश्वासन दिया गया था। यार्न में नौकरी पैदा करने की क्षमता कम है और कपड़े से जुड़े किसी अन्य खंड में, जहां रोजगार सृजन क्षमता अधिक हो सकती है और जिन्हें उद्योगों द्वारा मान्यता मिल सकती है, उन पर वर्तमान में वाणिज्य विभाग द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

(प्रश्न संख्या 103)

[हिन्दी]

श्री लल्लू सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि जबसे माननीय मोदी जी की सरकार देश में बनी है, तबसे चहुँमुखी विकास की योजनाएं चल रही हैं। नई प्रोद्यौगिक योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों कदम युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए हैं। परन्तु आज भी देश में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। हमारा सवाल है कि सरकार विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आज छात्रों की भागीदारी का प्रतिशत कितना है तथा छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना चल रही है, ताकि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ सके?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं उनको बताना चाहूंगा और पूरे देश के छात्रों और युवाओं को अपने लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का वह संदेश भी पुन: आपके माध्यम से देना चाहूंगा। महोदय, आप जानते हैं कि सरकार ने युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तथा उनकी सहायता करने के लिए बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं। विशेषकर, प्रथमत: विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्रालय में युवा वैज्ञानिकों की दो तरीके से हम सहायता करते हैं। इसमें महिलाएं भी हैं और छात्रों में युवती और युवा दोनों हैं। महोदय, डॉक्टोरल एवं पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधानकर्ताओं दोनों के लिए अनुसंधान फैलोशिप भारतीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योग में शिक्षण करने एवं अनुसंधान करियर अपनाने के लिए हम उन्हें दो से पाँच वर्ष तक प्रशिक्षित करते हैं।

दूसरा, अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से आरंभिक करियर अनुसंधान सहायता कार्यरत युवा संकायों एवं वैज्ञानिकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में प्रासंगिक अनुसंधान करने के लिए हमारी सहायता की जा रही है।

महोदय, हिन्दुस्तान में पहली बार हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदशन में 30 हजार नए युवकों को जो हम हर साल वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करते हैं, अनुसंधान करते हैं। वे अच्छे शिक्षक बनें, अच्छे वैज्ञानिक बनें और देश के भविष्य को आगे ले चलने में वे पूरी मेहनत के साथ सफल हों, इसका

प्रयास हमारी सरकार बराबर कर रही है। जो ब्रेन ड्रेन है उसको ब्रेन गेन करने का भी काम हम कर रहे हैं। जो विदेशों में गए हैं, उनके लिए भी हमने योजनाएं बनायी हैं।

श्री लल्लू सिंह: अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल है कि क्या यह सत्य है कि भारतीय अंतरीक्ष अनुसंधान संगठन इस वर्ष से स्कूल के बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम चलाने वाला है? यदि हां तो उसके क्या परिणाम रह रहे हैं? पूरे देश से उसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कितने बच्चों को शामिल किया गया है?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, हालांकि माननीय सांसद ने जो प्रश्न किया है, वह थोड़ा इतर है। युवा वैज्ञानिक तो ठीक है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है विद्यालयों में लगातार इस मंत्रालय के द्वारा तीन जगहों पर देश में, चेन्नई, दिल्ली और लखनऊ में, ऐसे बच्चों को जो सभी सांसदों के आदर्श ग्राम के बच्चे थे, वहां उनको बुलाया गया था। हालांकि यह प्रश्न से बाहर है। हजारों बच्चों ने इसमें भाग लिया है और उनका बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है। एक अच्छे वैज्ञानिक बनने का उनका सपना आगे भविष्य में साकार होगा ऐसा मुझे लगता है।

[अनुवाद]

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे: माननीय अध्यक्ष, महोदय, हमारे देश में एक अलग एस एंड टी अनुसंधान और शिक्षण प्रणाली बनाई गई है। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे सर्वाधिक नवोन्मेषी देश में अनुसंधान और शिक्षण कार्य एक साथ किया जाता है। कुछ हद तक, आई.आई.टी. जैसे हमारे अग्रणी संस्थान भी इसी दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे हैं। हालांकि, हमारे एस एंड टी अनुसंधान संस्थान शिक्षण क्षमता निर्माण के मामले में धीमे रहे हैं। इस तरह के क्षमता निर्माण से युवा वैज्ञानिकों को अत्यधिक लाभ मिल सकता है।

अत:, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार एन.सी.एल., डी.आर.डी.ओ., बी.ए.आर.सी. और इसरो जैसे हमारे अग्रणी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों को कम से कम स्नातकोत्तर अनुसंधान और शिक्षण संस्थान में बदलने और भविष्य में पूर्ण अनुसंधान विश्वविद्यालयों के तौर पर विकसित करने के लिए कार्यसूची में बदलाव करने की योजना बना रही है?

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, माननीय सांसद जी ने जो कहा है तो निश्चित रूप से हमारे जो युवा वैज्ञानिक हैं, वे अच्छी-अच्छी जगहों पर जाएं, पहले तो वे छात्र के रूप में रहते हैं और हम फैलोशिप देकर उनको बढ़ाते हैं। जहां तक "इंस्पायर' की बात है, जो हमारी सर्वाधिक लोकप्रिय और अति सम्मानित राष्ट्रीय योजना हमारी सरकार ने बनायी है, दूसरा, एन.पी.जी.एफ. के द्वारा राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप और तीसरा जो आरंभिक करियर अनुसंधान पुरस्कार तथा चौथा सी.एस.आई.आर., यू.जी.सी. अनुसंधान फैलोशिप है, इनके माध्यम से हम 31 हजार से लेकर 1 लाख 35 हजार रुपये तक उनको छात्रवृत्ति देते हैं और देश भर में इस प्रकार की 30 हजार छात्रवृत्तियां हम दे रहे है। भविष्य में हमारी सरकार की जो स्टार्टअप इंडिया योजना की बात प्रधान मंत्री जी ने की है, उसे हम और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और एच.आर.डी. मिनिस्ट्री के द्वारा पिछले लगभग पांच सालों के अन्दर माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितना अच्छा काम इस देश में हुआ है, बहुत स्तुति है इतना अच्छा काम पिछले बहुत सालों में नहीं हुआ है।

मेरा एक सवाल यह है कि दुनिया में ग्लोबल सर्वे यह कहता है कि करीब 82 परसेंट जो दुनिया की डिस्कवरीज़ हैं, वह यंग साइंटिस्टों ने की हैं। हमारे यहां अभी भी यूनिवर्सिटिज़ के अंदर, रिसर्च इंस्टिट्यूट्स के अंदर ज्यादातर जो रिसर्च फंड हैं, वह सीनियर प्रोफेसर और सीनियर साइंटिस्ट लेकर जाते हैं। क्या भारत सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है, विचार कर रही है कि कम-से-कम 50 परसेंट जो रिसर्च फंड है वह यंग साइंटिस्टों के लिए रिजर्व किया जाएगा? यह मेरा सवाल है।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, माननीय सांसद मंत्री भी रहे हैं और बड़े विद्वान हैं। उन्होंने ठीक ही कहा है कि 50 परसेंट जो नयी पीढ़ी के युवा वैज्ञानिक हैं उनको कैसे फंड दिया जाए। जहां तक मेरी जानकारी है युवा वैज्ञानिकों के लिए, इन सभी स्कीमों जिनके बारे में हमने पहले कहा, इसके अतिरिक्त 40 वर्ष से कम

आयु वाले ऐसे 37 प्रतिशत युवा वैज्ञानिक और जो 45 वर्ष से कम आयु के 65 प्रतिशत हैं, ऐसे वैज्ञानिकों को एस.ई.आर.बी. की मुख्यधारा वाली अनुसंधान सहायता स्कीमों के जरिए निधि प्राप्त कराते रहें और इसके लिए हम उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि भविष्य में अपने उज्ज्वल भविष्य को आगे बढ़ाते रहें।

(प्रश्न संख्या 104)

श्री मनोज तिवारी: माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने भारत के गरीबों के लिए “आयुष्मान योजना' नाम का एक ऐसा उपहार दिया, जो ऐसी खुशहाली लाया है कि भारत के गरीब जन्म जन्मान्तर तक नरेन्द्र मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाये रखना चाहते हैं। दिल्ली ने भी सात की सात सीटें देकर प्रधान मंत्री जी के प्रति एक गजब का विश्वास दिया है, लेकिन दिल्ली में ‘आयुष्मान योजना' को दिल्ली सरकार ने रोक दिया है।

तो इसका प्रतिफल यह हुआ है कि दिल्ली हैल्थ इंडेक्स में पांचवें स्थान पर पिछड़ गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जहां पर मोहल्ला क्लीनिक भी, अब इलाज की जगह भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया है, क्या दिल्लीवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए केन्द्र सरकार कोई कदम उठा रही है? क्या आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि ऐसी गरीब विरोधी सरकारों को झटका लगे और गरीबों को इसका लाभ मिले?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न किया है, वह प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं। सचमुच में उनके नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है। महोदय, जहां तक आयुष्मान भारत की योजना जो आप जानते हैं कि देश में और दुनिया में यह अनूठी योजना प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 23 सितम्बर को पिछली बार लागू की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जंयती की पूर्व संध्या पर।

महोदय, आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि लगभग 11 करोड़ परिवार हैं, जिनमें 50 करोड़ या 52 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो इसके अंदर आते हैं, उनको हम लाभ दे रहे हैं। आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि दिल्ली और देश दुनिया के लोगों ने जो यह अनूठी योजना अपनाई है, गरीबों ने अभी हाल के चुनावों में इसकी सराहना की है। महोदय, जिनको कभी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती थी, उन माँ बहनों के लिए, उन गरीबों के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पॉकिट में पैसा न हो और उसके बावजूद भी वह दिल्ली में आकर इलाज करवाएं। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली प्रदेश की जो सरकार है, वह

हमारी आयुष्मान भारत योजना से नहीं जुड़ी है। अभी 33 ऐसे आयुष्मान भारत से हमारे राज्य जुड़े हैं और राज्यों को भी अभी हाल में दूसरी सरकार बनने के बाद भी हमारे मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को हमारी सरकार की ओर से पत्र भी लिखा है, आग्रह भी किया है। जहां तक दिल्ली प्रदेश की बात है तो दिल्ली प्रदेश में 17 हॉस्पिटल जो बड़े-बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, 12 प्राइवेट हैं और 5 सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनको हमने एम्पैनल किया है। एम्पैनल करने के माध्यम से दिल्ली में दूर के गांव का, चाहे वह अहमदाबाद का गरीब हो, गांव का रहने वाला हो या बिहार का हो, गांव का गरीब बच्चा बिना पैसे लिए हुए आता है और यहां दिल्ली के बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करवाता है,

महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि दिल्ली जैसे प्रदेश में, दिल्ली दिल वालों की है, पूरे देश की है। महोदय, दिल्ली में जो यहां झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला गरीब है, जो यहां के लोग हैं, देश के कोने-कोने से यहां आकर बसते हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहां के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। दिल्ली के मूलवासी यहां इलाज करवाने से वंचित हैं। यह राज्य सरकार को सोचना होगा। दिल्ली सरकार को गंभीरता से इस पर निर्णय करना होगा। हम आमंत्रित करते हैं कि दिल्ली प्रदेश भी जल्द से जल्द इसमें शामिल हो।

श्री मनोज तिवारी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, जो जवाब दिया मंत्री जी ने, उन्होंने हमारी दिल्ली का दर्द समझा है, लेकिन ये जो अस्पताल बता रहे हैं, वे तो केन्द्र सरकार के अस्पताल हैं, जो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नहीं हैं। तो दूसरा पूरक प्रश्न मेरा यह है कि जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो अस्पताल पैनलबद्ध किए गए हैं, वे बहुत ही दोयम दर्जे के और ऐसे अस्पताल हैं, जहां इलाज तो क्या, बड़ा खतरा हो जाता है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी यही स्थिति न हो जाए, इसलिए मेरा सवाल है कि क्या आयुष्मान भारत योजना के जो पैनलबद्ध अस्पताल हैं, उनमें भी कोई कागज पत्र लिया जाए, कोई नकदी रहित सुविधा प्रदान की जाए? यदि ऐसा हो रहा है तो उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और ए.बी.वाई. कार्यक्रम के दौरान सरकार के समक्ष सारी रुकावटों, खामियों का ब्यौरा क्या है, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने आज आयुष्मान भारत के लिए कहा है आप जानते हैं, आयुष्मान भारत के दो कंपोनेंट हैं। एक प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा जो आयुष्मान भारत के अंदर हमने पूरे देश में 2022 तक डेढ़ लाख सबसेन्टर एडीशनल प्राइमरी हैल्थ सेन्टर इसको हमने वैलनेस सेन्टर में बदलने का निश्चय किया है, इसमें जो बीमार हैं, उनको स्वस्थ बनाने का निश्चय किया है।

महोदय, जहां तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों की बात माननीय सदस्य ने कही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे अच्छे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल वहां चल रहे हैं, वहां लोगों का इलाज हो रहा है। माननीय सदस्य को हम इस बारे में आंकड़े और जानकारी अलग से भेज देंगे कि कहां कितने लोगों का इलाज हुआ है। यह जानकारी हम बाद में उनको व्यक्तिगत रूप से भेज देंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मैं बिहार से आता हूं। ...(व्यवधान) लॉटरी में आया है।...(व्यवधान) बिहार का हर संसद सदस्य डॉक्टर है, कम्पाउण्डर है या नर्स है, क्योंकि कोई भी ऐसा संसद सदस्य नहीं है, जिसके घर के पीछे एक डिस्पेंसरी न चल रही हो, जहां सैकड़ों की संख्या में मरीज न आ रहे हों और हम सब डॉक्टर हैं। आज आप दिल्ली के किसी संसद सदस्य से पूछ लीजिए, वह एम्स के दस डॉक्टर्स के नाम और मोबाइल नम्बर बता देंगे, आरएमएल हॉस्पिटल और मेडिसिटी का बता देंगे, क्योंकि आजकल बिहार में हम जिस सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, वह यही है।

अध्यक्ष जी, आप देख सकते हैं कि मैं एक कागज लेकर आया हूं, यह प्रधान मंत्री जी के राहत कोष का है और 23 मई तक, मुझे लगता है कि अभी तक लगभग सवा दो करोड़ रुपये, पिछले पांच साल में मैंने सीधे प्रधान मंत्री जी से लिया है। शायद इसी पीड़ा को समझकर उन्होंने यह बड़ी योजना, जो दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी योजना है, शुरू की है। हम पार्लियामेंट में यह कार्ड लगाकर आए हैं, यह हम सब लोगों को लगाना चाहिए, यह मेरी पहचान है। ...(व्यवधान) मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। ...(व्यवधान) भारत में ऐसा कार्ड ...(व्यवधान) आपने मुझे टोक दिया, ...(व्यवधान) इसी कार्ड के कारण आप वहां बैठे हैं और हम 303 की संख्या में पहुंचे हैं। ...(व्यवधान) आपको पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। ...(व्यवधान) अगर आपने

अपने राज्य में यह कार्ड लागू कर दिया होता तो आपकी सीटें भरी हुई दिखतीं। इसलिए ऐसा मत बोलिए।...(व्यवधान)

सर, हम लोगों को सीजीएचएस कार्ड मिलता है। ...(व्यवधान) पहले देश के प्रधान मंत्री रहे।...(व्यवधान) यह कार्ड सदन की सम्पत्ति है, यह प्रधान मंत्री जी का कार्ड है। ...(व्यवधान) मैं उस दिन के इंतजार में हूं। मुझे जब टोकेंगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। ...(व्यवधान) महोदय, यह सीजीएचएस का कार्ड पहले हम लोगों को मिला करता था और हम लोग अपने आपको ...(व्यवधान)... मुझे मत टोकिए, अन्यथा जवाब यही मिलेगा। ...(व्यवधान) महोदय, हम सभी संसद सदस्यों को सीजीएचएस कार्ड मिलता था। आज देश के प्रधान मंत्री जी ने 50 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड देने की बात की है। ...(व्यवधान) जिस दिन हमारा यह लक्ष्य पूरा होगा, ...(व्यवधान) गोल्डन कार्ड का लक्ष्य पूरा होगा।...(व्यवधान) जिस दिन भारत का हर गरीब यह गोल्डन कार्ड अपनी गर्दन में लगाकर घूमेगा, उस दिन देश के प्रधान मंत्री को इस कुर्सी से हटाने की ताकत किसी में नहीं होगी। ...(व्यवधान) यह कार्ड ही ताकत है और ऐसी सैकड़ों योजनाएं ताकत हैं, जिन्होंने हमें 303 और 353 की संख्या में यहां बैठाया है। ...(व्यवधान) यह एक सच्चाई है।

महोदय, मेरा सवाल यह है कि कब तक देश की सरकार 50 करोड़ गरीबों के पास यह कार्ड पहुंचा देगी? इसके लिए लक्ष्य क्या है और प्रस्ताव क्या है? ...(व्यवधान) मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यह गोल्डन कार्ड कब तक 50 करोड़ गरीबों के पास पहुंच जाएगा? इसका लक्ष्य क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे बिहार के युवा साथी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी तक देश में तीन करोड़ से ज्यादा परिवारों तक प्रधान मंत्री जी का यह ई-कार्ड पहुंचाया जा चुका है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतने कम समय में प्रधान मंत्री जी के पत्र लगभग करोड़ों के घर तक जा चुके हैं। मैंने तीन करोड़ परिवारों की बात की है, लाभक नहीं। दस करोड़ परिवारों में से तीन करोड़ परिवारों तक यह कार्ड पहुंच चुका है और दस करोड़ परिवारों को प्रधान मंत्री जी ने प्रत्यक्ष चिट्ठी भी लिखी है कि अगर वे इस बीच में किसी कारण बीमार हो जाते हैं, तो वे हमारे एम्पैनल्ड अस्पताल में जाएंगे और वहां पर जाएंगे तो उनका तुरंत इलाज शुरू हो

जाएगा। जो ई-कार्ड है, जब उनको वहां दोबारा जाना होगा, तब वहां बन जाएगा। सरकार इसके लिए जल्द ही प्रयास कर रही है कि इस दिशा में आगे बढ़ें।

श्री दुष्यंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान में पूर्व सरकार ने भामाशाह कार्ड का काम किया था, जिसमें सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला था, लेकिन वर्तमान सरकार ने आयुष्मान भारत को अब तक किया नहीं है।

आज मूल प्रश्न एम्पैनलमेंट का है। इसमें हमारे पूरे राजस्थान के क्षेत्र में तीन लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक में राहत मिले। राजस्थान के पूरे क्षेत्र के सभी परिवारों को इसका लाभ मिले। क्या वर्तमान की सरकार उनको इतना निर्देश देगी कि जल्द से हमारे सभी अस्पताल, जिसमें अड़ौती का क्षेत्र हो, जोधपुर का क्षेत्र हो या ऊपर के क्षेत्र हो, राजस्थान के पूरे क्षेत्र में यह इम्पैनलमेंट हो। हमारे सभी लोगों को स्वास्थ्य की सेवा मिले, जैसा आपने 'आयुष्मान मित्र' के बारे में कहा है, इसके संबंध में कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक हमारे राजस्थान में इसको नहीं लागू किया गया है। आप इसे पूरे राजस्थान में कब लागू करेंगे?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, इनकी पीड़ा से मैं भी पीड़ित हूं और हमारी सरकार भी पीड़ित है। मैं राजस्थान सरकार को भी बधाई देता हूं कि जिन 33 राज्यों ने एमओयू किया, उसमें से राजस्थान सरकार भी है और साथ ही पंजाब सरकार भी है। अभी हाल में उन्होंने जो खबर की है कि जुलाई महीने में हम इस कार्य योजना को प्रारंभ कर देंगे। यह उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम जुलाई महीने में इस योजना को प्रारंभ करेंगे। ऐसा उन्होंने मंत्रालय को सूचित किया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी आप माननीय मंत्री नहीं बने हैं। जवाब दे दिया गया है, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 105)

[अनुवाद]

एडवोकेट अदूर प्रकाश: महोदय, देश में वायरल जनित रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के प्रकोप ने बिहार के मुजफ्फरपुर में लगभग 150 लोगों की जान ले ली और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 16 मौतें हुईं। केरल में निपाह वायरस के बारंबार प्रकोप से राज्य में भय का माहौल है लेकिन राज्य में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मदद से इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और वायरल जनित रोगों की रोकथाम के लिए राज्यों की सहायता हेतु केन्द्र प्रायोजित विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए और अधिक प्रभावी उपाय करने पर विचार करेगा।

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, यों तो इन्होंने निश्चित सवाल किया है, लेकिन मुख्य रूप से सवाल एच-1 और एन-1 वायरस के बारे में किया गया था। यह ठीक है कि इन्होंने अन्य वायरस के बारे में भी सवाल पूछा है। हम इन्हें बताना चाहेंगे कि एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम, एईएस हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह बहुत दु:खद है। हमारे कुछ बच्चे उससे मृत्यु का शिकार हुए हैं।...(व्यवधान) यह प्रश्न में नहीं है। ये दोनों प्रश्न के बाहर से हैं। मैं उसके बारे में बता रहा हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी: कितने बच्चों की मौत हुई है?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अधीर जी, कृपया आप बैठ जाइए। आप बिल्कुल अधीर न हों।

श्री अधीर रंजन चौधरी: बच्चे मरते हैं तो हम अधीर होते हैं।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 में एन्फ्लूएंजा, एच-1, एन-1 बहुत फैला। उस समय स्वाइन फ्लू के 26,140 मामले सामने आए थे। विशेषकर यही प्रश्न है। उसमें 1076 मौतें हुई थी। वर्ष 2019 में मौसमी एन्फ्लूएंजा, जिसको एन-1, एन-1, स्वाइन फ्लू कहते हैं, इस मामले में हम लोगों ने सभी राज्यों

को एलर्ट किया और इसमें हमारी काफी उपलब्धि रही है। केरल में जो बीमारी फैली थी, उस पर पूरी टीम भेज कर हम ने 15 दिनों में नियंत्रण किया था।

मुजफ्फरपुर में भी हमारी केंद्र सरकार की तीन उच्च स्तरीय टीमें गई हैं। हमारे मंत्री हर्ष वर्धन जी ने चार घंटे तक 100 मरीजों को एक-एक करके देखा। उस समय हम उनके साथ थे। बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा हर प्रकार से बच्चों की जान बचाने के लिए व्यापक पैमाने पर अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही हमारी जो दवाइयां हैं, वे भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी आपकी पार्टी के सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे : दिल्ली के एम्स अस्पताल के 10 बड़े डाक्टर्स वहां इलाज कर रहे हैं और बिहार के भी बड़े-बड़े डॉक्टर वहां लगे हुए हैं। कुछ हद तक इस बीमारी में कमी आई है। हम भविष्य में इसके लिए दीर्घकालीन योजना भी बना रहे हैं। हमारी वहां लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज़ भी चल रही हैं। हम कैसे दीर्घकालीन योजना बनाकर इस बीमारी पर नियंत्रण कर सकते हैं, इसके लिए वायरोलॉजीकल लैब में उसके सिरम को भी जांच के लिए भेजा गया है। हम इस विषय पर पूरी तरह से काम करेंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बने।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि उन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा या नहीं?

श्री अश्विनी कुमार चौबे : उन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पूरी तरह से मिल रहा है। आप केवल अंदाज़ा लगाकर प्रश्न मत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन गरीबों को देने के लिए हम निश्चित रूप से वचनबद्ध हैं और दे भी रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं हैं।

[अनुवाद]

एडवोकेट अदूर प्रकाश: केरल राज्य वायरल जनित रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील है।

मैं केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, राज्य की जरूरतों को अच्छी तरह से जानता हूं। राज्य में सर्वसुविधायुक्त वायरोलॉजी संस्थान स्थापित करना आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का प्रस्ताव राज्यों में उन्नत वायरोलॉजी संस्थान स्थापित करने के लिए और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का है।

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, इस प्रकार की कोई योजना फिलहाल नहीं है, लेकिन हम इस बारे में चिंतित हैं और वहां बराबर हम साइंटिस्ट्स को भेज रहे हैं। वायरोलॉजीकल लैबोरेट्री पूना से भी वहां जाते रहे हैं और उस राज्य में भी एक छोटी लैब है। भविष्य में इस बारे में यदि और कुछ किया जाएगा, तो माननीय सदस्य को बताएंगे।

(प्रश्न संख्या 106)

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी नवीनतम शहरी वायु गुणवत्ता डाटा इस बात की पुन: पुष्टि करता है कि भारत के अधिकांश शहर वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण खतरनाक बनते जा रहे हैं। भारत उन देशों के समूह में शामिल है जहां पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.) का स्तर सबसे अधिक है। इसके अलावा, अन्य शहरों की तुलना में, भारत के शहरों में पी.एम.10 और पी.एम.2.5 का स्तर उच्चतम है, जो विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर स्वास्थ्य का खतरा उत्पन्न करता है।

वायु प्रदूषण से निपटना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र के भविष्य को किसी भी दूसरी आपदा के प्रभाव से अधिक खतरे में डालता है।

मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को विभिन्न शहरों में पार्टिकुलेट मैटर के खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर पहुंचने और भारत में प्रत्येक सात में से एक मौत वायु प्रदूषण के कारण होने संबंधी रिपोर्ट की जानकारी है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार इस बात से अवगत है और उसने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है क्योंकि वायु प्रदूषण से विशेष रूप से फेफड़ों संबंधी और अन्य बिमारियां उत्पन्न होती है।

मैं वर्ल्ड रिपोर्ट पर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इसकी बारीकियों के बारे में पढ़ना जरूरी है।

यह बहुत अच्छी बात है कि हमने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पांच बुनियादी निर्णय लिए हैं। पहला यह कि वाहन प्रदूषण को तत्काल प्रभाव से नियंत्रित किया जाना चाहिए।

हमने पहले ही बीएस-6 मानक को समय से पहले लागू कर दिया है। इस बीच में हमने बीएस-5 मानक को छोड़ ही दिया है। अब हम इस साल से दिल्ली में और अगले साल से पूरे देश में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराएंगे। बीएस-6 मानक वाले वाहन भी अगले साल आने वाले हैं। इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 90 प्रतिशत की कमी आएगी। हम दिल्ली में बैठे हैं। 20 वर्षों तक, परिधीय राजमार्गों का निर्माण

नहीं किया गया था। लेकिन अब पिछले चार साल में इनका निर्माण किया गया है और आखिरी बैच इसी वर्ष पूरा कर दिया जाएगा। अत:, 60,000 वाहन जो केवल दिल्ली के रास्ते गुज़रते थे, अब दिल्ली नहीं आ रहे हैं जिससे प्रदूषण कम हो गया है।

हमने बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया है। [हिन्दी] हमें समझना चाहिए। पहले कल्पना यह थी कि थर्मल पावर स्टेशन शहर के बीचों-बीच होनी चाहिए। लेकिन अब यह नई सोच है कि वहाँ प्रदूषकारी भी कुछ नहीं होना चाहिए। बदरपुर थर्मल प्लांट हमने बंद कर दिया। हमने तीन साल में तीन वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स शुरू किये। स्टबल बर्निंग का जो इश्यू है, वह एक महत्त्वपूर्ण इश्यू है, यह हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में होता है। उसका धुआँ दिल्ली में आता है। उसके लिए भी पाँच राज्यों की एक को-ऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। उसका परिणाम यह हुआ है, अभी नेक्स्ट मंथ में सत्र समाप्त होते ही, मैं इसकी बैठक बुला रहा हूँ। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों को इकट्ठा बुलाकर, हमने जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लांग टर्म प्रोग्राम बनाए हैं, उनको रिव्यू करके, चूंकि यह ज्यादा नवम्बर में होता है, तो उसके लिए तैयारी अभी से ही करेंगे।

एक काम यह किया गया है कि सभी इंडस्ट्रीज, जो प्रदूषणकारी हैं, के लिए ऑन-लाइन मॉनिटर्स बिठाए हैं। यदि आप मेरे कार्यालय में आएंगे, तो आपको हर इंडस्ट्री से कितना प्रदूषण हो रहा है, कितना एमिशन हो रहा है, प्रत्येक इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग रिपोर्ट हर 15 मिनट पर आती है। देश भर की साढ़े तीन हजार कम्पनियों को मॉनिटर करने के लिए ऐसी मशीन लगाई गई है।

इसके साथ-साथ, जितने भी ब्रिककिल्न्स थे, सभी को ज़िग-ज़ैग तकनीक में बदल दिया गया है। इस प्रकार से, ईट-भट्टों से जो प्रदूषण होता था, वह भी खत्म हुआ है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, ज़िग-ज़ैग?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे ईट-भट्टों का प्रदूषण खत्म होता है। समझने के लिए यह भी काफी है।

[अनुवाद] सुरेश जी, आपने जो पूछा है वह पीएम10 है, और यह बढ़ गया है और यही असली चिंता है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बता दूं कि पिछले तीन वर्षों में दिल्ली शहर में- हर शहर में पीएम 10 या पीएम 2.5 का स्तर अलग-अलग रहा है। [हिन्दी] पीएम-10 लेवल में 16 पर्सेंट कमी आई है। दिल्ली में पीएम-2.5, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, उनमें 15 पर्सेंट की कमी आई है और गुड, मॉडरेट एंड सैटिस्फैक्ट्री यानी जिसमें हवा की तबीयत ठीक रहती है, ऐसे दिन वर्ष 2016 में 106 थे, 2017 ये 152 दिन हुए और अब ये 159 दिन हुए हैं। [अनुवाद] अत: अच्छे दिनों की संख्या बढ़ रही है। यह पर्यावरण के लिए अच्छी खबर है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट से अवगत है जिसमें कहा गया है कि पार्टिकुलेट मैटर के संपर्क में आने से हृदय और श्वसन रोगों के साथ-साथ फेफड़ों के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है? यदि हां, तो देश में वायु प्रदूषण को कम करने और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले बढ़ते कारकों को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा दीजिए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: वास्तव में, मैंने बताया है और मैंने उत्तर में सरकार द्वारा किए गए सभी उपायों का उल्लेख किया गया है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बताऊं, दुनिया में यह प्रॉब्लम है। यह एक वैश्विक समस्या है, न कि भारत या दिल्ली की। [हिन्दी] अमेरिका, यूरोप आदि देशों में जाइए, तो लोग प्रदूषण की चर्चा करते हैं। वहाँ ओज़ोन का प्रदूषण है, कहीं 'नॉक्स' पॉलूशन है, कहीं सॉक्स पॉलूशन है।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: आप भारत में इससे कैसे निपटेंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: आइए समझते हैं कि यह एक वैश्विक स्थिति है। दुनिया इसके खिलाफ लड़ रही है। हम वैश्विक समाधान के लिए कार्यरत है। इसलिए, हमने उपाय किए हैं, और इनका परिणाम यह है कि पीएम 2.5, जो वास्तव में फेफड़ों से जुड़ी समस्या का कारण बनता है, तीन वर्षों में 15 प्रतिशत कम हो गया है। अगर हम इस गति को जारी रखते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसे और कम कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली में भी यह समस्या वर्ष 2007 से बढ़ी है लेकिन उपाय वर्ष 2014 से शुरू हुए।

श्री फिरोज़ वरुण गांधी: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी वायु प्रदूषकों में निर्माण कार्यों के कारण पैदा हुई धूल का हिस्सा लगभग 45 प्रतिशत है। आपके माध्यम से मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि क्या सरकार की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के दायरे का विस्तार करने की योजना है ताकि इसके लिए पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ निर्माण प्रक्रियाओं का अनुपालन शामिल किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा सुझाव है। ग्रीन रेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा नए भवन के निर्माण में पर्यावरण पूरक हो, इसके लिए हमने नए मानक बनाए हैं। अगर 5 हज़ार मीटर में भवन का निर्माण करोगे, तो भी कुछ पर्यावरण पूरक कम करने पड़ेंगे, 20 हज़ार मीटर का कार्य होगा, तो भी करने पड़ेंगे। जैसे-जैसे साइज़ बढ़ेगा, वैसे ही पर्यावरण के नियमों का और ज़्यादा पालन होगा। [अनुवाद] हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक निर्माण और विध्वंस से उत्पन्न कचरे का प्रश्न है, हमने स्वतंत्र भारत में पहली बार नियम बनाए हैं। जब मैं मेट्रो सुरंग बनाने का काम देखने गया तो मुझे एहसास हुआ कि वे हर रोज भारी मात्रा में धूल हटा रहे थे लेकिन कहीं भी धूल फेंके जाने का कोई संकेत नहीं था। अत:, हमने उनसे यह बात समझी कि वे सारी धूल का प्रबंधन और परिवहन कैसे करते हैं। अब इन नियमों को निर्माण और विध्वंस से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के लिए अधिसूचित किया गया है। मुझे लगता है कि हम निर्माण और विध्वंस से उत्पन्न कचरे से फुटपाथ, साइड-लाइन और कई अन्य चीजें बना रहे हैं।

हम इसे बहुत सख्ती से लागू करने जा रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्माण और विध्वंस से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हम इस संबंध में आगे बढ़ रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री फिरोज़ वरुण गांधी: सर, मेरा एक और क्वेश्चन भी है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लिखित में दे दीजियेगा।

…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में लिखा है कि साल भर में जितने पूअर और सिवियर डेज़ हैं, जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, वर्ष 2018 में 206 दिन ऐसे थे, जब ऐसा गंभीर वातावरण था कि सांस लेना भी मुश्किल था। एयर क्वालिटी पूअर से सिवियर है। आज भी अगर हम एयर क्वालिटी को देखें तो ज़्यादातर दिन, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, ये 206 दिन हैं, जब पीएम 2.5 लेवल बहुत ज़्यादा होता है।

महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं दो साल पहले पिता बना। आज मेरी जो चिंता है, वही लाखों परिवारों की चिंता है। दिल्ली शहर में बच्चे को पैदा करना और बड़ा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए, मैं लाखों माताओ-पिताओं के हित में पूछना चाहता हूं कि जब बहुत सिवियर डेज़ होते हैं, जब घर से बाहर निकलना भी उचित नहीं होता, तो मेडिकल एडवाइज़री आती है। यह मेडिकल एडवाइज़री भी यही कहती है कि आप घर के अंदर रहिए। मैं पूछना चाहता हूं क्या केंद्र सरकार ऐसी कोई प्रक्रिया सोच रही है कि जब दिल्ली में वायु प्रदूषण सिवियर प्लस या इमरजेंसी लेवल पर होता है, तो सरकार एक पब्लिक हैल्थ एडवाइज़री जारी करे कि सारे नागरिक उन दो दिनों के लिए- क्योंकि सिवियर इमरजेंसी है- घरों के अंदर रहें। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन, सीपीडब्ल्यूडी, सैनिटेशन, एमसीडी, क्या इनको प्रदूषण से बचाने के लिए आप एयर क्वालिटी मास्क्स देंगे? क्या आप कोई ऐसी स्कीम निकालेंगे, ताकि हमारे जो ट्रैफिक पुलिसमैन हैं, जो गाड़ियों का धुआं अपने लंग्स में ले रहे हैं, उनको बचाने के लिए क्या आप एयर क्वालिटी मास्क्स डिस्ट्रिब्यूशन की कोई स्कीम लेकर आएंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदय, गौरव गोगोई जी ने एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं एश्योर करना चाहूंगा कि 200 दिनों की क्या स्थिति है, ये अभी पूअर और सिवियर स्टेज में हैं, लेकिन वर्ष 2016 में 246 दिन ऐसे होते हैं, वर्ष 2017 में घटकर ये 213 दिन हो गए और अब ये 206 दिन हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अब हवा की तबीयत ठीक है, ऐसे दिन बढ़ रहे हैं, खराब है, ये दिन कम हो रहे हैं।

इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने इस कार्यक्रम को रूप दिया है और कॉम्प्रेहेंसिव उपाय किए हैं।

मैं एक अन्य बात बताना चाहता हूं। आप तो विदेशों में भी घूमे हैं, आप शंघाई और बीजिंग भी गए हैं। आपने देखा है कि वैसी स्मॉग-लाइक सिचुएशन अपने यहां दीपावली के दिनों में होती है, उसके लिए फायर क्रैकर्स पर पाबंदी लगाई गई और बच्चे भी अब जागरूक हो गए हैं, वे अब फायर क्रैकर्स नहीं मांग रहे हैं। स्टबल बर्निंग के इश्यू में भी 15 परसेंट की कमी आई है। ...(व्यवधान) इस साल और किसानों को मदद देकर यह स्टबल बर्निंग कम होगी, जिससे ये दिन कम होंगे। हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

———————

प्रश्नों के लिखित उत्तर‡

(तारांकित प्रश्न संख्या 107 से 120

अतारांकित प्रश्न सं. 1112 से 1341)

‡ प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।

https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12:00 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

17वीं लोक सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण लोक सभा सचिवालय का संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो 17वीं लोक सभा के नव निर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम 3 जुलाई से 4 जुलाई और 9 जुलाई से 10 जुलाई, 2019 को मुख्य समिति कक्ष संसदीय सौध नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इस प्रबोधन कार्यक्रम का उदघाटन 3 जुलाई, 2019 को छ: बजकर पंद्रह मिनट पर मुख्य समिति कक्ष नई दिल्ली में होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। इस कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी बुलेटिन- दो में दी गयी है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसर पर उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्रीमती स्मृति ईरानी।

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): महोदय, मैं केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.797(अ), जो 11 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन संयुक्त सचिव (रेशम), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में 26.02.2019 से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 47/17/19]

[हिन्दी]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 48/17/19]

(3) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 49/17/19]

[अनुवाद]

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 50/17/19]

(3) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (मिनिमम स्टैंडर्डस रिक्वायरमेंट ऑफ होम्योपैथी कॉलेजेस एंड अटैच्ड हॉस्पिटल्स) संशोधित विनियम, 2019, अधिसूचना सं. जो 12-15/2012-सी.सी.एच. (भाग एक) जो 27 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(दो) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (मिनिमम स्टैंडर्डस रिक्वायरमेंट ऑफ होम्योपैथी कॉलेजेस एंड अटैच्ड हॉस्पिटल्स) संशोधित विनियम, 2019, अधिसूचना सं. 12-15/2012-सी.सी.एच. (भाग एक) जो 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) होम्योपैथी (पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स) एम.डी. (होम्योपैथी) संशोधन विनियम, 2019 जो 11 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 12-11/2010-सी.सी.एच. (भाग दो)(1) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना सं. 12-15/2012-सी.सी.एच. (भाग) जो 9 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा उसका एक शुद्धिपत्र, जो 18 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 515 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 51/17/19]

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 52/17/19]

(3) (एक) फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 2017- 2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डटस अर्थोरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017- 2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 53/17/19]

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं यह घोषणा करता हूं कि सोमवार, 1 जुलाई, 2019 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

1. आज के आदेश पत्र से सरकारी कामकाज की किसी भी मद पर विचार करना। [इसमें (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 356(4) के तहत 2 जुलाई, 2019 के बाद छह महीने की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए अनुमोदन मांगने वाले संकल्प पर चर्चा; (2) जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 8) का निरनुमोदन की मांग करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार और पारित करना; और (3) आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 9) और आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार और पारित करने की मांग करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा शामिल है।]
2. केन्द्रीय शिक्षा संस्था (अध्यापक कैडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 13) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा केन्द्रीय शिक्षा संस्था (अध्यापक कैडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना।
3. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 5) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना।

4. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 4) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना।

5. दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार और पारित करना।

6. वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट शुक्रवार 5 जुलाई, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रस्तुत किया जाएगा।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे सबमिशन में केवल विषय-वस्तु रखें, इसमें अपना भाषण न दें।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी: उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद (अरानी): महोदय, आगामी सप्ताह में सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य में शामिल करने के लिए निम्नलिखित निवेदन करना चाहूंगा:-

1. तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में 13वीं सदी के विरासत गिंगी किले में पर्यटक बुनियादी ढांचे का विकास ताकि इसे रेल और सड़क संपर्क के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया जा सके।

2. तमिलनाडु में विल्लुपुरम एन.एच.45 के पास मैलाम में कटेरी पट्टू रोड चौराहे पर एक फ्लाईओवर का निर्माण जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, 1 जुलाई, 2019 से शुरू होने वाली कार्य सूची में निम्नलिखित दो मदों को शामिल किया जाए:-

1. केरल के तटीय क्षेत्र में समुद्री कटाव और मछुआरों की आजीविका पर इसके बुरे प्रभाव के लिए भारत सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज की आवश्यकता है, ताकि समुद्री दीवार का निर्माण किया जा सके।
2. काजू उद्योग में संकट के कारण लाखों पारंपरिक काजू श्रमिकों और उद्यमियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके लिए भारत सरकार से विशेष पैकेज की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री अजय कुमार (खीरी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. लखीमपुर (खीरी), उत्तर प्रदेश में स्वीकृत दूसरे केन्द्रीय विद्यालय गिदनिया के लिए धन आवंटित करके शीघ्र निर्माण प्रारंभ करने पर विचार किया जाए।
2. जनपद, लखीमपुर में रेलवे के अमान परिवर्तन के तहत पूर्व से संचालित सभी रेलवे क्रॉसिंग को आवागमन हेतु चालू रखने के लिए अंडरपास, बैरियर या ओवरब्रिज बनाने पर विचार किया जाए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. भीलवाड़ा जिला मुख्यालय राजस्थान में लौह खनन के लिए किए जा रहे अवैध विस्फोटों द्वारा हो रहे क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण करवाए जाएं।
2. देश की प्रमुख मल्टी स्टेट वित्तीय सहकारी संस्था “आदर्श कॉपरेटिव सोसायटी' के द्वारा निवेशकों की रकम के पुनर्भुगतान पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई रोक हटाने बाबत।

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. देश में खत्म होते भू-जल संकट से उबरने हेतु विचार एवं कार्य-योजना बनाई जाए।
2. देश भर के मरीज़ों के बढ़ते हुए भार को देखते हुए एम्स, नई दिल्ली में भूमि एवं भवन की कमी को पूरा करने पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र कुमार- उपस्थित नहीं।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. देश में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतग्रहों की कमी एवं पर्याप्त सुविधा न होने के कारण देश में किसानों की बड़ी मात्रा में कच्ची फसलों आलू, प्याज़ अन्य सब्ज़ियों, फलों, फूलों का भण्डारण न होने के कारण तथा अन्य उत्पाद ना बन पाने के कारण किसानों की कच्ची फसलों का नष्ट होने एवं संग्रह भंडारण ना होने से लाभकारी मूल्य का न मिल पाना।

2. हानिकारक प्लास्टिक एवं पॉलीथिन के अंधाधुंध उपयोग होने के कारण, खेतों में फसलों का नुकसान, बीमारियों का कारण, नदी-नालों का चोक हो जाना, नदियाँ प्रदूषित होना, जलाये जाने पर प्रदूषण होना, कचरा प्रबंधन सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना होना, उसका जनजीवन पर दुष्प्रभाव पड़ना।

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल शेवाले- अनुपस्थित।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए लोक महाकाव्य “आल्हा खंड” को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जाए। विश्व के संभवत: एकमात्र खंड काव्य है जो अभी भी मौखिक रूप में जीवित है और लगभग 1000 वर्षों से बुंदेलखंड सहित देश के विभिन्न भागों में मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों में गाया जाता है। यह अपने इतिहास और स्मृति तथा समुदाय की धारणा से जुड़ा हुआ है।

मुख्य रूप से यह बुन्देली भाषा का छन्दबद्ध काव्य है। एक लोक खंड काव्य के रूप में, आल्हा गायन दर्शाता है कि देशभक्ति, बलिदान, सहिष्णुता और सम्मिलन समकालीन दुनिया के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): महोदय, कृपया निम्नलिखित मामलों/मुद्दों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल करें:-

1. आम जनता के लिए सुविधाजनक पासपोर्ट सेवा सुनिश्चित करने के लिए हुगली में नया पासपोर्ट कार्यालय खोलना।
2. रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, बुनियादी ढांचे का निर्माण करके हुगली में अस्पतालों की मौजूदा क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी): महोदय, आपके माध्यम से सभा से अपील है कि मद सं. 7, 8 और 9 को एक साथ लिया जाए और अंत में, हम उन्हें अलग से पारित करने पर विचार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: अगर सभा की सहमति है, तो आइटम नंबर 7,8,9 चर्चा के लिए एक साथ लिए जाते हैं।

…(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदय, मद सं. 8 और 9 अलग-अलग विषय हैं। मद सं. 8 जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार से संबंधित है और मद सं. 9 जम्मू-कश्मीर में आरक्षण से संबंधित है…(व्यवधान) ये दो अलग-अलग मुद्दे हैं। उन्हें एक साथ नहीं लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन

से संबंधित विषय पर पहले विचार किया जाना चाहिए और उसके बाद विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चर्चा एक साथ होगी। मत-विभाजन अगर आप चाहते हैं तो अलग-अलग ही होने वाला है। अगर विपक्ष के व्यू दोनों बिलों पर अलग हैं तो मत-विभाजन के वक्त आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। सवाल इतना ही है कि समय का बचाव करना। अगर इसमें भी इनको घोर आपत्ति है तो मुझे दोनों पर अलग-अलग चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बार उनको ही सुनना पड़ेगा, यह पहले समझ लें। अच्छा है, एक बार सुन लें।

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न वाद-विवाद का नहीं है। ...(*व्यवधान*) प्रश्न प्रक्रिया और पद्धति का है। ...(*व्यवधान*) राष्ट्रपति शासन का विस्तार एक बात है और आरक्षण का मुद्दा पूरी तरह से दूसरा विषय है। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस तरह की प्रथा रही है कि सबको एक साथ ले सकते हैं।

<u>अपराह्न 12.10 बजे</u>

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प,

तथा

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय अमित शाह जी।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> “कि यह सभा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 3 जुलाई, 2019 से और 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रखने का अनुमोदन करती है।”

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 2019 को प्रख्यापित जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।”

[हिन्दी]

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> “कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस महान सदन के सामने मैं दो प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति को देखते हुए वहां जो राष्ट्रपति शासन अभी चल रहा है, उसकी अवधि को 6 माह और बढ़ाने का प्रस्ताव है और दूसरा जम्मू-कश्मीर के संविधान के सैक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है, उसमें भी संशोधन करके कुछ और क्षेत्रों को जोड़ने का प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं जम्मू-कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का जो प्रस्ताव लेकर आया हूं, उसके बारे में मैं अपना पक्ष सदन के सामने रखना चाहूंगा।

महोदय, यह बिल जो आज मैं लेकर आया हूं उसका मूल तत्व यह है कि 2 जुलाई से 6 माह तक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जाए। 28 दिसम्बर 2018 को राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन इसी सदन ने किया था और राज्य सभा से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

महोदय, जब पीडीपी सरकार के पास बहुमत नहीं रह गया था तो जम्मू-कश्मीर संविधान के तहत जब किसी का बहुमत नहीं रहता है तो राज्यपाल महोदय सभी दलों से बात करने के बाद राज्यपाल शासन लागू करते हैं। जब किसी भी दल ने वहां सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया और न ही बहुमत की कोई स्थिति बनी तो राज्यपाल महोदय ने 6 महीने के लिए जम्मू-कश्मीर संविधान के तहत राज्यपाल शासन लागू किया।

21 नवम्बर, 2018 को कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई। विधायकों की खरीद-फरोख्त और हॉर्सट्रेडिंग के मामले भी सामने आने लगे और लम्बे समय तक अस्थिरता थी तो राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया कि 21 नवम्बर 2018 को विधान सभा को भंग कर दिया जाए और 21 नवम्बर, 2018 को चुनी हुई विधान सभा को भंग करने का निर्णय राज्यपाल महोदय ने लिया। उसके बाद 9 दिसम्बर, 2018 को राज्यपाल शासन की अवधि समाप्त हो रही थी।

वहां विधान सभा अस्तित्व में नहीं थी। इसलिए उसे ध्यान में रखकर धारा 356 का उपयोग करते हुए 20 दिसम्बर, 2018 से राष्ट्रपति शासन वहां अमल में है। राष्ट्रपति शासन का समर्थन राज्य सभा ने

3 जनवरी, 2019 में किया है। राज्य सभा से 3 जनवरी, 2019 का जो समर्थन प्राप्त था, राष्ट्रपति महोदय को जो अधिकार प्राप्त थे, वह छः महीने के बाद, मतलब 2 जुलाई, 2019 को पूर्ण होंगे। इसलिए मैं यह प्रस्ताव लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं कि छः माह के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी राज्य में विधान सभा का अस्तित्व नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव आयोग ने भी इसके पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन, भारत सरकार, सभी राजनीतिक दलों से बात करके और वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखकर, इस दरमियान आने वाले कुछ त्यौहार जैसे रमजान आया और अभी अमरनाथ यात्रा आएगी, इन सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने भी निर्णय किया है कि इस साल के अंत में वहां चुनाव कराए जाएंगे। इसको केन्द्र सरकार को सूचित कर दिया।...(व्यवधान) आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप तसल्ली से बोलिएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। न मैं टोका-टाकी करूंगा और मेरी यह अपेक्षा है कि न आप टोका-टाकी करें। यह महत्वपूर्ण विषय है, देश की जनता के सामने आपके और हमारे दोनों के विचार पहुंच जाएं, यह बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, 7 मई से 4 जून तक रमजान का पवित्र महीना था। 30 जून से 15 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होनी है। जिनकी 10 प्रतिशत आबादी है, ऐसे गुर्जर बकरवाल समुदाय जो पहाड़ियों पर चला जाता है, वह लगभग-लगभग अक्टूबर के बाद ही वापस आता है। इसलिए इस समय के दौरान चुनाव कराना उचित भी नहीं था, उपयुक्त भी नहीं था और संभव भी नहीं था। इसलिए चुनाव आयोग ने इस वर्ष के अंत में चुनाव कराने का फैसला लिया है। उसकी तिथि अभी चुनाव आयोग ने सूचित नहीं की है। वहां पर विधान मंडल नहीं है, राष्ट्रपति महोदय को छः महीने से ज्यादा का अधिकार इन दोनों सदनों ने नहीं दिया है। इसलिए यह अत्यंत जरूरी हो गया है कि राष्ट्रपति शासन की कालावधि को बढ़ाया जाए। जब तक छः महीने की कालावधि बढ़ेगी, मैं आशा करता हूं कि वहां पर भी चुनाव हो जाएंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर में कई दशकों से इन महीनों में चुनाव नहीं हुए हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य की विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं। हर बार तीन दशकों से इन महीनों के अंदर वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं। यह पहली बार नहीं है कि जम्मू-कश्मीर राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं कोई

राजनीतिक टिप्पणियां अभी इस बारे में नहीं करना चाहता। सभी सदस्यों को सुनने के बाद अगर कोई टिप्पणी होगी, तो मैं जवाब जरूर दूंगा। मगर सात बार राज्यपाल शासन लगा है। दो बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कई बार ऐसी भी स्थितियां हो गई हैं कि राष्ट्रपति शासन के लिए कानून के अंदर संशोधन कराना पड़ा है। छः साल तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव नहीं कराए गए थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय के शासन में और राज्यपाल महोदय के शासन में करीब-करीब एक साल की अवधि के अंदर जम्मू और कश्मीर में बहुत समय के बाद पहली बार आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अख़्तियार किया गया। देश के रक्षा मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। एक साल के अंदर आतंकवाद को जड़ों से उखाड़ने के लिए, उनकी जड़ों को हिलाने के लिए और उनके सभी तरह के तौर-तरीकों को नसीहत देने के लिए इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं बाद में इस पर डिटेल में बात करूंगा। जहां तक विकास का सवाल है, कई सालों से पंचायत के चुनाव नहीं कराए जाते थे। संविधान संशोधन 73 और 74 हो गया था, मगर जम्मू-कश्मीर के लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता था। इसी एक साल के अंदर पंचायत के चुनाव कराए गए हैं। 4,000 पंचायतों में 40,000 सरपंच आज जनता की सेवा कर रहे हैं।

महोदय, इतना ही नहीं 3700 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर के पंचों, सरपंचों और ग्राम पंचायतों का अधिकार था, सीधे उनके हाथ में जाए, वह पहुंचता नहीं था, उसमें से 700 करोड़ रुपये आज सीधे पंचायत के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने किया है। महोदय, इसका सर्टिफिकेट आने के बाद तुरंत ही और तीन हज़ार करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर की चार हज़ार पंचायतों को हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। वहां के पंच-सरपंच भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल मैं उनको मिल कर आया हूँ वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

महोदय, एक बात मैं सदन को विशेष रूप से बताना चाहूंगा, पक्ष-विपक्ष दोनों को इससे आनंद होगा कि कई बार जम्मू-कश्मीर में हमने रक्त रंजित चुनाव देखे है। सबके मन को दुख होता था, दिल में मलाल होता था कि चुनाव के अन्दर रक्त क्यों धरती पर बहाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, 40 हज़ार पदों के लिए चुनाव हुआ, लेकिन एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। लोक सभा का चुनाव हुआ। जम्मू-कश्मीर के हर मतदाता ने वोट डाला। अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मत प्रतिशत भी बढ़े हैं और हिंसा भी नहीं हुई है। यही दर्शाता है कि स्थिति और लॉ एण्ड ऑर्डर सरकार के कंट्रोल में है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक विकास का सवाल है, ढेर सारे नए इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं। पहली बार जम्मू-कश्मीर की जनता यह महसूस कर रही है कि जम्मू और लद्दाख, ये भी जम्मू-कश्मीर राज्य के ही हिस्से हैं। क्षेत्रीय संतुलन को नहीं संभाला जाता था। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आंकड़ों के साथ इसको सिद्ध कर सकता हूँ। जम्मू और लद्दाख के क्षेत्र की अवज्ञा की जाती थी। हमने अवज्ञा किसी की नहीं की। किसी का अधिकार नहीं छीना है। मगर जिसका अधिकार था, उसका अधिकार उसको पहुंचाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने ही किया है और पहली बार किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके कारण जम्मू क्षेत्र के अन्दर, लद्दाख क्षेत्र के अंदर पहली बार जनता संतोष का अनुभव कर रही है। वर्षों से लंबित कोई भी मसले थे, मैं देश के प्रधान मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री जी को सदन में रिकॉर्ड पर अभिनन्दन देना चाहता हूँ कि पहली बार एक साल के अन्दर इन सभी मसलों को एड्रेस किया गया और ज्यादातर मसलों को निपटा दिया गया।

जम्मू-कश्मीर से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए हुए जो शरणार्थी थे, उनका मसला हो, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे, उनका मसला हो, उनके स्टेट सब्जेक्ट का मसला हो, हर विषय के अन्दर इनिशेटिव लेने का काम इस राष्ट्रपति शासन के दौरान हुआ है।

महोदय, बंकर नहीं बनते थे, जानें चली जाती थीं, मवेशी मारे जाते थे, पशुधन मारा जाता था और कोई भी मुआवज़ा नहीं मिलता था। अब 50 हज़ार रुपये एक भैंस मारे जाने पर और संख्या सीमित किए बगैर देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार के दरम्यान हुआ है और राष्ट्रपति शासन में, राज्यपाल शासन में वह कंटीन्यू हुआ है। लगभग 15 हज़ार बंकर्स बनाने का फैसला हुआ है। हमारे लिए सीमा पर रहने वाले एक-एक व्यक्ति की जान अमूल्य है, इसलिए इसका बहुत महत्त्व है। इसके लिए पैसों का विचार नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, 15 हज़ार बंकर्स बनाने की बात थी, उनमें से 4400 बंकर्स बन चुके हैं। मैं सदन

को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो समय-सारणी श्रीमान् राजनाथ सिंह जी तय कर के गए हैं, वह समय-सारणी एक भी दिन लेट किए बगैर सभी 15 हजार बंकर्स बना दिए जाएंगे।

महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। सदन के सभी सदस्य जब इस पर बोलेंगे तब मैं इसके जवाब में काफी सारी बातें बताऊंगा। मगर मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र बहाल रहे, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें हम ज़रा भी लीपा-पोती नहीं करना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर के अंदर शांति बहाल रहे, कानून का शासन बहाल रहे और आतंकवादियों को जड़ समेत उखाड़ने के लिए कार्यवाही हो, इसके लिए भी यह सरकार कटिबद्ध है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि मैं जो प्रस्ताव ले कर आया हूँ, उसमें पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठ कर जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए, सरहदी राज्य है, पड़ोसी देश से जमीनी सीमा सटी हुई है, देश की सुरक्षा के मुद्दों के लिए, वहां की जनता के कल्याण के लिए इस प्रस्ताव का समर्थन करें। यह सदन छ: महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को शक्ति प्रदान करे।

महोदय, मैं दूसरा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं जम्मू-कश्मीर के संविधान के सैक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है, उसमें थोड़ा बदलाव करके कुछ नए सूत्रों को जोड़ने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। महोदय, जम्मू-कश्मीर आरक्षण कानून, 2004 के तहत 43 परसेंट वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान जम्मू-कश्मीर के संविधान के अंदर हुआ है, जिसमें अनुसूचित जातियों को 8 परसेंट, अनुसूचित जनजातियों को 10 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को 20 प्रतिशत और कमजोर, निर्धन लोगों को 2 प्रतिशत और नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों के निवासियों के लिए 3 प्रतिशत। मैं आज जो प्रस्ताव लेकर आया हूँ कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के निवासियों के लिए जो 3 परसेंट आरक्षण है, उसके अंदर उस 3 परसेंट के अंतर्गत ही इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों को भी इस आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव लेकर आया हूँ।

महोदय, इसका कारण है, चाहे एल.ओ.सी. हो, चाहे एल.ए.सी. हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, तीनों सीमाओं पर जो गाँव बसे हैं, उनकी हार्डशिप्स एक समान है। तीनों के उस ओर पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर या पाकिस्तान है। वे गोलाबारी करते हैं, सीज़फायर का बार-बार उल्लंघन करते हैं, जब शैल

यहाँ पर आते हैं तो यहाँ काफी नुकसान होता है। इससे बच्चों को अपनी पढ़ाई-लिखाई जारी रखने में बड़ी दिक्कत आती है। यह आरक्षण किसी को प्लीज करने के लिए नहीं है, मगर सदन को संवेदना के साथ इस बात पर विचार करना चाहिए, जब शैलिंग होती है, माह-माह तक, कई दिनों तक बच्चों को शैल्टर हाउस में रहना पड़ता है। स्कूल बंद हो जाते हैं। शालाएँ कई महीने तक चलती नहीं हैं। उनमें आई.क्यू. होने के बावजूद, इंटेलिजेंसी होने के बावजूद उसके मार्क लाने की क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए उनको यह रिजर्वेशन दिया जाता है। जब कानून बना तब एल.ओ.सी. के लोगों को भी मिलना चाहिए, एल.ए.सी. के लोगों को भी मिलना चाहिए, मगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो गाँव हैं, वे शायद उसमें छूट गए हैं। उसका विचार नहीं किया गया था।

राज्यपाल महोदय ने यहाँ पर प्रस्ताव भेजा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जो गाँव बसे हुए हैं, उनको भी इस आरक्षण का फायदा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में नया कानून या कानून में संशोधन करने का विधान मंडल का जो अधिकार है, वह संसद में निहित है। इसलिए इस प्रस्ताव को मैं लेकर आया हूं।

महोदय, इससे जम्मू क्षेत्र के करीब-करीब साढ़े तीन लाख नागरिकों को फायदा होगा। कठुआ, सांबा और जम्मू जिले के लोगों को फायदा होगा। कठुआ के 70 गाँव, सांबा के 133 गांव और जिला जम्मू के 232 गाँव को इसका फायदा होगा। साढ़े तीन लाख लोगों की आबादी, पाकिस्तान के साथ जब कभी भी सीज़फायर का उल्लंघन होता है, इसको झेल रही है। उनके बच्चों को जो इसके कारण नुकसान होता है, शायद इस आरक्षण से उस नुकसान की कुछ भरपाई हम कर पाएं। इतने उम्दा आशय के साथ मैं इस प्रस्ताव को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके माध्यम से सदन से विनती करता हूँ कि इस प्रस्ताव को जम्मू-कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले बच्चों के लाभ के लिए इसका भी अनुमोदन करे और आरक्षण के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के बच्चों को भी समाहित किया जाए। इतना निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी दिनांक 19 दिसंबर, 2018 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 3 जुलाई, 2019 से और 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 2019 को प्रख्यायित जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्याक 8) का निरनुमोदन करती है।"

"कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मुझे जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाले विधेयक पर संकल्प प्रस्तुत करने और उस पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन को 3 जुलाई, 2019 से छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने की मांग करने वाले सांविधिक संकल्प का पुरजोर विरोध करता हूं। साथ ही, मैं इस सम्मानित सभा में यह कहना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन की मांग वाले सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करते हुए, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक की विषय-वस्तु का समर्थन करता हूं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि विधेयक की विषय-वस्तु उन गरीब लोगों के पक्ष में है जो जम्मू और कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं। अत:, मैं विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं लेकिन अध्यादेश के कानून का कड़ा विरोध करता हूं क्योंकि इसमें *नेक इरादे* का अभाव है। यह अध्यादेश केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पारित किया गया है।

महोदय, हम सभी जम्मू और कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। हम सभी का जम्मू और कश्मीर राज्य से भावनात्मक लगाव है। हम सभी हमेशा बोलते रहे हैं और हमें यह कहते हुए गर्व है कि कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। यह कहते हुए हम सभी को गर्व हो रहा है। हम इसे बार बार कहेंगे। लेकिन जब हम कहते हैं कि यह भारत का अभिन्न अंग है, तो ज्यादातर समय हम केवल भौगोलिक अखंडता के बारे में चिंतित होते हैं, जम्मू और कश्मीर की जनसांख्यिकीय अखंडता के बारे में नहीं। हम हमेशा कश्मीर के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र की रक्षा करने की कोशिश करते हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोगों की रक्षा करने की कोशिश नहीं करते हैं। यह वह मूल मुद्दा है जिसे मैं प्रकाश में लाना चाहूंगा।

महोदय, कश्मीर मुद्दे को इतने सारे प्रभाव होने के बावजूद हमेशा सीमा विवाद, भूमि विवाद या क्षेत्रीय मुद्दे के रूप में देखा गया है। इस सम्मानित सभा द्वारा विचार किया जाने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि कश्मीर मुद्दे के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है।

महोदय, मेरा सुझाव है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतने के लिए कश्मीर के प्रति हमारे दृष्टिकोण में समुचित परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं सम्पूर्ण सभा से अपील करता हूं कि जम्मू-कश्मीर मुद्दे या जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों को केवल संकीर्ण राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के तौर पर कभी नहीं लिया जाना चाहिए। इसे व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए ताकि जम्मू और कश्मीर के लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।

महोदय, केन्द्र सरकार और पी.डी.पी.-भाजपा गठबंधन सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन राज्य सरकार कश्मीर के मुद्दे से निपटने या कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतने में बुरी तरह विफल रही है। हम कश्मीर में शांति और सामाजिक सद्भाव चाहते हैं, भय, तनाव और हिंसा नहीं। इसे प्राप्त करने के लिए हमें लोगों का विश्वास जीतना होगा। यह मुख्य मुद्दा है, जिसे मैं उठाना चाहता हूं।

महोदय, क्या माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प और माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक लोगों का विश्वास जीतने के लिए पर्याप्त है? यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में मैं विस्तार से बताना चाहूंगा।

महोदय, जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 के संबंध में हम पहले ही कह चुके हैं कि यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं परंतु, कृपया यह देखें कि किस प्रकार यह अध्यादेश बना।

अनुच्छेद 123 (1) कार्यपालिका को केवल असाधारण या अप्रतिरोध्य परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है जिसमें तात्कालिकता, अनिवार्यता या आपातकाल के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। केवल तभी सरकार को अनुच्छेद 123 (1) के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है।

यहां, अध्यादेश 1 मार्च, 2019 को जारी किया गया है और चुनाव अधिसूचना 10 मार्च, 2019 को आई है। महोदय, यह 2004 का अधिनियम है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की लंबे समय से मांग है, वे इस अधिकार की मांग कर रहे थे लेकिन दुर्भाग्य से, उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया। यह मार्च के महीने में दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह सिर्फ संकीर्ण राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए है। एन.डी.ए. सरकार पिछले पांच साल से सत्ता में है परंतु इसे मार्च के महीने में लाया गया।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले पांच वर्षों में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने में कोई वास्तविक रुचि नहीं दिखाई है। कोई आरक्षण नहीं दिया गया। कुछ भी नहीं दिया गया। मार्च के महीने में एक सुबह, जम्मू और कश्मीर के लोगों को यह अधिकार देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है। 17वीं लोक सभा के चुनावों में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। अत:, मैं यह अध्यादेश जारी किए जाने का पुरजोर विरोध करता हूं।

धारा 2(ण) के अंतर्गत, जिसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का उल्लेख है, एक नया शब्द भी जोड़ा गया है, वह है, 'वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति'। मैं इसका पूरा समर्थन कर रहा हूं ताकि विधेयक पारित हो सके लेकिन मैं अध्यादेश के जरिये कानून बनाने का विरोध कर रहा हूं।

कृपया यह देखा जा सकता है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा 19 दिसंबर 2018 को इस आधार पर की गई थी कि जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार भारत के संविधान और राज्य पर लागू जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है। वर्ष 1996 के बाद यह

पहली बार है जब राष्ट्रपति ने प्रत्यक्ष केंद्रीय शासन लगाया है। माननीय मंत्री जी पहले ही यह कह चुके हैं। अनुच्छेद 356 के तहत केंद्रीय शासन लगाने का कारण क्या है? यह घोषणा की गई कि यह जून के महीने में राजनीतिक संकट के कारण था जब भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पी.डी.पी.-भाजपा गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। उद्घोषणा राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर जारी की गई थी। वास्तविक तथ्य क्या हैं? जब भाजपा ने गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया, तो कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पी.डी.पी. को समर्थन दिया और उन्होंने वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा पेश किया। वैकल्पिक सरकार बनाने का अवसर दिए बिना राज्यपाल ने 21 नवंबर को 87 सदस्यीय राज्य विधानसभा को भंग कर दिया और वैकल्पिक सरकार बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? जब किसी गठबंधन ने पहले ही जम्मू-कश्मीर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, तो उस गठबंधन को एक अवसर दिया जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से, कोई अवसर नहीं दिया गया और विधायकों की खरीद-फरोख्त और सरकार बनाने के लिए स्थिरता की कमी का हवाला देते हुए विधानसभा को भंग कर दिया गया। राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग किया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण और मनमाना फैसला था। सरकार बनाने और सदन में बहुमत साबित करने का मौका देने के बजाय, विधानसभा को एकतरफा तरीके से भंग कर दिया गया। यह अलोकतांत्रिक, एकतरफा और मनमाना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नियम 178 को अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं केवल संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे संकल्प पर बोलने का अधिकार है। कृपया मुझे तीन या चार मिनट तक का समय दीजिए। वर्ष 1994 तक, राष्ट्रपति के पास किसी भी राजनीतिक अशांति का सामना करने वाले किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू करने की पूर्ण और निरंकुश शक्ति थी। लेकिन वर्ष 1994 में एस.आर. बोम्मई मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए कड़े दिशानिर्देश पारित किए और कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान से परे नहीं हैं; इसलिए उसे अनुच्छेद 356 लागू करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होगा। महोदय, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति की उद्घोषणा उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एस.आर. बोम्मई मामले में जारी दिशा-निर्देशों का किसी भी प्रकार से अनुपालन नहीं करती है। एक वैकल्पिक सरकार के गठन की संभावना थी।

दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं किया गया। इसलिए, अनुच्छेद 356 दिनांक 19 दिसंबर, 2018 के अंतर्गत उद्घोषणा अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और एस.आर. बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की भावना के विरूद्ध है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में विधानसभा चुनाव कराने में देरी क्यों हो रही है? वहां चुनाव आयोग मौजूद है। जम्मू-कश्मीर में लोक सभा चुनाव सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। हम संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते? यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्य तौर पर संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने पर चर्चा की गई। आप जम्मू और कश्मीर राज्य में संयुक्त चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं? यदि आप संसद का चुनाव सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से करा सकते हैं, तो चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर राज्य में चुनाव कराने में क्या बाधा है? पहले ही कई कारण बताए जा चुके हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। रमज़ान, अमरनाथ यात्रा, पर्यटक और बकरवाल गमन जैसे कई कारण दिए गए हैं। जब आप शांतिपूर्ण तरीके से लोक सभा चुनाव करवा सकते हैं, तो क्या चुनाव स्थगित करने के लिए ये कारण वास्तविक और उचित हैं? संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति शासन तीन साल से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। चुनाव आयोग भी सुरक्षा कारणों से चुनाव नहीं करवा पा रहा है। यदि संसदीय चुनावों के लिए मतदान के समय सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो विधानसभा चुनावों के लिए भी यही सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती। एक मतदाता जो लोक सभा चुनाव में मतदान कर रहा है, वही मतदाता विधानसभा चुनाव में भी वोट डालता है। पोलिंग बूथ पर किए गए सुरक्षा बंदोबस्त भी वही हैं। आप विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? राष्ट्रपति शासन पहले से ही लागू है।

अनुच्छेद 356 के अनुसार, मौलिक अधिकारों तक में भी कटौती की जा सकती है; हालांकि अब तक, ऐसा नहीं किया गया है। यही मेरा बिंदु है। यह पूरी तरह से अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग है। यहां तक कि यह संविधान के उपबंधों का भी दुरुपयोग है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अत:, मेरा सुझाव यह है। यदि आप इसे 3 जुलाई से छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने जा रहे हैं, तो इसका अर्थ साफ है कि आप चुनाव नहीं कराएंगे। जून लगभग बीत चुका है। अगले छह महीनों में, अन्य कारण सामने आ सकते हैं।

सुनने में यह भी आ रहा है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में परिसीमन होने जा रहा है ताकि सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। इसलिए, चुनाव का परिणाम अलग होगा।

विधानसभा चुनाव स्थगित करने के लिए सुरक्षा कारण पर्याप्त कारण नहीं है। यदि आप लोक सभा के चुनाव करवा सकते थे, तो निश्चित रूप से आप विधानसभा के चुनाव एक साथ करा सकते थे। आप एक लोकप्रिय और लोकतांत्रिक सरकार ला सकते हैं। यह मेरे वक्तव्य का प्रारंभिक विषय है। कृपया जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर राजनीति न करें। कृपया इसे व्यापक अर्थ और राष्ट्रीय भावना में लिया जाए।

एक बार पुन:, मैं जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक की विषयवस्तु का समर्थन करना चाहूंगा क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर के तीन लाख से अधिक लोगों को लाभ प्रदान कर रहा है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे हैं और पीड़ित हैं। उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है। मैं इसके लिए सरकार की सराहना करता हूं और प्रशंसा करता हूं, परंतु साथ ही मैं अनुच्छेद 123(1) से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अध्यादेश के माध्यम से विधान बनाने का पुरजोर विरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का विरोध करता हूं, जिसमें जम्मू और कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की गयी है। मैं जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं - और मैं इस पर अपने विचार रखता हूं। [हिन्दी] जब माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर बहुत संवेदनशील विषय है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर चर्चा दलगत राजनीति, दलगत सियासत से ऊपर उठकर होनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री और इस सदन को बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर क्यों एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए हमको वापस वर्ष 1947 में जाना पड़ेगा। जब भारत का बंटवारा हुआ और जिन लोगों ने उसका संताप भोगा है, वे उसे बंटवारा नहीं कहते, वे उसे उजाड़ा कहते हैं। जब यह विभाजन हुआ और लाखों-लाख लोग विस्थापित हुए, तो उस विभाजन से दो मुल्क निकले, एक इस्लामिक पाकिस्तान और दूसरा, धर्मनिरपेक्ष भारत...(व्यवधान) भारत शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में है। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा था कि...(व्यवधान) आप टोका-टोकी मत कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा धैर्य से सुनिए।

अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि दो मुल्क निकले, एक इस्लामिक पाकिस्तान और दूसरा, धर्मनिरपेक्ष भारत। जम्मू-कश्मीर में मुसलमान समुदाय के लोग ज्यादा थे, उन्होंने पाकिस्तान जाना उचित नहीं समझा। भारत की जो धर्मनिरपेक्ष सोच थी। उस धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ उन्होंने अपने-आप को शामिल करने का निर्णय लिया। इसके लिए जम्मू-कश्मीर भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो परिस्थितियां जम्मू-कश्मीर में उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी जरूरी समझी गई, उसको भी एक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा-सा इतिहास में पीछे जाएं।

मुझे वर्ष 1990 याद आ रहा है। भारत में तब स्वर्गीय प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी। उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। उस सरकार को कुछ हमारे वामपंथी साथियों

का समर्थन था। वह समय था, जब जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति बिगड़नी शुरू हुई। मुझे अभी भी याद है, मैं छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का नेतृत्व करता था। इसी सदन में जो विपक्ष के नेता थे, भारत के मरहूम प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी, उन्होंने निरंतर सरकार को चुनौती दी कि जम्मू-कश्मीर की परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, आप इन परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कीजिए, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं संभलीं और जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया।

गृह मंत्री जी ने जिक्र किया कि छ: साल तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा रहा। मैं माननीय गृह मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वह परिस्थिति भी...(व्यवधान) अरे, सुनने की क्षमता रखिए। गृह मंत्री जी ने कहा कि छ: साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अगर जम्मू-कश्मीर में परिस्थितियाँ बिगड़ी या उससे पहले पंजाब में परिस्थितियाँ बिगड़ी, उसके के लिए न जम्मू-कश्मीर के लोग जिम्मेदार थे, न ही पंजाब के लोग जिम्मेदार थे। उसके लिए जिम्मेदार था, हमारा पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान, जिसे दो हिस्सों में हमने वर्ष 1971 में विभाजित किया था। पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक सरकार ने, श्रीमती इंदिरा गाँधी की सरकार ने बांग्लादेश का निर्माण किया था। वह कारण था कि पाकिस्तान ने पहले पंजाब में हस्तक्षेप करना शुरू किया, उसके बाद कश्मीर में हस्तक्षेप करना शुरू किया और अगर परिस्थितियाँ उन दोनों प्रदेशों में बिगड़ी, तो उसकी सीधी-सीधी जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती थी। वर्ष 1991 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और यह कांग्रेस की सरकार थी, जिसने परिस्थिति को संभाला। वर्ष 1996 में जम्मू-कश्मीर में आम चुनाव हुए। आम चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और वह सरकार छ: साल तक चली। वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 2002 तक,...(व्यवधान) आपने नहीं कराए थे, देवेगौड़ा जी ने कराए थे, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। ...(व्यवधान) आपको अपनी थोड़ी सी जानकारी ठीक करने की जरूरत है।

वर्ष 1996 में जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए। नेशनल कांफ्रेंस की सरकार बनी और वर्ष 2002 तक वह सरकार चली। वर्ष 2002 में जम्मू-कश्मीर में फिर दोबारा चुनाव हुए और वहाँ की जो परिस्थितियाँ थीं, वे सामान्य होनी शुरू हो गई, अनुकूल बननी शुरू हो गई। पीडीपी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार वर्ष 2002 में जम्मू-कश्मीर में बनी।

मुझे अभी भी अप्रैल, 2003 याद है, उस समय भारत के प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अप्रैल, 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनगर गए और उन्होंने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में खड़े होकर यह बात कही कि कश्मीरी लोगों के साथ इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत के दायरे में बात हो। एक बड़ा दिल भारत के प्रधान मंत्री ने दिखाया। उसके बाद एक चर्चा शुरू हुई। वह चर्चा सिर्फ कश्मीर के लोगों के साथ शुरू नहीं हुई थी। अगर मेरी जानकारी सही है, तो उस चर्चा में हिजबुल मुजाहिद्दीन के उस समय जो डिप्टी कमांडर थे, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो शायद अब्दुल मज़ीद डार उनका नाम था, उनको पाकिस्तान से सेफ पैसेज देकर बुलाया गया और उनके साथ भारत की सरकार ने बातचीत की। उसके बाद केन्द्र में यूपीए की सरकार बनी और जो पहल एनडीए, भाजपा की सरकार ने की थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, उस पहल को डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार ने आगे बढ़ाया।

वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2008 तक जम्मू-कश्मीर में सुनहरा दौर था। जब आतंकवादी गतिविधियां कम हुई; जन-जीवन सामान्य और सही हुआ। जम्मू और कश्मीर में डर, भय और आतंक का वातावरण था, उसको डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार कम करने में सफल हुई। वर्ष 2008 में जरूर परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ी। उसके बाद फिर जम्मू-कश्मीर में आम चुनाव हुआ। जिस आम चुनाव के बाद फिर एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। उस सरकार ने जम्मू-कश्मीर को वर्ष 2014 तक एक पारदर्शी, अकाउन्टेबल और अच्छा शासन दिया। मेरा इतिहास बताने का तात्पर्य यह है कि जब हमने वर्ष 2014 में देश की बागडोर छोड़ी, यहां पर एनडीए की भाजपा सरकार बनी और जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुआ। उस चुनाव में 64 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। एक सामान्य प्रदेश, एक स्टैबल प्रदेश और एक प्रगतिशील प्रदेश हमने आपको सौंपा था। उसके बाद जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा कुछ ऐसा नहीं आया कि किसी पार्टी की अकेले सरकार न बन सके। कुछ समय तक वहां राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद भाजपा ने पीडीपी के साथ मिल कर सरकार बनाई। मैं बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूँ, मुझे यह बात कहते हुए खुशी नहीं हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य से, यह वैचारिक रूप से भिन्न लोगों का गठबंधन था। अगर आज जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति ऐसी है कि हमको राष्ट्रपति शासन हर छह महीने में बढ़ाना

पड़ रहा है। उसकी जड़ें, भाजपा और पीडीपी का वर्ष 2015 में जो एलायंस हुआ था, उस गठबंधन में है। वर्ष 2015 से लेकर 2018 तक जम्मू- कश्मीर की परिस्थितियां बिगड़ी, आतंकवादी हमले बढ़े, निर्दोष लोगों की जानें गई। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर दोनों पक्षों से कोई भी किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से कोई भी व्यक्ति एक मिनट के लिए भी एक शब्द की टोका-टाकी नहीं करेगा, मगर जब मैं जवाब दूं तब विपक्ष को भी इतनी ही शांति से सुनना चाहिए।

श्री मनीष तिवारी: माननीय गृह मंत्री जी, अगर जम्मू-कश्मीर के ऊपर आप कोई इनलाइटन नीति पर्श्यू करेंगे, हम जरूर उसका समर्थन करेंगे। हमारा समर्थन इनलाटन नीति के साथ रहेगा।

श्री अमित शाह : अध्यक्ष महोदय, टोका-टोकी नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : कोई टोका - टोकी नहीं करेंगे। माननीय अधीर रंजन जी।

श्री अमित शाह: टोका टोकी नहीं करेंगे। आप इसका समर्थन कर दीजिए। हमारी ओर से कोई टोका टोकी नहीं करेगा, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। अध्यक्ष महोदय को संसद के संचालन के लिए ऐसा वातावरण देना है।

श्री मनीष तिवारी: माननीय गृह मंत्री जी, हम टोका टोकी में विश्वास नहीं रखते, जैसे ही कोई सच बात कही जाती है, जिस तरह का रिएक्शन आपकी तरफ से आता है, वह अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है।

श्री अमित शाह : अब नहीं होगा मनीष जी, लेकिन जब मैं सच बात कहूं तब वहां से टोका टोकी नहीं होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न बन गया है।

श्री मनीष तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताने की कोशिश कर रहा था कि आज अगर परिस्थितियां इस दौर के ऊपर पहुंची है कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तो उसकी जो नींव है, वह वर्ष 2015 में बीजेपी और पीडीपी का जम्मू-कश्मीर में हुआ गठबंधन था। उसकी नींव उस समय रखी गई थी।

वर्ष 2015 से 2018 तक जम्मू-कश्मीर में परिस्थितियां बिगड़ीं, नौजवान लोग सड़कों पर आए, बेगुनाह लोग मारे गए।

हमारा आपसे बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, आप आतंकवाद से सख्ती से निपटिए, आप आतंकवादियों को नस्तनाबूत कीजिए। मैं खुद आतंकवाद का भुक्तभोगी हूं। मेरे पिताजी को आतंकवादियों ने शहीद किया था। मैं जानता हूं कि आतंकवाद का संताप अपने शरीर पर भोगना कितना मुश्किल और कितना कठिन होता है और उन परिवारों के साथ क्या होता है? अगर आपकी कोई कठोर नीति आंतकवाद के खिलाफ है तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब लोग आपके साथ रहें।

मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जब पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ जंग चल रही थी, वर्ष 1992 में फैसला हुआ कि पंजाब में विधान सभा के चुनाव कराए जाएंगे और एक पापुलर सरकार को बहाल कराया जाएगा। अगर आतंकवाद पर नकेल डालने का पंजाब में मोड़ आया तो वह वर्ष 1992 का विधान सभा का चुनाव था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार तीन साल केंद्र में थी, कांग्रेस सरकार राज्य में थी। तीन साल में आतंकवाद समाप्त कर दिया गया और आज भगवान का बहुत शुक्र है कि वर्ष 1995 के बाद कोई बड़ी आतंकवाद की घटना पंजाब में पिछले इतने सालों से नहीं हुई।

मेरा यह उदाहरण देने का मतलब था कि यह देश के हित में नहीं है, यह भारत के हित में नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार न हो। अगर एक चुनी हुई सरकार वहां होगी तो आतंवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने और सैपरेटिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में देश को मजबूती मिलेगी, देश में कमजोरी नहीं आएगी।

मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करना चाहता हूं। अगर जम्मू-कश्मीर में लोकसभा के चुनाव करा सकते हैं और लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सकते हैं तो वहां विधान सभा के चुनाव साथ में क्यों नहीं करवाए जाते? आज भी ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी पड़ी और वहां आम चुनाव नहीं कराए गए।

मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि जो चुनौती पश्चिमी पड़ोसी से है, वह खत्म नहीं होने वाली है, यह लंबी लड़ाई है। इस पर आम सहमति बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन प्रदेशों में जहां आपको यह लड़ाई लड़नी है, चाहे वह जम्मू-कश्मीर हो या भारत का कोई और प्रदेश हो, बहुत जरूरी है कि वहां जो आवाम है, वहां की जो जनता है, उसे अपने साथ रखे, उसे एलिएनेट न कीजिए। पिछले तीन सालों में अगर सबसे बड़ी गुस्ताखी या सबसे बड़ी भूल इस सरकार से हुई है, मैं यह इस सरकार को इसलिए कह रहा हूं कि पिछले पांच साल यही सरकार सत्ता में थी, [अनुवाद] यह जम्मू-कश्मीर के लोगों में अलगाव की भावना है जो दुर्भाग्य से इस हद तक बढ़ गई है कि मुझे डर है कि सरकार को उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में वापस लाने के लिए कड़े प्रयास करने होंगे। [हिन्दी] हम आज राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

जहां तक उस विधेयक का सवाल है जो आरक्षण देता है, देखिए, हमें उस विधेयक की स्पिरिट से कोई आपत्ति नहीं है। हमें विधेयक की मंशा पर पर कोई आपत्ति नहीं है। जिस चीज पर हमें आपत्ति है वह जम्मू-कश्मीर विधान सभा के अधिकार क्षेत्र का विषय है। बेहतर यह होता कि आप वहां विधान सभा चुनाव कराते।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

वहां पर लोगों द्वारा चुनी गई एक सरकार बनती और विधान सभा में चर्चा होकर यह जो विधेयक है, यह वहां पर पारित होता। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं। हम समझते हैं। मैं भी एक सरहद के राज्य से आता हूं। हम समझते हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर या इंटरनेशनल बार्डर पर लोग रहते हैं उनकी परिस्थितियां किस तरह की बनती है जब दूसरी तरफ से शैलिंग होती है। इसलिए अगर सरकार

उनको आरक्षण देना चाहती है तो उसके ऊपर हमें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। पर हां, आपत्ति जरूर इस बात पर है कि किस तरह से वह आरक्षण दिया जा रहा है। मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से क्योंकि सत्रहवीं लोक सभा का यह पहला सत्र है। मैं सरकार से एक विनती करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का मामला, जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य रहा है और इसको विचारात्मक और दलगत राजनीति से अगर ऊपर उठकर आपकी सरकार देखेगी तो आपकी सरकार भारत के लिए, भारत के हित में एक बड़ा काम करेगी। अगर आप इसको एक दलगत दृष्टि से देखते रहे, [अनुवाद] यदि आप जम्मू-कश्मीर राज्य को अपनी वैचारिक दृष्टि से देखते रहें, तो मुझे डर है, हम आज यह चर्चा कर रहे हैं और हम इस सभा के हर सत्र में जम्मू-कश्मीर पर चर्चा करते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण धारा-356 के तहत राष्ट्रपति शासन छह महीने और आगे बढ़े और रिजर्वेशन के इस बिल पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे आपने बोलने का समय दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है।

मुझे अच्छा लगा कि जिस रूप से विरोधी पक्ष में कहीं न कहीं इतिहास का विचार किया गया। इतिहास के प्रारूप से आज के जम्मू-कश्मीर को देखा जा रहा है। यह बहुत अच्छा लगा कि वे इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसी युवा सांसद हूं, जो बचपन से देखती आ रही हूं जम्मू-कश्मीर को फ्रंट पेज पर किस इतिहास के रूप से हम देख रहे हैं। जब देश वर्ष 1947 में आजाद हुआ तो भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख था और आज भी है। मेरे सामने यह प्रश्न आता है कि जब वर्ष 1947 में हमें आज़ादी मिली और कश्मीर, लद्दाख और जम्मू भारत का अभिन्न भाग तब से था, तो क्यों तभी के तत्कालीन प्रधान मंत्री ... *यूनाइटेड नेशन में जाकर यह कहने लग गए, जिनका मैं बिल्कुल आदर करती हूं। ...(व्यवधान)... क्यों कहने लग गये कि हमें हमारे कश्मीर का रेजॉल्यूशन आप दो, तब हम तीसरे पक्ष के पास रेजॉल्यूशन के लिए क्यों गए?

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सभी बैठिए।

श्रीमती पूनम महाजन : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है, यह आलोचना नहीं है...(व्यवधान) सादर, माफ कीजिए, यह आलोचना नहीं है, अपेक्षा थी और यह फैक्ट है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं देख लूंगा इसको।

...(व्यवधान)

श्रीमती पूनम महाजन: इसको ऐतिहासिक बलंडर कहा जाता था। जब इतिहास में जाना हो तो इतिहास में जिस प्रकार से ऐतिहासिक बलंडर किया गया है, उसकी भी कहीं न कहीं समीक्षा इधर होनी चाहिए, इसलिए यह बताना जरूरी है। एक युवा सांसद के रूप में यह मेरा प्रश्न है कि क्यों तब के हमारे सबके आदरणीय पहले और देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री थर्ड पार्टी के पास गए कि हमारे जम्मू-कश्मीर का मसला आप सुलझाइए। उस वक्त की ऐतिहासिक बलंडर को हम आज भी फेस कर रहे हैं और हम सभी इसे जानते हैं। इस क्यों का प्रश्न हमें चाहिए। आप इतिहास में जाना चाहते हैं, तो मुझे आपसे यह प्रश्न पूछना है कि कश्मीर में जाते वक्त परमिट मांगना पड़ता था और देना पड़ता था। क्यों कश्मीर जाते वक्त हमें परमिट लेना पड़ता था, क्या कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न भाग नहीं है। हम अभिन्न रूप से कश्मीर के साथ नहीं रहते थे। क्यों तभी इस बात की लड़ाई होती थी कि दो प्रधान थे, दो संविधान थे और दो निशान थे? क्यों हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसके खिलाफ लड़ना पड़ा और क्यों उनको बलिदान देना पड़ा कि परमिट के बिना हम हमारे जम्मू-कश्मीर में आएंगे ? ये इतिहास का प्रश्न मैं पूछना चाहती हूं। क्यों ऐसा हुआ कि कश्मीरी पंडित हमारे कांग्रेस के पेट्रियार्क कश्मीरी पंडित हैं? इसके बारे में वे हर वक्त गर्व से बात करते थे। वही पेट्रियार्क कश्मीरी पंडित हमारे देश के प्रधान मंत्री भी थे। उस वक्त ऐतिहासिक बलंडर भी हुआ, फिर जब इतिहास में सब जानना चाहते हैं तो इतिहास के इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए कि क्यों कश्मीरी पंडितों को, जो सेक्यूलर कंट्री के बारे में आप बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर से भगा दिया गया और उनको अपनी जमीन से बाहर भेज दिया गया?

माननीय अध्यक्ष : पाइंट ऑफ आर्डर किस नियम के तहत है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किस नियम के तहत है? आप नियम बताएं न पाइंट ऑफ आर्डर किस नियम के तहत है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य प्लीज, आप नियम बताएं किस नियम के तहत है?

...(व्यवधान)

श्रीमती पूनम महाजन: सर इतिहास के रूप से यह क्यों प्रश्न के उत्तर भी आप हमें दे दीजिए। जब कश्मीरी पंडितों को मैं कांग्रेस का पेट्रियार्क कहती हूँ तो इसलिए पूछती हूँ कि कश्मीरी पंडिताई पर बहुत सारी चीजें लिखी गई। वही हमारे कश्मीरी पंडित बेचारे अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र बान्द्रा में विस्थापित होकर रहे रहे हैं और मुझे यह पूछते हैं कि मैं अपने घर कब जाऊंगा? लेकिन हां, आज मोदी सरकार आई है तो कश्मीरी पंडितों का सम्मान हो रहा है। वे वापस जाने की तैयारी में हैं। मेरा यह भी सवाल है इतिहास में आप जा रहे हो। क्यों आप, जब आपकी सरकार थी तब तिरंगा लाल चौक में आप फहराने नहीं देते थे? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। क्यों हमारे जवान आपकी राजनीति की वजह से आप तो 90 के दशक के बाद का समय बता रहे हो, उसके पहले का तो समय आपका था, क्यों हमारे जवानों के परिवार यह सोचते थे कि बॉर्डर पर मेरे जवान, मेरा भाई, मेरा पति वहां पर खड़ा है? कश्मीर के हालात खराब हैं। कब उसकी पीड़ा कम होगी कि कश्मीर अच्छा रहेगा, कश्मीर खुशहाल रहेगा और जवानों के परिवारों को यह विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मेरा परिवार वहां पर ठीक है कि नहीं। आपसे मेरे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। इतिहास में आप जाना चाहते हैं कि क्यों कश्मीरी युवा इस देश से अलग होना चाहते हैं? क्योंकि आपकी इस तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से कश्मीरी युवा देश की धारा में आना चाहता है तो भी वह आ नहीं सकता। इस क्यों का मुझे आप जवाब दीजिए। क्यों कश्मीरी युवाओं को हाथ में किताब, औजार और आज स्किल इंडिया स्कीम जैसे 30 हजार युवाओं को हम स्किल दे रहे हैं, क्यों आप उनके हाथ में पत्थर दे रहे थे? क्यों कभी किताब और उनके हाथ में जवाब नहीं दिया? इस क्यों और इतिहास का आप मुझे जवाब दीजिए।

अभी मैंने सुना कि हर एक सरकार की आदरणीय तिवारी जी ने तारीफ की। यह बहुत अच्छा है। हम सभी करेंगे। उन्होंने उनकी सरकार के बारे में, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी का नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, डॉ. मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा सन् 1991 में जो सरकार थी, उस सरकार ने अच्छा काम किया तो उस सरकार के प्रधान मंत्री भी आपकी ही सरकार के थे। आप उनका नाम भूल गए थे क्या? या यह नाम आप क्यों नहीं ले सकते कि इस रूप से यह राजनीति यहां पर तैयार हो रही है? इस क्यों के जब प्रश्न निर्माण होते हैं तो मुझे एक ही मूल मंत्र दिखता है, जो आदरणीय तिवारी जी ने हमें दिया। उन्होंने भी हमारे सभी के प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूलमंत्र हमें बताया। इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत यह बोलने के लिए क्यों हमें साठ साल रुकना पड़ा? इस क्यों का जवाब मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है। मुझे याद है एकता यात्रा में सन् 1992 में लाल चौक में तिरंगा फहराया था। उस पर एक कहानी थी, एक अखबार में पढ़ रही थी। एक बुधगांव का मोहम्मद अशरफ आजाद नाम का 20 साल का जवान सन 1992 में लाल चौक देखने के लिए गया और देखा कि कैसे कोई देश का झंडा वहां पर लहरा सकता है। उसने अपना सल्यूट वहां पर दिया और उसने तभी कहा कि मैं भाजपाई को वहां पर देखकर अचंभित हो गया कि यहां पर आजू-बाजू रास्ते में टैरेरिस्ट घूम रहे हैं, लेकिन कश्मीर का झंडा भाजपाइयों ने वहां पर लहराया और मैंने सल्यूट किया और उस एकता यात्रा में हमारे अभी के प्रधान मंत्री और तभी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने वहां पर झंडा लहराया था, इस क्यों का जवाब मैं चाहती हूँ। यह विचारधारा है हमारी, इसी विचारधारा को हमें लेकर जाना है। कश्मीर भारत का शीर्ष है, उसको हमें झुकने नहीं देना है और उसको झुकने नहीं देने के लिए हम कार्यरत रहते हैं।

मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब सन् 1992 में झंडा फहराया और वर्ष 2015 की सरकार के बारे में यहां बहुत टिप्पणियां हुई, उस टिप्पणी में प्रधान मंत्री ने वर्ष 2015 में जब जम्मू और कश्मीर को 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया, तभी प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छे रूप से अपनी आवाम को, अपनी जनता को यह कहा कि दिल्ली का खजाना आप सबके लिए है। लेकिन दिल्ली से दिल्ली का दिल भी मैं आपके लिए हाजिर लेकर आया हूँ, इस प्रकार दिल से जोड़ने की राजनीति एन.डी.ए. सरकार ने की है।

मुझे यह कहने का सौभाग्य मिला कि जिस दिल को जोड़ने की राजनीति और जिस प्रकार की प्रक्रिया हमने शुरू की, 2014 से लेकर 2019 तक एनडीए की सरकार ने कायम रखा। जीएसटी काउंसिल में जम्मू और कश्मीर को लेना, इस बिल के पहले इसलिए ऑर्डिनेंस लाना, जिससे हम सबको साथ लेकर काम करें। जिन युवाओं के बारे में यहां बात होती है कि वे देश से अलग हैं, मैं खुद बहुत बार जम्मू और कश्मीर जाकर आई हूं, युवा मोर्चा की अध्यक्षा के रूप में मैं सबसे मिल चुकी हूं। उडान योजना से 30 हजार कश्मीरी युवकों को स्किल इंडिया के माध्यम से सिखाया और पढ़ाया गया है, उनमें से 18 हजार युवकों को नौकरी मिली, प्लेसमेंट मिला है। हमारे तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी जब वहां गए थे, तब 'वतन को जानो' के रूप में एक बहुत सुंदर पहल की गई थी कि कश्मीरी बच्चे अपने वतन को जानें। वे दिल्ली आए, मुंबई देखा, भारत देखा और इस तरह सैकड़ों बच्चे 'वतन को जानो' के माध्यम से जुड़ गए थे।

सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात तो अब हुई है एक-दो दिन पहले, जब हमारे वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह श्रीनगर पहुंचे, तब एक ऐतिहासिक बात हुई। वह ऐतिहासिक बात ऐसे हुई कि हम सबके प्यारे पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद पहले ऐसे गृह मंत्री श्रीनगर उतरे, जिनके खिलाफ वहां कोई वार्निंग नहीं थी, कोई विरोध नहीं था और कहीं कर्फ्यू भी नहीं लगाया गया। इस प्रकार से जम्मू और कश्मीर ने अमित भाई शाह का स्वागत किया। यह दिल से स्वागत था। मैं खुद जानती हूं, जब से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी, तब हमारे अध्यक्ष अमित भाई थे, अभी भी हैं। तब उन्होंने मुझे कहा था कि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं को जोड़कर, हम भारत की मुख्य धारा में लाकर काम करना चाहते हैं। मैंने उनकी बात सुनी। मुझे याद है 22, 23 और 24 अक्टूबर, 2017 को हम श्रीनगर गए, पूरे जम्मू और कश्मीर में हमारे कार्यक्रम थे और इतने सारे युवाओं से मैं वहां जुड़ी। जिस ऐतिहासिक स्टेडियम - शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, वहां पर युवा मोर्चा का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। मुझे यह कहने में फ़ख्र महसूस होता है कि वह इतना जबर्दस्त कार्यक्रम हुआ, उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पूरे कश्मीर और श्रीनगर के युवा आए। उनको वहां पर बहुत सारी वार्निंग भी दी गई थी कि आप भाजपा के कार्यक्रम में जाओगे तो आपको मार दिया जाएगा, लेकिन उस कार्यक्रम में 50

प्रतिशत लड़कियां थीं। वे युवतियां भी चाहती थीं कि वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और इस तरह से कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर्स, यंग लेक्चरर्स, म्युजिक कंपनीज, कौन-कौन नहीं मिला मुझे श्रीनगर में। 'टेक्नो' नाम का एक म्यूजिक बैंड मुझे श्रीनगर में मिला। उनका कहना था कि दीदी, हमें मुंबई ले चलें, आप हमें कहीं भी ले जाओ, हम दिखाना चाहते हैं कि हम श्रीनगर के यूथ भारत से टूटे हुए नहीं हैं। अतर इकबाल मिल, मुस्तफा कादरी, शब्बीर अहमद आदि बहुत सारे युवा मुझसे ऐसे मिले थे, जो अपनी कला पूरे देश में दिखाना चाहते थे और कहना चाहते थे कि हम इस देश की मुख्य धारा का हिस्सा हैं। मैं इस देश की ताकत हूं और मैं देश की ताकत को दिखाना चाहता हूं कि मैं कश्मीर यूथ नहीं, मैं भारतीय यूथ हूं। वे यह दिखाना चाहते थे।

वहां के हमारे जिलाध्यक्ष के परिवार से आदरणीय अमित भाई शाह परसों मिलकर आए। गौहर भट्ट - आज उनका नाम लेते हुए मुझे दर्द भी होता है और फ़ख्र भी होता है। वह जिलाध्यक्ष इतना खुश था, जब हमने दो-तीन दिनों का कार्यक्रम वहां किया और युवाओं से जुड़े। मैंने उसे कहा था कि जब आप मुंबई आओगे तो बॉलीवुड दिखाएंगे और पूरी टीम कह रही थी कि दीदी, हमें समुन्दर देखना है। मैंने कहा कि जरूर आएंगे और कार्यक्रम करेंगे। फिर उसने कहा कि देखता हूं मैं कितने समय रह पाउंगा, क्योंकि मेरे खिलाफ मिलिटेंट्स हर वक्त लगे रहते हैं कि तुम भाजपा के साथ जुड़े हो तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हर वक्त धमकियां मिलती आ रही थीं। जब मैं 24 अक्टूबर को मुंबई वापस आई, दो नवम्बर, 2017 को श्रीनगर के मेरे जिलाध्यक्ष की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ युवकों को भारत के साथ जोड़ना चाहते थे, उसकी निर्मम हत्या की गई, उसको मार दिया गया। पिछली बार जब मैंने गौहर भट्ट का विषय यहां उठाया तो कांग्रेस ने मेरा विरोध किया था। यह बात मुझे याद है क्योंकि मैंने एक ही सवाल पूछा था कि क्यूं कोई नेता पाकिस्तानी कौंसुलेट में जाकर अपने देश के प्रधान मंत्री के खिलाफ वक्तव्य देते हैं, लेकिन जब गौहर भट्ट जैसा कोई मारा जाता है तो कोई उसके बारे में, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता है? मैंने यह प्रश्न उठाया था। मैं खुश हूं कि शहीद गौहर भट्ट और युवा मोर्चा के ऐसे अन्य कार्यकताओं से खुद आदरणीय अमित भाई शाह मिले और गौहर भट्ट के परिवार को ताकत दी। इंस्पेक्टर अरशद खान, जिसके एक साल और पांच साल के बच्चे हैं। ऐसे अनेक लोग होंगे, लेकिन सबसे युवा बच्चा और एक छोटा परिवार

था, जब प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हमारी ताकत है जम्मू और कश्मीर और जब आदरणीय अमित भाई शाह उनके घर गए तो उन्होंने इतना ही कहा कि यह तुम्हारा नहीं, हम सबका बेटा है और आपके बेटे अरशद खान पर पूरे देश को फ़ख्र है।

हम इस तरह से काम कर रहे हैं। आर्मी हो या सीआरपीएफ हो, ऐसे सैकड़ों जवानों ने इस जम्मू और कश्मीर की ताकत के लिए अपनी जान दी है। यहां पर बहुत-सारी टिप्पणियां हुई कि क्या हुआ, कितने आतंकी मारे गए, आंकड़ा देना भूल गए, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि आतंकवाद के विरूद्ध जीरो टालरेंस, यह एन.डी.ए का मूल स्वभाव है, यह रहेगा और रहते रहेगा, इस रूप से काम कर रहे हैं। यह बिल दोनों रूप से है। हम क्यों चाहते हैं कि इसको ऑर्डिनैंस से छः महीना आगे बढ़ाए? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था कि जब यह सरकार बनी तो पानी और तेल साथ बहा, लेकिन हमने यह कोशिश की थी कि लोकतंत्र जिसके लिए आप लड़ रहे हो और जिसके लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, इस लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए एक सरकार होना बहुत जरूरी है। वह देश के विचारों की सरकार हो, साथ में मिलने की सरकार हो और काम करने की सरकार हो। हां, उस सरकार का काम नहीं हुआ। कुछ कारणों से, डेमोक्रेटिक, लोकशाही, लोकतंत्र के रूप से सरकार साथ में नहीं रही, लेकिन राष्ट्रीय रूप से भारत सरकार का काम सदैव चलता रहा। आप आज भी गवर्नर की वेबसाइट पर देखेंगे कि जब से प्रेसिडेंट रूल वहां लगा हुआ है तब से युवाओं से संबंध रखना, जनता से संबंध रखना जारी है। आज ऑर्डिनैंस के रूप में हमारे तीन सौ पचास गांवों में तीन लाख लोगों के फायदे के लिए बिल लाना। यह रिवर्जेशन बिल उनके लिए है, जो बॉर्डर के पास हमारे गांव के लोग रहते हैं, राजोरी, बिशना, छम, बिलावर, ये जम्मू रीजन के हैं, मैं वहां गई हूं। हम कुछ-कुछ जगहों पर लोगों से मिले हैं। वहां युवा मोर्चा काम करता था। जैसा कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान की बमबार्डिंग हमेशा चलती रहती है। घर में मां यह सोचती है कि कैसे मेरा बच्चा पढ़ेगा, मैं यहां पर कैसे रह पाऊंगी? वह मां यह सोचती है और बोलती भी है कि कितनी भी तकलीफ हो, मैं इस भारत में ही रहूंगी, भारत के लिए लड़ूंगी और उसकी ही नागरिक रहूंगी और आप लोगों ने सालों-साल उन नागरिकों का सम्मान दूर रखा। जो नागरिक रोज बमबार्डिंग देख रहे थे, जो नागरिक अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चिंता में थे, वह मां चिंता में थी, उस मां के लिए अपोजिशन ने कभी

नहीं सोचा। वे सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की राजनीति करते गए कि कहां पर मेरा वोट है और कहां पर उनका वोट है।

आज यह कहा जाता है कि हम राजनीति के परे उठें। यही वह बिल है कि जिसमें राजनीति से परे उठ कर सारे युवाओं को साथ में लाकर, हमें मुख्यधारा में लाना। यही राजनीति के परे उठ कर, इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत का मूल मंत्र आदरणीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया। उसी मूल मंत्र के साथ आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने यही कहा कि यह मूल मंत्र लेकर मैं अपना दिल कश्मीरी जनता को देना चाहता हूं। हर एक दीपावाली कश्मीर में हो। पहली बार जो कुछ भी हुआ, वह कश्मीर के लिए हुआ। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवकों के लिए और ज्यादा अच्छी तरह से सोचने की कोशिश की। जम्मू और कश्मीर के हर युवा को अपनी नस-नस में रखा।

इस देश में आर्थिक शक्ति बनने की ताकत है। आज हम इमर्जिंग इकोनॉमी में दस-ग्यारह नम्बर से पांचवे नम्बर पर आए हैं। देश को कोई एक प्रदेश, एक जाति या एक विभाग आगे नहीं बढ़ाएगा। जब पूरा देश आगे आएगा, इकट्ठा मिल रहेगा, तब ही हम आगे बढ़ेंगे। इसी विचारधारा को लेकर हम सभी साथ में आगे बढ़ें। सभी जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र चाहते हैं। वह अब तक तैयार नहीं हो रहा है। यह सवालिया निशान खड़ा होता है। खुद इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है, जो स्वायत्त रूप से अपना कार्य करती है, कि अभी चुनाव नहीं हो सकता है, कुछ समय के बाद चुनाव हो सकता है। आप जानते हैं कि आपने किसके साथ सरकार बनाई और हम ने किसके साथ सरकार बनाई। हर कोई उन चुनावों के विरोध में जा रहा है। वर्ष 2014 में आप जो सरकार छोड़ कर गए, उसके बाद क्या स्थिति हुई? उसके बाद आप अपनी पार्टी की स्थिति देखिए। आपका जम्मू-कश्मीर में कितना वोट शेयर रह गया है? आज भारतीय जनता पार्टी का वर्ष 2002 के आठ प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2019 में 48 प्रतिशत वोट शेयर हो गया है तो यह कैसे बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) वोट शेयर कोई पार्टी तय नहीं करती है वोट शेयर जनता तय करती है। जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ...(व्यवधान) जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हो। इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक,

पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों तक भारत को आगे एक स्वर्णिम काल में ले जाएं, यह जनता चाहती है, इसलिए मैं आपको वोट शेयर के बारे में कह रही हूं।

आप हर जगह का वोट गिनिए। मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रही हूं। आप पूरे देश में कांग्रेस का वोट शेयर देखिए, फिर सवालिया निशान खड़ा कीजिए कि आपने किया क्या था। आप जनता के इनटेलेक्ट का सवाल पूछ रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि वहां भाजपा की सरकार क्यों है और जम्मू-कश्मीर में भाजपा को इतना प्रतिशत वोट क्यों मिला है? देश की जनता ने तय कर लिया, आप उन्हें रोक नहीं पाओगे। देश की जनता ने तय कर लिया है कि कश्मीर इस देश का अभिन्न भाग था, है और रहेगा। इसे आगे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ले जाएंगे और स्वर्णिमकाल में कश्मीर का युवा भी देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा।

अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में अपनी वाणी को विराम देती हूं। जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ कोई सहिष्णुता नहीं, फिर भी कश्मीर में हमारे लोगों के प्रति बहुत प्यार है। यह कह रहे हैं कि कश्मीर की जनता हमसे टूट जाएगी। यह दुख की बात है कि एक राजनीतिक दल के सबसे महत्वपूर्ण नेता कह रहे हैं कि हमारी जनता ही हमसे टूटेगी। यह सोचना शर्मनाक है कि हमारे देश के लोग भारत से अलग होना चाहते हैं। इसके विरोध में हमें यह दिखाना चाहिए कि किस रूप से देश की जनता उभर रही है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जिस जम्मू-कश्मीर के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया, जिस जम्मू-कश्मीर के लिए श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, आर्मी ने बलिदान दिया, हमारी भारतीय जनता पार्टी और अन्य बहुत लोगों ने भी बलिदान दिया, आज उस जम्मू-कश्मीर की ताकत का सवाल है। कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं। मैं अमीर खुसरो जी की बात याद करती हूं –

"गर फिरदौस बर रूये ज़मीं अस्त,

हमीं अस्तो हमीं अस्तो हमीं अस्त।"

यदि पृथ्वी तल पर कहीं जन्नत है, तो कश्मीर में है, यहीं है, यहीं है, यहीं है और इस जन्नत को बरकरार रखने के लिए इन दोनों बिलों का मैं समर्थन देती हूं और मैं जानती हूं कि कश्मीर जन्नत सिर्फ और सिर्फ

नरेन्द्र मोदी की सरकार में रहेगा और देश उसके साथ आगे बढ़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): मैं जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में 19 दिसंबर, 2018 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 3.7.2019 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने पर बोलने के लिए उपस्थित हूं।

जम्मू और कश्मीर राज्य पर जून 2018 में राजनीतिक संकट गहरा गया जब पी.डी.पी. प्रमुख महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार राज्य में भाजपा के 25 सदस्यों द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण अल्पमत में आ गई। चूंकि राज्य का एक अलग संविधान है, इसलिए छह महीने के लिए राज्यपाल शासन आवश्यक था। सरकार बनाने के लिए खरीद-फरोख्त और स्थिरता की कमी का हवाला देते हुए विधानसभा भंग कर दी गई और अन्य दावेदारों को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया, जिसके बाद 19 दिसंबर, 2018 को अनुच्छेद 356 लगाया गया। आज इसे छह महीने के लिए और बढ़ाया जाना है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि किन कारणों से राज्य में चुनाव कराने में देरी हो रही है। साथ ही, हम उन कारणों को दूर करने और कश्मीरियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका देने के लिए कौन से आवश्यक कदम उठाने जा रहे हैं? जब भी हम जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो हम अतीत में चले जाते हैं और हमेशा दोषारोपण चलता रहता है। दलगत राजनीति से बाहर निकलकर घाटी में शांति स्थापित करने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। कश्मीर का दौरा करने और लोगों के साथ बातचीत करने के बाद, मैं इस तथ्य की पुष्टि कर सकती हूं कि वे शांतिप्रिय लोग हैं, जो सुंदर हिमालय की तरह शांति चाहते हैं, न कि घृणा संबंधी अपराध और आतंकवाद जैसे भूकंप चाहते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम अशांति फैलाने वाले कारणों की गहराई से जांच करें। सत्ता की भूख से सौहार्द स्थापित नहीं हो सकता। यह ईमानदार और सच्चा प्रयास ही है जो भारत के स्वर्ग को वास्तविकता में सुख समृद्धि की ओर ले जाएगा।

हम अगले छह महीने तक राष्ट्रपति शासन जारी रखने के सरकार के प्रयास का इस आधार पर समर्थन करते हैं कि वहां जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे और अगले सत्र में इसी मुद्दे पर दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

मैं केविन होसेनी को उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी, जिन्होंने कहा था: "मेरी मोमबत्ती अधिक रोशनी देती है क्योंकि इसकी रोशनी में बगल में जल रही तुम्हारी मोमबत्ती का प्रकाश शामिल है।" हमें एकजुट होना होगा और बेरोजगारी, असमानता, घृणा संबंधी अपराध और आतंकवाद की बुराइयों को दूर भगाना होगा। लक्ष्य प्राप्त करने का एकमात्र तरीका एक दूसरे का सहयोग करना है। संक्षेप में, मैं ईमानदारी से अपने विचार व्यक्त करते हुए यह बताना चाहती हूं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के बारे में पश्चिमी देशों की धारणा 'विकासशील' से 'एक शक्तिशाली देश' के तौर पर बदल गई है। लेकिन वास्तव में, आंतरिक मामलों में, यह अभी भी मानवाधिकार, गरीबी, आपसी फूट जैसे कई मुद्दों से ग्रस्त है, और इसका सबसे बड़ा कारण भेदभाव है।

नीतियां मौजूद हैं लेकिन नीति कार्यान्वयन में उदासीनता सरकार को पंगु बना देती है। जाति व्यवस्था हमारी संस्कृति के अस्तित्व में ही अंतर्निहित है। भारत में न केवल हिंदू, बल्कि मुसलमानों में भी ऊंच-नीच की अवधारणा है, जो दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं पाई जाती है। जाति आधारित भेदभाव हमारे समाज का कैंसर है। प्राधिकारियों ने इस प्रणाली को बाधित करने का प्रयास किया है, लेकिन परिणाम मामूली रहे हैं। उनके उत्थान के कई प्रयासों के बाद भी, हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि "सवर्ण हिंदुओं ने तमिलनाडु में दलित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रखने से इनकार किया।" यह कोई पुरानी खबर नहीं है, बल्कि 13 जून की ताजा खबर है, जहां "द हिंदू" दावा कर रहा है कि बच्चे किसी *दलित* के हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। यह कोई ऐसी खबर नहीं है जिसे 21वीं सदी के भारतीय सुनना चाहेंगे। यहां, मैं एन.के. जेमिसिन को उद्धृत करना चाहूंगी, जिन्होंने कहा था: "हम मानव नहीं हैं, यह सिर्फ एक झूठ है जो वे खुद से कहते हैं ताकि उन्हें हमारे साथ किए गए व्यवहार के बारे में बुरा महसूस न हो।", जिसका अर्थ है,

'हम' निम्न तबके के लोग हैं और 'वे' तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं। यह कोई मिथक नहीं बल्कि एक वास्तविकता है, आज भी, विशेष रूप से ग्रामीण भारत मे बड़ी संख्या में ऐसा देखने को मिलता है।

इस अवसर पर, मैं ईमानदारी से सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को अधिनियमित करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करना चाहूंगी, ताकि पेशेवर संस्थानों में नियुक्ति और प्रवेश में एस.सी., एस.टी. और एस.ई.बी.सी. को समान लाभ प्रदान किया जा सके। ऐसा करके सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दे रही है। सीमा पार लगातार तनाव के कारण, सीमा के पास रहने वाले लोग भारी पिछड़ेपन के शिकार हैं; और उन्हें राहत देना बहुत जरूरी था।

यहां, मैं यह बताना चाहूंगी कि एक नियामक निकाय का गठन किया जाना चाहिए जो किसी भी प्रकार की शिकायत निवारण के मामले को देखे। इन निकायों की शाखाएँ सुदूर क्षेत्रों में होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर के अंदरूनी ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में जहां संचार सुविधा अच्छी तरह से विकसित नहीं है, वहां भेदभाव होने पर कोई भी अपनी आवाज कैसे उठा सकता है? ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम हर दूसरे दिन ऐसे मामले देखते हैं।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि न केवल कश्मीर में बल्कि सम्पूर्ण भारत में, हमें कमजोर समुदाय की रक्षा करनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जनता की बात सुननी होगी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूं।

अंत में, महोदय, मैं यहां अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगी।

[हिन्दी] मैं इस सदन के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के नागरिकवृंद का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएँ दी हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : हम सभी के साथ यहां मौजूद मैम्बरान ने इतिहास की बात की। मेरे लिए ज़रूरी बनता है कि मैं भी इतिहास से शुरुआत करूं। जम्मू कश्मीर की कहानी और जम्मू कश्मीर के मुल्क की सत्ता ताल्लुकात की कहानी नाइंसाफियों की कहानी है, अन्याय की कहानी है। इससे पहले कि मैं इसका विशलेषण करूं, मैं बताना चाहूंगा कि यहां एक ऑनरेबल मेंबर ने ज़िक्र किया है कि 15 अगस्त, 1947 को जम्मू कश्मीर मुल्क का एक हिस्सा था। मैं उनको यह एजुकेट करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर 15 अगस्त, 1947 को एक खुदमुख्तार रियासत थी, न ही वह हिन्दुस्तान का हिस्सा था और न ही वह पाकिस्तान का हिस्सा था, वह बाद की बात है।

जब हमारे महाराजा ने मुल्क के साथ एक रिश्ता जोड़ा, उस वक्त एक वादा हुआ, आपसी विचार-विमर्श से एक एग्रीमेंट हुआ कि जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी दर्जा दिया जाएगा। यह विशेष दर्जा किसी से छीना नहीं गया था। इसे देश के बाकी हिस्सों ने स्वेच्छा से जम्मू-कश्मीर को दे दिया था। इसी हाउस ने 5 अगस्त, 1952 को दिल्ली एग्रीमेंट अप्रूव किया था। शुरुआत में, जब समझौता किया गया था, तो इसे कुछ शर्तों के अधीन रखा गया था। ये शर्तें कश्मीर के किसी व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि परिषद में महाराजा द्वारा रखी गई थीं। जनाब, दो तरह के अन्याय हुए। एक अन्याय, एक प्रयास ब्रिक बाय ब्रिक हुआ। हमें यह जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसको हम ऑटोनॉमी भी कहते हैं, रेसिड्युअल सॉवरनिटी भी कहते हैं, इसको डिमॉलिश करने का प्रयास हुआ। दूसरा अन्याय का तरीका हमको जम्हूरियत की दौड़ से अलग रखने का हुआ। [अनुवाद] यह सब कुछ 8 अगस्त, 1953 को शुरू हुआ जब पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया और बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें इस कारण से नहीं हटाया गया कि उन्हें सदन पर विश्वास नहीं था, बल्कि इस कारण हटाया गया कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं था। तब से यह दास्तां चल रही है, हमें वादा दिया गया था कि, जम्मू और कश्मीर को देश में एक विशेष दर्जा प्राप्त होगा, उसे ध्वस्त कर दिया गया। इसे न केवल समाप्त किया गया बल्कि उस पर अतिक्रमण और उल्लंघन भी किया गया। हमें जो भी शक्तियां, अधिकार या स्वायत्तता दी गई थी, उसका अतिक्रमण किया गया।

स्पीकर साहब, इब्तिदा से ही आज तक वह प्रयास जारी है। एक अन्याय का यह मामला है कि हमसे रोज़-रोज़ कहा जाता है कि आपका स्पेशल स्टेटस खत्म किया जा रहा है । [अनुवाद] ऐसा नहीं था कि संविधान सभा कहीं और की थी बल्कि यह देश की संविधान सभा द्वारा जम्मू-कश्मीर के लोगों से किया गया वादा था। अनुच्छेद 370 उस आश्वासन और प्रतिज्ञा को दर्शाता है। [हिन्दी] यह उस बैकग्राउंड में है । इसके अलावा जो दूसरा प्रयास रहा, जैसा कि मैंने गुज़ारिश की, वह जम्मू कश्मीर को जम्हूरियत की दौड़ से अलग रखने का प्रयास था । आप देखिए कि आज की सरकार अर्बन और लोकल बॉडीज़ के इलैक्शंस, पंचायत के इलैक्शंस और पार्लियामेंट के इलैक्शंस का क्रेडिट ले रही है । क्या वजह है कि असेंबली के इलैक्शंस नहीं कराए जा रहे हैं, ताकि वहां के लोग भी अपनी एक सरकार चुनें और एक चुनी हुई सरकार वहां का कामकाज संभाले? [अनुवाद] एक माननीय सदस्य ने कल कहा कि जब माननीय गृह मंत्री ने श्रीनगर का दौरा किया, तो हाल के वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई हड़ताल या बंद का आह्वान नहीं हुआ। यह बिना किसी देरी के चुनाव कराने का पर्याप्त कारण हो सकता है। [हिन्दी] रमज़ान का महीना तो जून में चला गया । उससे पहले पार्लियामेंट के इलैक्शंस हुए । उसके साथ-साथ ही असेंबली के इलैक्शंस किए जा सकते थे । 15 अगस्त को यात्रा खत्म हो रही है, उसके बाद इलैक्शंस किए जा सकते हैं । क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर को इस जम्हूरियत की दौड़ से बाहर किया जाने का प्रयास हो रहा है? [अनुवाद] हम 'लोकतंत्र के उत्सव' के बारे में बात करते हैं जहां लगभग दस मिलियन लोग उस उत्सव का हिस्सा थे। जब कोई कारण ही नहीं था तो जम्मू-कश्मीर को इससे दूर क्यों रखा गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा भंग करने का कोई कारण नहीं था और एक व्यवहार्य सरकार के गठन की संभावना मौजूद थी।

[हिन्दी]

लेकिन उसको नजरंदाज करते हुए गवर्नर राज हुआ, उसके बाद असेम्बली तहलील हुई और आज कोई कारण डेफर करने का नहीं है । मेरी गुज़ारिश होगी कि असेम्बली इलेक्शंस फौरन से फौरन कराये जाएं, ताकि एक रिस्पोंसिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट बन जाए और वह वहां का नज्म व नस्क संभाले । अब कुछ ऐलीवेण्टस दिया जा रहा है कि प्रेजीडेण्ट्स रूल से शायद हालात बेहतर हो जाएं । इस वक्त जो गवर्नर इंतजामिया, इससे वहां चीजों को ठीक करने और माहौल सामान्य करने में तेजी आ सकती है,

लेकिन हमने वर्ष 1990 से 1996 का तजुर्बा किया है। हमने 6 साल तक वहां प्रेजीडेंट रूल रखा तो 6 साल के बाद वहां पर कोई तब्दीली हुई । सबसे बेहतर यह होगा कि इलेक्शन फौरन कराए जाएं और एक रिस्पोंसिबल और जवाबदेह हुकूमत बनाई जाए । गवर्नर राज कितना भी ठीक और अच्छा क्यों न हो, लेकिन एक रिप्रेजेण्टेटिव नहीं कहा जा सकता है । ऐसे क्षेत्र में, ऐसे रीजन में, जिस रीजन में एक गल्फ है, गवर्नमेंट और अवाम के दरिम्यान, वहां जरूरी है कि जल्द से जल्द एक चुनी हुई सरकार आ जाए, ताकि जो गल्फ है, जो खाई है, वह ज्यादा वाइडन न हो जाए, जो एलियनेशन है वह ज्यादा बढ़ न जाए । इसी वजह से एक तो यह है कि कोई कंपेलिंग रीजन्स नहीं हैं और कॉन्स्टीट्यूशन जिसकी कल्पना करता है कि जब प्रेजीडेंशियल रूल हो तो ये हालात होने चाहिए, वे हालात ही नहीं । वहां से रिपोर्ट आ रही हैं, बड़ी अच्छी खबरे आ रही हैं । अभी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर गए थे, वे वहां से एक अच्छा संदेशा लेकर आ रहे हैं । मुझे लगता है कि कल जब वहां सब नॉर्मल था, खुद ही एक ऑनरेबल मैम्बर ने कहा है कि ये पहली बार इतिहास में है, हाल ही में वहां पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वहां पर यह भी आशा थी कि होम मिनिस्टर साहब इलेक्शन का ऐलान करें। ये भी था कि वे इंतजार कर रहे थे कि, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विशाल जनादेश के बाद, हम माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री के दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन देख रहे हैं। अब नई बात हो रही है, रीजनल ऐस्पिरेशंस की बात हो रही है, अपोजीशन के हरेक छोटी से छोटी सी बात को महत्व देने की बात हो रही है । इससे एक उम्मीद जागती है कि मेसिव मेण्डेट को ये कन्वर्ट करें, एक शांति की पहल में। शायद वहां पर लोग इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन का ऐलान करेंगे, बातचीत का ऐलान करेंगे, डायलॉग का ऐलान करेंगे । मेरी यह गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द बगैर किसी ताखीर के इलेक्शन किए जाएं । इलेक्शन मुल्क के खिलाफ नहीं हैं । इलेक्शन जो खाई है उसको पाटने के लिए है, सरकार और लोगों के बीच की खाई। कितना ही गवर्नर राज क्यों न हो, लेकिन वह रिप्रेजेण्टेटिव नहीं कहलाया जाएगा । हमारी शिकायत यह रही है कि सारे मुल्क में जहां हर तरफ जम्हूरियत का बोलबाला है, जम्मू कश्मीर को दानिस्ता तौर इस दौर से अलग रखा जाए । इससे क्या होगा कि एलियनेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, जो दूरी है वह ज्यादा बढ़ जाएगी । यह एक बात रही । इस यसमंज़र में,। [अनुवाद] मैं इस पृष्ठभूमि में, निकट भविष्य में बिना किसी देरी के विधानसभा चुनाव कराने का अनुरोध करूंगा। यह हर किसी के हित में होगा।

दूसरा, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक के संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि सैद्धांतिक रूप में, हम समाज के हर वंचित वर्ग के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं। यह एक स्वीकृत संवैधानिक साधन है। यह सकारात्मक कार्रवाई एक स्वीकृत संवैधानिक साधन है, जो वंचित स्थिति में रहने वाले लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। सैद्धांतिक रूप से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है । लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार, पदोन्नति और व्यावसायिक शिक्षा में हमारे पास तीन प्रतिशत आरक्षण है। असहमति के डर के बिना, माननीय गृह मंत्री मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में रहने वाले लोग अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में हैं।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर या उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक समान हैं। कृपया इसे समझें। यह 3 प्रतिशत, जो 3 फीसद हम साढ़े चार लाख लोगों को नौकरियों में, आसामीयों में और तालीम में दिया गया है, अब यह साढ़े चार लाख लोगों को साढ़े तीन लाख लोगों के साथ साझा करना करना पड़ेगा । हमने केवल परिभाषा बदल दी है। हमने परिभाषा को व्यापक बना दिया है। इन 4.5 लाख लोगों या आधे मिलियन लोगों को इस तीन प्रतिशत आरक्षण को आधे मिलियन से अधिक लोगों के साथ साझा करना होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा में ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र- पुंछ, राजौरी, नौशेरा शामिल हैं। दूसरी बात यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा में अधिकतर शहरी क्षेत्र आते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसे नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं कि इसका अन्य लोगों पर क्या प्रभाव होगा। इसे राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया जाता तो बेहतर होता। सौ आसामियां, जो पहले 5 लाख लोगों को मिलती थीं, अब ये सौ आसामियां दस लाख को शेयर कर रही हैं। यह उचित होता क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक से अधिक बार कहा है कि आरक्षण के मामले में अध्ययन होना चाहिए। एक व्यापक अध्ययन, एक गहन अध्ययन और आंकड़े उपलब्ध होने के बाद निर्णय लिए जाएं। इसे राज्य सरकार और विधानमंडल पर छोड़ा जा सकता था। इसमें सभी क्षेत्र से आंकड़े एकत्रित होंगे और यह सभी के लाभ के लिए एक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय लेने की बेहतर स्थिति में होगा। यह न केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा के लिए है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के

लिए भी है। मुझे नहीं पता कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन इस तरह हम सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को इससे वंचित कर देंगे। सौ में से अस्सी लोग या उससे भी अधिक लोग वास्तविक नियंत्रण रेखा पर होने वाली सीमा पार गोलाबारी से पीड़ित हैं। तो वे लोग अपने हिस्से से वंचित हो जायेंगे। यह एक तरह से उनके लिए हानिकारक होगा। बेहतर होता कि इसे राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया जाता। वे अपना निर्णय स्वयं ले सकते थे और आशा है कि उन्होंने वास्तव में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण का विचार रखा होगा। इस निर्णय का उन लोगों पर क्या प्रभाव होगा जो सबसे खराब क्षेत्रों यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में रह रहे हैं? ये वे लोग हैं जिनकी शिक्षा प्रभावित होती है और जिनके पास बी.एस.एन.एल. कनेक्टिविटी नहीं है। ...(*व्यवधान*) मैं कह रहा हूं कि इससे परोक्ष रूप से उनका आरक्षण प्रतिशत कम हो जाएगा। इसके बजाय अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए एक अलग आरक्षण श्रेणी होनी चाहिए थी या आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए था। अब यह तीन प्रतिशत पांच लाख लोगों के बजाय दस लाख लोगों को साझा करना होगा। इसलिए बेहतर होता कि इस पूरे मामले को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया जाता। स्पष्ट है, इस पर कोई भी निर्णय अध्ययन के बाद लिया जाता। सैद्धांतिक रूप में, हम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण के विरूद्ध हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से यह किया गया है, वह दोबारा देखने की जरूरत है ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हानि न हो।

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): आदरणीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं इन दोनों प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अभी तक हुई चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जो बातें कही गई, माननीय मनीष तिवारी जी ने कहीं, हमारे हसनैन साहब ने कहीं, मै उनको भी बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी इस विषय को लेकर कुछ दिनों से चर्चा चलती रही। अगले ही दिन डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला साहब की भी बात सुनने का मौका मिला, जब पार्टी प्रेसिडेंट्स की मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि इस रियासत को हिन्दुस्तान का हिस्सा बनाने में उनके वालिद का बहुत ज्यादा रोल रहा।

ये सारी चर्चा जब मैं सुन रहा था तो कभी-कभी ऐसी शंका होने लगी कि हम से ज्यादा चिंता उस तरफ के लोगों को है। हकीकत यह है कि हम सभी को जम्मू-कश्मीर की चिंता है। दूसरी तरफ के साथियों से कम नहीं है, उनसे ज्यादा ही होगी। मजबूरी यह है कि सत्ता पक्ष में रहकर उस तरीके से खुलेआम बोलने में अनुशासन बरतना पड़ता है।

<u>अपराह्न 1.45 बजे</u> (श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

चलते-फिरते बाइट्स देने की पाबंदी रहती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है और फिर मंत्री होने के नाते मर्यादा की पाबंदी और ज्यादा हो जाती है। वर्ष 1958 की एक गजल है, जिसका एक शेर है -

"मजबूर बहुत करता था दिल तो ज़बां को,

कुछ ऐसी ही हालत है कि हम कुछ नहीं कहते"

लेकिन उसी गज़ल का दूसरा शेर है -

"कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते"

आपने अवसर दिया है तो कुछ एक बातें स्पष्ट करने का मौका भी है, हमें पहले इसी बात से आरंभ करना चाहिए। इसमें तो कोई संदेह और विवाद नहीं है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस बात को इसी सदन में चर्चा करके पारित किया गया था। वर्ष 1994 में प्रस्ताव तत्कालीन सरकार की तरफ से आया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव, जिनके बारे में पूनम जी कहकर गयी हैं कि नाम लिया जाना चाहिए था, इसकी भरपायी मैं कर देता हूं। हमने उसका समर्थन किया था। [अनुवाद] इसी सदन द्वारा पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यही अंतिम स्थिति है। यदि कोई मुद्दा है, तो वह केवल यह है कि जम्मू-कश्मीर के उस हिस्से को किस प्रकार से पुन: प्राप्त किया जाए जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। अब यही एकमात्र बचा हुआ एजेंडा है। [हिन्दी] उसके बाद तो बहस की गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब हमारे कुछ साथी, जो कश्मीर केन्द्रित राजनीति करते हैं, उनकी मजबूरी है और उनका और वोट बैंक भी है। वे अपने आपको हम से ज्यादा कश्मीर परस्त मानते हैं। वे यह न भूलें कि जम्मू कश्मीर का जो आईन है [अनुवाद] क्योंकि जम्मू-कश्मीर का एक अलग संविधान है। वह स्वयं इस बात को स्वीकार करता है और, जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर, 1956 को अपनाया गया था। यह 26 जनवरी, 1957 को लागू हुआ। यह केवल सही आंकड़ें बताने के लिए है क्योंकि हसनैन साहब कह रहे थे कि हमारी तरफ से तारीखों में कुछ ख़लल हो रहा है। मुझे विश्वास है कि वे इस बात की सराहना करेंगे कि मैंने अपना शोध यथासंभव और बारीकी से किया है। वैसे भी, जम्मू-कश्मीर के संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार:

> "हम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लोग, 26 अक्टूबर, 1947 को इस राज्य के भारत में हुए विलय के अनुसरण में, राज्य के भारत संघ के साथ मौजूदा संबंधों को एक अभिन्न अंग और अधिक परिभाषित करने का संकल्प लेते हैं....."

और, जम्मू और कश्मीर के संविधान के भाग (2) के अनुच्छेद (3) के अनुसार, मैं इसे उद्धृत करता हूं:

"जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा।"

[हिन्दी]

अब भारत का संविधान भी इसी स्थिति को मानता है। जम्मू-कश्मीर का संविधान, जिसमें उनको ज्यादा आस्था नज़र आती है, वह भी यही मानता है। तो फिर बहस के काबिल क्या बात रह गयी। आज चर्चा हुई है कि प्रज़ीडेंट रूल को एक्सटेंड किया जाए या नहीं। यह भी कहा गया कि सात वर्ष तो प्रज़ीडेंट रूल तब चला था, जब सरकार दूसरे दल की थी। केन्द्र में कांग्रेस थी। एक-एक करके दो-चार मिनट लेकर जो आरोप सदन के भीतर और बाहर बार-बार लगाए गए हैं, उन पर कहना चाहूंगा। सबसे पहले यह कहा जाता है और सुनने में ऐसा लगता है, अभी हसनैन साहब भी कह रहे थे कि मानो भारतीय जनता पार्टी और सरकार ही नहीं चाहती है कि इलेक्शन हो। यह सारा भाषण सुनने से ऐसा लगा कि मानो हमने रोका हुआ है। यह बड़ी गम्भीर बात है। यह बड़ा गम्भीर आरोप है।

सत्ता पक्ष की ओर से इसका उत्तर आना भी चाहिए। लेकिन मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यह आरोप उस मानसिकता से आता है, जिस मानसिकता से 50-60 वर्ष इस देश और इस प्रदेश में उन पार्टियों ने शासन चलाया है, जो शायद इलेक्शन कमीशन और इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग अपने लाभ के लिए करते थे। वे समझते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का उपयोग तिथियां तय करने और मैनुपुलेट करने में लाए होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी वह करेगी। लेकिन हम एक भिन्न दल हैं। इसीलिए हमें – पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है।

चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, हम उसका पूरा आदर और सम्मान करते हैं। उसकी स्वायत्ता का आदर करते हैं। उसमें हम दखल नहीं देते। यह इलेक्शन कमीशन का निर्णय है कि अभी चुनाव न हों। इलेक्शन कमीशन का प्रिरोगेटिव भी है, अधिकार भी है कि वह अपने इनपुट्स सिक्योरिटी एजेन्सीज़ से प्राप्त करे। हालात साज़गार हैं, नहीं हैं, अपने आपको जब संतुष्ट करें, तो आगे बढ़ें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हम पर यह आरोप न लगाया जाए कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। हम एक 24x7x365 दल हैं। हम उन राजनीतिक दलों की तरह नहीं हैं, जो इलेक्शन के समय एक्टिव हो जाते हैं और हम उन राजनीतिक दलों की तरह भी नहीं हैं, जो इलेक्शन के समय मंदिरों के चक्कर

लगाने लगते हैं। हमारी एक परंपरा है, हमारा एक अनुशासन है, हमारी एक प्रणाली है। हम हर समय हर चुनाव के लिए तैयार हैं, चाहे वह विधान सभा का हो, चाहे लोक सभा का हो और चाहे वह स्थानीय ईकाइयों का हो। इसलिए यह कहना कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसके लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर उंगली उठाना, संविधान की उच्चतम संस्था इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाने के बराबर है।...(व्यवधान)

दूसरी बात, यह आरोप लगा कौन रहा है? यह आरोप वे राजनैतिक दल लगा रहे हैं, जिन्होंने घाटी और जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और स्थानीय ईकाइयों के चुनावों का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? अभी बात आएगी, संविधान की, जिसकी अभी बात कर रहे थे, क्योंकि जयेश साहब तो हमसे ज्यादा कानूनसाज़ हैं।...(व्यवधान) उस वक्त यह स्टैंड लिया गया था। 'जब तक अनुच्छेद 35क का मुद्दा हल नहीं हो जाता हम चुनाव नहीं लड़ेंगे"। फिर दो ही महीनों में क्या हुआ? लोक सभा का चुनाव आया, आपको लगा कि 8-10 प्रतिशत मतदान होगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि कभी समय आएगा, कोई यह भी राय रखेगा कि जब तक कोई न्यूनतम वोट टर्नआउट न हो, तब तक लोक सभा के सदस्यता को मान्यता ही न दी जाए। वरना तब तक हमें इन 8 प्रतिशत वाले सदस्यों को बर्दाश्त करना पड़ेगा।...(व्यवधान) आपने सोचा होगा कि कम वोट प्रतिशत का लाभ आपको मिलेगा इसलिए आप अनुच्छेद 35क को भूल गए। आपको तो कश्मीर की आवाम को जवाब देना होगा कि 35 क पर आपका क्या स्टैण्ड है? आप हम पर तो स्पेशल स्टेटस की तोहमत लगाते हैं। माननीय रवि शंकर जी तो हम सबसे ज्यादा कानून के माहिर हैं। हमारे ऊपर वह पार्टी आरोप लगा रही है, जो आटॉनमी का दावा करती है। इसलिए उन्हें पंचायतों में स्वायत्तता नहीं चाहिए। उन्हें स्थानीय निकायों में स्वायत्तता नहीं चाहिए। फिर वे स्वायत्तता क्यों चाहते हैं – अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए? जिस पार्टी का सबसे प्रमुख एजेंडा आटॉनमी है। यह ऐसा दल है जो स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए स्वायत्तता से इनकार करता है। इन बातों के कान्ट्रिडिक्शन का जवाब कौन देगा?

एक दूसरा आरोप बार-बार लगाया जा रहा है, आज यहां भी लगाया जा रहा है और बाहर भी लगाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि सत्ता पक्ष में होते हुए उत्तर देने में थोड़ी मजबूरी होती है। हमें आंकड़ों को सही करना है। दूसरी बात यह कही जाती है कि यह सब कुछ जो हुआ है, वह वर्ष 2014 के बाद हुआ है।

हालात खराब हो गए, बद से बदतर हुए। मनीष जी भी ने कहा और जयेश साहब ने भी कहा है, मैं उनकी बात की कद्र करता हूं। उन्होंने अपने नज़रिये से हालात को देखा है। भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में वर्ष 2014 में आई। जम्मू-कश्मीर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार वर्ष 2015 में आई। 50-60 वर्ष पहले तक आपके पास सारी बागडोर थी, क्या आप हमारे लिए राम राज्य छोड़कर गए थे? क्या आपके राम राज्य को हमने तीन सालों में ही अस्त-नस्त कर दिया? इतिहास की बात की जा रही थी।

श्री मनीष तिवारी: मंत्री जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? ...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। ...(*व्यवधान*)

माननीय सभापति : तिवारी जी, प्लीज।

...(<u>व्यवधान</u>)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : तिवारी जी, मंत्री जी समय नहीं दे रहे हैं। आप यह जानते है।

… (*व्यवधान*)

डॉ. जितेंद्र सिंह: मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की, लेकिन आपके मन में जो भी है, मैं अगले कुछ पलों में उसका उत्तर दूंगा। [हिन्दी] मैं उस तक आ रहा हूं। यह सब पीछे से शुरू हुआ न, यह भी तो 1947 से शुरू हुआ था। चलिए हम अब वहीं से शुरू होते हैं। आप इतिहास की बात कर रहे हैं। [अनुवाद] आपने वर्ष 2014-15 में हमें विरासत के रूप में जो सौंपा था, गलतियों की एक श्रृंखला और गुमराह प्रयोगों का सामूहिक परिणाम थी जो इतिहास में कुख्यात नेहरू काल की गलतियों से शुरू हुई थी। [हिन्दी] इतिहासकारों ने लिखा है- नेहरूवियन ब्लंडर्स। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। पूनम जी ने उसकी थोड़ी सी चर्चा की है। फिर तो बहस उसी पर चल पड़ेगी। वहां से ले कर आज तक क्या हुआ? [अनुवाद] यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने ही सहयोगी, कैबिनेट में नंबर 2, तत्कालीन गृह मंत्री को जम्मू और कश्मीर को उसी तरह से संभालने की अनुमति दी होती, जिस तरह से वह भारत के अन्य राज्यों को संभाल रहे थे, तो जम्मू और कश्मीर का इतिहास कुछ और होता। यह केवल इसलिए हुआ कि पंडित जी को लगता

था कि वह जम्मू-कश्मीर को अपने गृह मंत्री से ज्यादा जानते हैं, [हिन्दी] तो सरदार साहब को जम्मू-कश्मीर से बाहर रखा गया। वर्ना आज इतिहास अलग होता, न केवल जम्मू-कश्मीर और भारत का, बल्कि भारतीय उप-महाद्वीप का और यह पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर भी आज भारत का ही हिस्सा होता। अब यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपने प्रजातंत्र को भी तहस-नहस कर दिया है, जो ये कह रहे हैं सन् 2014 के बाद क्या हुआ। आपको प्रजातंत्र में आस्था नहीं है! दो मिनट लगा कर मैं प्रश्न करता हूँ कि कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में प्रजातंत्र के साथ क्या किया? फिर कहेंगे कि पूरी खोज करते हैं। हसनैन साहब सन् 1953 की बात कर रहे थे। पहले मैं कांग्रेस की बात करूंगा फिर नैशनल कांग्रेस की बात करूंगा। शेख अबदुल्ला को गद्दी पर बिठाया। सन् 1953 में उसी शेख अब्दुल्ला को उठा कर कोडेकैनाल की जेल में भेज दिया। यह कांग्रेस का रूल है। फिर फ़ारुख अब्दुल्ला साहब को सन् 1983 में मुख्य मंत्री बनाया और कुछ ही महीनों के बाद उनका तख्तापलट कर के उनके बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्य मंत्री बना दिया। यह कांग्रेस का काम है। यह उनका प्रजातंत्र है। आंकड़ों का और अंकों का खेल करना, नंबर्स की गेम करना जब उनको सूट करता था। अब सब समझते हैं कि हम भूल गए हैं, लेकिन हम भूले नहीं हैं, लेकिन हम किसी को भूलने भी नहीं देंगे। पीढ़ियां बदल गई हैं। राजनीति में भी नए लोग आ गए हैं और पत्रकारिता में भी नए लोग आ गए हैं। लेकिन हम याद करवाते रहेंगे।

अब मैं आता हूँ कि नैशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? यह ठीक है कि फ़ारुख़ साहब उस दिन कह रहे थे कि हमारे वालिद न होते तो शायद जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान में होता या हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं होता। उनका अभिनन्दन है। सन् 1953 तक जब वे रहे, उस समय प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, वज़ीरे आज़म कहा जाता था तो वे कहते थे कि हम भारत के साथ हैं। फिर जब वे कोडेकैनाल पहुंचे तो उसकी ठंडी आबोहवा में क्या ऐसा बदलाव आया कि प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, जनमानस की राय, ये बातें कहाँ से आई? आप कुर्सी से बाहर होते ही कश्मीर में यह बात करने लगे कि प्लेबिसाइट कराइए कि हिन्दुस्तान में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है कि जाना है कि कहां जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। यह आपकी प्रजातंत्र के प्रति आस्था और प्रतिबद्धता का इतिहास है। सन् 1953 के बाद आपने प्लेबिसाइट की भी बात की। आपने रेफरेंडम की भी बात की। आपने जनमानस की राय की बात की। 20 साल तक

आप यह कहते रहे। सन् 1953 तक आप हिन्दुस्तान के साथ थे, उसके बाद फिर एक और पलट आया, सन् 1975 में, इंदिरा जी ने आपको दोबारा मुख्य मंत्री बनाया। तब आप फिर हिन्दुस्तान के साथ हो गए। आपकी नज़र में जम्मू-कश्मीर ...(व्यवधान) [अनुवाद] मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। मैं हर बात का उत्तर दूंगा. ...(*व्यवधान*) नहीं, मैं समय नहीं दे रहा हूं। ...(*व्यवधान*)

श्री मनीष तिवारी: इतिहास को चुनिंदा तरीके से उद्धृत न करें। ...(*व्यवधान*)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: मैं उद्धृत करूंगा। यदि आप उद्धृत कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ...(*व्यवधान*) नहीं, आपने इतिहास का गलत उद्धरण दिया है। मैं रिकॉर्ड को सही कर रहा हूं ...(*व्यवधान*) मैं रिकॉर्ड को सही करूंगा। ...(*व्यवधान*) मैं उद्धृत करूंगा। यदि आप गलत उद्धरण दे सकते हैं, तो मैं उसे सही करते हुए उद्धरण दूंगा। ...(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कृपया उन्हें बोलने दीजिए। मनीष जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : बिधूड़ी जी, आप बैठिए, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं न।

...(<u>व्यवधान</u>)

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

[हिन्दी]

डॉ. जितेन्द्र सिंह: इतना ही नही, जो मै कह रहा हूं वह रिकॉर्ड में है। 975 में देवीदास ठाकुर समिति का गठन किया गया था, जो कि केवल आपके जनमतसंग्रह से भारतीयता की तरफ मुड़ने को न्यायोचित ठहराने के लिए थी और उसने रिपोर्ट दी, जो मंत्रिमण्डल में पेश हुई। उसका तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुला ने अनुमोदन किया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय संविधान के जितने भी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हुए तब तक शायद 200 हुए थे, वे सारे जनहित में हैं, प्रदेश हित में हैं। अब कहा जाता है कि हमारा स्पेशल स्टेट्स खराब हो गया। ये प्रावधान असेम्बली के अनुमोदन से जम्मू-कश्मीर तक पहुँचाए गए। उस समय सरकारें किसकी थीं, नेशनल कांग्रेस की। हम तो अभी तीन साल पहले आए। फिर वर्ष

1987 की बात पोखरियाल साहब ने की। यह जम्मू और कश्मीर के इतिहास में निर्णायक मोड़ था और आतंकवाद की शुरूआत थी जिसका हम आज तक सामना कर रहे हैं। वहाँ के ही एक ऐसे युवा उम्मीदवार थे, जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया या उनको चुनाव में खड़ा नहीं होने दिया गया, वह जाकर आतंकी बने। इन बातों का जवाब कौन देगा? फिर यह कहा जाता है कि आप पीडीपी के साथ कैसे आ गए? मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर कहता हूं कि पी.डी.पी. के साथ गठबंधन जम्मू और कश्मीर की जनता के आदेश से प्रेरित था। चुनाव के तीन महीने तक कोई राजनीतिक दल सामने नहीं आया। अगर आज हम भी न आते तो आज इसी सदन में यह आरोप लगता कि हम अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से पीछे हट गए। लेकिन खूबी यह कि ढाई वर्ष के बाद जब ऐसा लगा कि लोगों में एक ऐसी राय बनने लगी और हम एक मिनिमम प्रोग्राम लेकर आए। हम असहमत होने पर सहमत हुए कि हम अपने वैचारिक विषयों को दरकिनार करके मात्र और मात्र विकास के रास्ते पर चलेंगे, एक एजेंडा ऑफ एलाइंस लेकर, लेकिन जब हमारे लोगों की यह राय बनने लगी कि यह प्रयोग उस तरह से सफल नहीं हो रहा है जैसे हमने चाहा था, हम गठबंधन से अलग हो गए हमें कोई मजबूरी नहीं थी। हमारे नेता वहाँ मंत्री थे, हमारे पास बहुमत था। कभी ऐसा हुआ है कांग्रेस के इतिहास में कि बहुमत में रहते हुए मंत्री पद छोड दें। पी.डी.पी.के साथ हमारा गठबंधन जम्मू और कश्मीर की जनता के आदेश से प्रेरित था और जनादेश के कारण ही हम गठबंधन से अलग हो गए क्योंकि हम एक अलग तरह का दल हैं। इसी के साथ-साथ मैं एक और बात और जोडूंगा, जो आरक्षण की आई है। यह आरक्षण की बहस की नौबत क्यों आई क्योंकि आपने अपनी सुविधानुसार अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35क सहित भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ की। जब आपको कनविनिएंट होता है, तो आपका स्पेशल स्टेटस हो जाता है, जैसे हसनैन साहब कह रहे थे। जब नहीं होता, तब नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे नहीं होता। आधुनिक भारत का सबसे ज़्यादा काला कालखंड है- इमर्जेंसी का और उसका एक काला कानून है, जिसमें विधान सभा की अवधि पाँच साल से छ: वर्ष कर दी गई। जब माननीय इंदिरा गांधी जी यह अमेंडमेंट नहीं लाई, यह 42 और 43 अमेंडमेंट था।... (व्यवधान) 43 बाद में पास होते हुए। शेख अब्दुल्ला मुख्य मंत्री थे, तुरंत उसे अपना लिया, तब भारतीय संविधान के प्रति इतनी ज़्यादा वफादारी जागी कि उन्होंने कहा कि हमारी भी अवधि बढ़ती है पाँच से छ:, लेकिन तीन वर्ष बाद मुरारजी भाई आए। इस अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया गया और यह 45वें और 46वें संशोधन के रूप में आया। उस वक्त

आपका स्पेशल स्टेटस हो गया। अभी तक वापस नहीं है। एकमात्र ऐसी विधान सभा है, जहाँ 6 साल की अवधि है। हम माँग करेंगे उसको भी लाया जाए। आप पहले यह तो तय करिए कि आप स्पेशल स्टेटस के साथ है कि नॉन स्पेशल स्टेटस के साथ हैं? आप एक तरफ स्पेशल हो जाते हैं, एक तरफ नॉन स्पेशल हो जाते हैं, जहाँ आपको लाभ मिलता है, यही बात आपने वर्ष 1953 और वर्ष 1975 में की। यही बात आपने वर्ष 1996 में की, जब हसैनन साहब की पार्टी ताना लगाती थी एनडीए-एक पर कि आप क्यों नहीं जाते, आतंकवादियों के शिविरों पर हमला क्यों नहीं कर देते? आज वह कुछ और ही बात कर रहे हैं, जो सुर है, वह आप जानते हैं। चुनाव बहिष्कार, स्वायत्तता, सीमांकन - बहुत जल्दी अपना लिया इन्होंने वह कानून वर्ष 2026 तक। उस समय इनको स्पेशल स्टेटस नजर नहीं आया। आप सोचते ना, आपका स्पेशल स्टेटस है, आपने क्यों लागू किया? अगर निषेध था हमारे देश में तो आपको तो कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन आपको लगा कि यह चलता रहेगा। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन राजीव गांधी ने किए, कांग्रेस पार्टी ने किए। कांग्रेस पार्टी कम से कम आग्रह करती अपने सहयोगी दल से, इसको लागू करो, वह नहीं किया। उस वक्त स्पेशल स्टेटस आ गया।

आरटीआई का प्रोविजन, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को अभी तक नागरिकता का अधिकार नहीं है। पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर वालों के लिए अभी मुआवजा देने की प्रकिया मोदी सरकार ने की। आपने स्पेशल स्टेट्स की धज्जियाँ तो स्वयं उड़ाई हैं और तीन प्रतिशत आरक्षण एलओसी इसलिए दिया गया, क्योंकि वहाँ आपका वोट बैंक था। यह भेदभाव केवल सीमांत क्षेत्र के युवाओं के साथ नहीं था बल्कि मानवता के खिलाफ था। आपने सीमा के आधे क्षेत्र को आरक्षण दिया, उससे अगले क्षेत्र को नहीं दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगता था, इत्तेफाक से वह कठुआ और हीरानगर का मेरा चुनावी क्षेत्र है। वह पंजाब के साथ लगता है, मनीष जी जानते हैं, उसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, एल.ओ.सी. पी.ओ.जे.के. के साथ है। उसे दे दिया, इसे नहीं दिया। हमने तो उस पाप का प्रायश्चित किया है, जो आपने युवाओं और मानवता के साथ किया। हमने इस नीति को बदलने का प्रयास किया। कहीं यह इतिहास विश्वेषण करेगा कि आपकी कौन सी मजबूरी थी कि आपको 3 प्रतिशत आरक्षण वहाँ देना पड़ा। मैं दो मिनट का समय लेकर अपनी बात समाप्त करूँगा। अब एक बात और भी आई कि क्यों नहीं बातचीत की जाती। मनीष जी ने कहा कि

हिजबुल के कुछ नुमाइंदों के साथ हमारी बात हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत ज्यादा कत्ल-ओ-गैरत हो रही है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मृतकों की संख्या पर राजनीति करना या ये कहना कि आपके शासनकाल में अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, उचित नहीं होगा। हमारा संस्कार वैसा नहीं है, लेकिन अगर वैसा ही करें तो वर्ष 2008 में क्या हुआ? अमरनाथ आन्दोलन तो आपके होते हुए हुआ, उस समय मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे। एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा अमरनाथ के लिए स्थायी तौर पर देना था, उस पर इतना विवाद हुआ। वर्ष 2010 में क्या हुआ? उस समय नेशनल कांफ्रेंस की सरकार थी, उस समय इतना लंबा स्पेल ऑफ वाइलेंस चला। जब आप कहते हैं कि सेपरेटिस्ट से बात हो या दूसरे लोगों से बात हो, खैर उसका निर्णय तो गृह मंत्रालय करेगा, लेकिन आप कितनी कन्विक्शन और कितनी करेज के साथ कह रहे हैं, यह तो समझ में आना चाहिए। जिन लोगों में इतना साहस नहीं 'एक आतंकवादी को आतंकवादी कहने का' ऐसा कहते हुए उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है, लेकिन फौजी, सेना पर अंगुली उठाने में दो मिनट नहीं लगाते। इतना भी परहेज नहीं करते कि उनके गिर्दोनिवाह जो एसपीजी और सीआरपीएफ के लोग उनका पहरा दे रहे हैं, उन्हें गाली देने का वे घोर पाप कर रहे हैं। यह एक अपवित्रता है। यह एक ऐसा पाप है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। फिर बातचीत क्यों की जाए और किससे की जाए? आपके ज़हन में वही तीन-चार चेहरे घूम रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि वे स्टेक होल्डर्स हैं। हितधारक कौन हैं? कश्मीर घाटी तो पूरे जम्मू-कश्मीर का केवल एक तिहाई हिस्सा है। जम्मू और लदाख के बारे में क्या कहेंगे? कश्मीरी पंडित समुदाय को इतनी बड़ी मात्रा में रातोरात घर, रसोई छोड़कर भागना पड़ा। क्या वे हितधारक नहीं थे? विश्व इतिहास में, वर्ष 1947 के विभाजन के बाद, यह सबसे बड़ा नरसंहार था। उस समय बजाय सहानुभूति देने के यह कहा गया कि ये नोएडा, दिल्ली, जम्मू में प्लॉट लेने आए हैं।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): दस साल एनडीए सत्ता में रही।...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: नहीं, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। ...(*व्यवधान*) आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। “मोहसिन भोपाली” ने बंटवारे की कत्ल-ओ-गैरत देखकर एक शेर कहा था कि:

बे-सबब लोग बदलते नहीं मस्कन अपना।

तुम ने जलते हुए देखा है नशेमन अपना॥

इतनी गैर संवेदनशीलता के साथ आपने परदों के विषय को लिया। पीओजेके के रिफ्यूजीज का क्या हुआ, पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों का क्या हुआ और अब बात यह कही जाती है। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, उग्रवाद ख़त्म होने की राह पर है। हम कश्मीर में आतंकवाद के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं। आप इसे नोट कीजिए और कुछ एक महीनों के बाद हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। बालाकोट के बाद सेना का मनोबल बढ़ गया। प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मोदी सरकार ने आतंकवाद के साथ कैसे निपटा जाए, उसका नैरेटिव बदल डाला। जहां तक आंतकवाद से जीरो टॉलरेंस के साथ निपटने का संबंध है इसमें बड़ा परिवर्तन आया है और फिर कहा जाता है कि अभिनंदन तो वहाँ गया ही नहीं था। नेशनल कांफ्रेंस के कुछ नेताओं ने यह कह डाला। मैंने कहा कि हम तो ऐसा नहीं कहते, हम तो सोते-जागते भी, सपनों में भी हमारा संस्कार ऐसा है कि हम सेना के ऊपर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाते। हम एक साधारण कार्यकर्ता की तरह यही कह सकते हैं कि अगली बार जब अभिनन्दन जाए, क्योंकि वह ड्यूटी पर आ गया है, तो कुछ एक ये भी अपने प्रतिनिधि परखने के लिए भेज दें कि कुछ हुआ या नहीं हुआ।

[अनुवाद] अब, मैं समाप्त करने से पहले एक गंभीर आरोप लगा रहा हूं और ऐसा करने में मुझे कोई झिझक नहीं है।

कश्मीर में आतंकवाद जारी रहने में एक निहित स्वार्थ है। यह निहित स्वार्थ न केवल समाज के अन्य वर्गों तक ही सीमित है, बल्कि इसमें तथाकथित मुख्यधारा के राजनीतिक दलों का भी स्वार्थ है, जो कम मतदान होने से लाभ उठाते हैं, डर के माहौल में चुनाव कराने से लाभ उठाते हैं, जो उन्हें अपने राजवंश शासन को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखने में सक्षम बनाता है। [हिन्दी] आज अगर वहां माहौल बन जाए, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से खुले तौर पर चुनाव हो, तो शायद इनको दिक्कत होगी। साथ ही साथ, हमारे बुद्धिजीवी हैं। एक नया चलन शुरू हुआ है। दो दिनों के लिए कश्मीर जाइए, शिकारे की सैर कीजिए, दिल्ली आइए और किताब लिख डालिए। आप कश्मीर एक्सपर्ट बन गए। [अनुवाद] राजनीतिक क्षेत्र के कश्मीर विशेषज्ञों और बौद्धिक रूप से कश्मीर को जानने वाले विशेषज्ञों के मध्य कूटनीतिक अंतर है। यह बौद्धिक आतंकवाद है, मैं 'बौद्धिक आतंकवाद' शब्द को दोहराता हूं, यह देश को उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है जितना कि आतंकवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखें।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदय, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ।

अंत में, मैं यह कहूंगा कि एकमात्र उम्मीद की किरण कश्मीर के युवा हैं। जिसकी आपने अभी चर्चा की है। कश्मीर का युवा कितना आगे बढ़ चुका है, मैं जो भी बात कह रहा हूं, आंकड़ों के साथ कह रहा हूं, ऑन-रिकॉर्ड कह रहा हूं। हर वर्ष सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, आई.ए.एस. टॉपर्स में एक न एक टॉपर कश्मीर घाटी के आतंकवाद प्रभावित जिले से रहता है। पिछले वर्ष 35 से 40 बच्चे आई.आई.टी. जे.ई.ई. की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर देश भर में आई.आई.टीज. और एन.आई.टीज. में गए। 50 बच्चे एन.ई.ई.टी. के थ्रू मेडिकल कॉलेजों में गए। कभी-कभी तो व्यक्ति ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कश्मीर के युवाओं की आकांक्षाएं शायद देश के अन्य हिस्सों में उनके समकक्षों की आकांक्षाओं से अधिक हैं। लेकिन वह एक भय, खौफ़ के पर्दे से रुका हुआ है। जिस दिन वह खुलेगा ,यह पर्दा चला जाएगा।

जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हमारी नीयत, हमारी कन्विकशन पर कोई प्रश्न उठाए, इसका सवाल ही नहीं होता। हमने कश्मीर में भारी निवेश किया है। हमने कश्मीर में अपने संस्थापक नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खोया है।

अंत में, मैं यह कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो डेवलपमेंट की बात की है, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मोदी सरकार के चलते और राज्यपाल शासन के बाद दो-दो एम्स, पाँच-पाँच मेडिकल कॉलेज बने। पुलों का जाल बिछ गया, सड़कों का जाल बिछ गया, रिजनल बैलेंस जाता रहा, जिसकी शिकायत जम्मू और लद्दाख करते थे। आज यह जो तीन प्रतिशत आरक्षण का बिल लाया गया है, यह भी उसी का प्रमाण है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह प्रार्थना करता हूं कि एक आतंकवादी हमेशा एक आतंकवादी ही रहता है। और यही अंतिम सत्य है। आइए इसे सुरक्षा एजेंसियों के विवेक और बुद्धि पर छोड़ दें कि इससे कैसे निपटना है।

दूसरा, मैं अपनी बिरादरी के सज्जनों से प्रार्थना करता हूं कि कृपया आतंकवादी या आतंकवाद की धमकी का प्रयोग हमारे साथ अपनी राजनीतिक प्रतिद्धंदिता निकालने के लिए न करें। जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद की सहायता लेते हैं, वे उसी आतंकवाद के शिकार हो जाते हैं। यह चेतावनी हमारे लिए तो है ही, आपके लिए भी रहेगी। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहूंगा कि आज कश्मीर में पोस्ट-1990 जेनरेशन है। [अनुवाद] 70 प्रतिशत से अधिक आबादी 40 वर्ष से कम आयु की है। वे आगे बढ़ गए हैं। आपको पसंद हो या न हो, किसी को पसंद हो या न हो, कश्मीर का युवा मोदी की 'नए भारत' की विकास यात्रा का हिस्सा बन चुका है।

श्री रघु राम कृष्ण राजू (नरसापुरम): मैं अपने ऊर्जावान नेता श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को इक्कीस अन्य संसद सदस्यों के साथ इस सम्मानित सभा में भेजने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की लगातार अभूतपूर्व जीत पर उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं वास्तव में इस संबंध में इस टीम की सराहना करता हूं।

अब, मैं इन दो विधेयकों पर आता हूं जिन्हें पटल पर रखा गया है। पहला अनुच्छेद 356 के तहत अध्यादेश को छह महीने के लिए बढ़ाने के बारे में है, जो पी.डी.पी. और भाजपा के अलग होने के कारण लगाया गया है। इसे माननीय गृह मंत्री जी द्वारा बहुत ही सरल और विनम्र तरीके से बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है।

हमारी पार्टी, विशेषकर माननीय गृह मंत्री जी की बात सुनने के बाद पूरी तरह आश्वस्त हैं और हम इसे आगे बढ़ाने के विचार का पूरी तरह समर्थन करते हैं। इसे मूल रूप से जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत प्रख्यापित किया गया है और फिर एक अध्यादेश जारी करके इसे छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

<u>अपराह्न 2.15 बजे</u> (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

महोदय, मैंने अन्य दलों के अपने कुछ सहयोगियों की बात ध्यान से सुनी है क्योंकि उन्होंने इस बात पर टिप्पणी की थी कि लोक सभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराए गए। इस संबंध में, मैं अन्य दलों के अपने सहयोगियों के विचारों से अलग विचार रखता हूं। संसदीय चुनावों में उम्मीदवारों

की संख्या बहुत कम होती है। हालांकि, राज्य में 87 निर्वाचन क्षेत्रों वाले विधानसभा चुनाव के दौरान, जहां कई पार्टियां हैं, लगभग 1,000 उम्मीदवारों को सुरक्षा देना कठिन है। यदि किसी उम्मीदवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शायद बाद में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सरकार ने विधानसभा चुनाव अलग से कराने का यह निर्णय लिया है। मैं दोनों चुनाव अलग-अलग कराने के निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता हूं।

मैंने सुना है कि एक मतदाता के वोट डालने का अधिकार सुनिश्चतित करने के लिए 8-सदस्यों की एक टीम ने काफी दूर तक यात्रा की है और चुनाव प्रक्रिया में सहयोग दिया है। मेरा मानना है कि चूँकि अब सभी चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव आयोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, उसी टीम भावना के साथ और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के चुनाव भी होंगे।

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को आरक्षण देने के विधेयक की बात करें तो हम इस विधेयक का पूरा समर्थन करते हैं। जैसा कि कई लोगों ने कहा है, कि वहां शांति और समृद्धि की आवश्यकता है। जैसा कि कई सहयोगियों ने कहा है, वाजपेयी जी ने इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत की बात की थी, मुझे विश्वास है कि वाजपेयी जी के अनुयायी उसी भावना से काम करना जारी रखेंगे। एक सहयोगी ने कहा है कि भले ही आरक्षण अधिक लोगों तक बढ़ाया गया है, परंतु मात्र तीन प्रतिशत से बात नहीं बनेगी। यदि अधिक संस्थान स्थापित किए जाते हैं और केंद्र सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा अधिक नौकरियां उत्पन्न की जाती हैं तो उनके अवसर बढ़ जाएंगे। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पर विचार करें।

इसके साथ ही मैं और मेरी पार्टी सरकार के प्रस्ताव और विधेयक का हृदय से समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, जम्मू एवं कश्मीर की जनता को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह बिल लाने के लिए मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से धन्यवाद देता हूं। मेरी पार्टी शिवसेना इस बिल का समर्थन करती है। एनडीए सरकार ने यह

पहल करके उस प्रथा को तोड़ने का प्रयास किया, जिसे कश्मीर पर 70 वर्षों से राज करने वाली सरकारों ने अलगाववादियों से मिल कर वहां की जनता को हमारे संविधान के अनुरूप कोई काम नहीं करने दिया और न कोई सुविधा प्रदान की। शिवसेना पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने हमेशा हरेक केन्द्रीय सरकार को चेताया कि धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को मुख्य धारा में लाया जाए, ताकि वहां की जनता को न्याय मिले और संविधान में प्रदत्त सभी सुविधाएं उनको मिले, परन्तु हुआ क्या? वहां के एक समुदाय कश्मीरी पंडितों को खदेड़ कर बाहर कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कश्मीर सिर्फ एक समुदाय की बपौती है? आज भी कश्मीरी पंडित देश के कई भागों में भटकते फिर रहे हैं, जिनके बारे में किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है। वे आज भी जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी हैं, पर उनको अपने घर में रहने नहीं दिया जाता है। इस बिल को पास करने के बाद उनको अपने राज्य तथा अपने घर में रहने का अवसर मिलेगा और सरकारी नौकरी में भी उनको अवसर मिलेगा। यह एनडीए सरकार की ओर से एक अवसर दिया गया है जिससे उनको उनका संपूर्ण अधिकार अपने राज्य में मिलने वाला है। यह साहसिक कदम एनडीए सरकार ही उठा सकती है, जो हर प्रकार से संविधान के अनुसार कार्य करके हरेक भारतीय को उनका अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब वक्त आ गया है, जब माननीय मोदी जी की रहनुमाई में वहां संविधान के अनुसार सभी कार्य किए जा सकते हैं।

अध्यक्ष जी, वर्ष 1949 में माननीय डॉक्टर अम्बेडकर ने धारा 370 का प्रारूप तैयार करने से इनकार कर दिया था।

तब नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि अंबेडकर जी से कंसल्ट करके ड्राफ्ट बना कर संविधान में शामिल किया जाए। असल में माननीय अंबेडकर जी ने मना करने पर भी गोपालस्वामी अय्यंगार जो महाराज हरि सिंह के दीवान थे, उन्होंने नेहरू जी के आदेश पर धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और संविधान में शामिल किया। [अनुवाद] मैं उद्धृत करता हूँ:

> "राज्य सरकार का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर के महाराजा के रूप में मान्यता दी गई है, जो 5 मार्च, 1948 की घोषणा के तहत महाराजा के अधीन वर्तमान में पद पर आसीन मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है।"

[हिन्दी] मूल रूप में इस धारा में यह प्रोविजन था कि महाराजा केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशों के अनुकूल कार्य करेंगे, परन्तु नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला की सांठगांठ से इसमें संशोधन करके केन्द्रीय मंत्रिमंडल के बजाय राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया। आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल भी धारा 370 के हक में नहीं थे। देखा जाए तो सरदार साहब के प्रयासों से ही भारत एक प्रभुता संपन्न देश बन पाया। यह उन्हीं के सतत प्रयासों का फल है कि हम एक देश भारत के निवासी हैं, वरना छोटे-छोटे राज्यों में बटे होते। कल राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने सरदार पटेल जी के बारे में बहुत कुछ कहा और हमारे कांग्रेसी भाइयों को इनवाइट किया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की एक बार विजिट करें। माननीय अमित शाह जी भी गुजरात से आते हैं और अब गृह मंत्रालय का भार उनको मिला है। देखा जाए तो आजादी के बाद गुजरात से बीजेपी के पहले गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बने हैं, तभी हम सभी अमित शाह जी के अंदर सरदार साहब की छवि देखते हैं और आशा करते हैं कि उनके कार्यकाल में सतत प्रयासों से शीघ्र ही जम्मू-कश्मीर की समस्या का सही हल निकाला जाएगा।

असल में कांग्रेस सरकार कभी भी जम्मू-कश्मीर की समस्या को समाप्त नहीं करना चाहती थी और स्पशेल स्टेटस देकर इस राज्य को देश की मूल धारा से अलग-थलग कर दिया गया। 90 के दशक में आतंक को पनाह देकर ऐसी समस्या को जन्म दिया जो नासूर बन कर इस देश को दीमक की तरह चाट रही है। यह कैसी विडम्बना है कि धारा 370 के प्रोविजन के अनुसार भारतीय संसद को अपने देश के एक राज्य की सीमाओं का सीमांकन करने का अधिकार नहीं है। जम्मू- कश्मीर में अलग संविधान का क्या मतलब है और यह क्यों चल रहा है? और तो और किसी देश के एक राज्य का झंडा भी अलग है, यह कैसा कानून है और क्यों इस पर अमल हो रहा है? हम इस अन्याय को कैसे बरदाश्त कर रहे हैं? हम सभी सांसद एक साथ खड़े होकर क्या इस स्थिति को बदलने में समर्थ नहीं हैं? इस पर भी अमेंडमेंट लाकर सरकार को 'एक देश एक झंडा' पर बिल लाकर इस असंगति को दूर करना चाहिए।

अध्यक्ष जी, हमारा दिल दुखता है, जब हम अपने कश्मीरी भाइयों को हर सुविधा से दूर पाते हैं। अशिक्षा से ग्रस्त युवा, बच्चे जिनको स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनको बहका कर उनसे सेना पर पत्थरबाजी कराते हैं। आज वहां के युवा का भविष्य क्या है? वह आज बेचैन और परेशान है। वहां नौकरी नहीं है। व्यवसाय रोज-रोज के बंद से खत्म होते जा रहे हैं। आतंक के कारण वहां सब कुछ नष्ट होता जा

रहा है। अब इस अमेंडमेंट के पास होने पर सभी, यानी एससी, एसटी और इकोनॉमिकल वीकर सैक्शन की सवर्ण जनता और सभी नागरिकों को समान रूप से जेएंडके राज्य में आरक्षण प्रदान करने का एनडीए सरकार का प्रयास है, तो सभी समुदायों को इसका लाभ मिलने वाला है।

लाइन ऑफ कंट्रोल के दस मीटर के दायरे में रहने वाली जम्मू-कश्मीर की जनता को इस बिल के द्वारा बहुत राहत मिलने वाली है। यहां पाकिस्तान की सेना लगातार शेलिंग करती है, जिससे उनका जीवन कठिनाइयों में डूबता जा रहा है। इनके लिए सरकार बहुत राहत देनी वाली है। आर्टिकल 45 में जम्मू-कश्मीर में स्कूली शिक्षा 14 साल तक की उम्र के लिए फ्री देने का प्रावधान है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आस-पास 10 किलोमीटर के एरिया के निवासी हैं, उनके लिए इस बिल में सभी को फ्री शिक्षा और सरकारी जॉब देने का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के शब्दों को दोहराना चाहता हूं कि शीघ्र ही संविधान में संशोधन करके धारा 370 को समूल रूप से हटाने का काम हमारी सरकार करे। माननीय अमित शाह जी आपको जानकारी है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी का तब बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं था और अब देश हित में यह गठबंधन हुआ है, जिससे यह धारा 370 समाप्त हो। देशद्रोह की बात करने वालों के लिए सख्त कानून बनाने पर समझौता हुआ था। इन सभी मुद्दों का एनडीए के मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया गया।

अत: सरकार इन मुद्दों पर शीघ्रता से बिल लाए। सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस बिल को समर्थन देकर पास करें, जिससे जम्मू-कश्मीर की जनता को लाभ मिले और उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व से जीने का अधिकार मिले।

एक बार फिर मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह करूंगा कि साढ़े तीन बजे हमें प्राइवेट मेंबर बिल शुरू करना है, इसलिए दो मिनट में अपनी बात कह दें। माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर की ढाई बजे शुरुआत हो जाएगी, इसलिए आग्रह है कि दो-दो मिनट में सब अपनी बात कह दें।

श्री कौशलेन्द्र कुमार जी।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत छह माह की अवधि को आगे जारी रखने और आरक्षण संशोधन विधेयक की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर हमेशा विवादों में रहा है। जम्मू-कश्मीर की जो वर्तमान हालत है, देश में आम चुनाव के समय वहां की विधान सभा का चुनाव नहीं कराया जा सका, इस कारण राष्ट्रपति शासन की अवधि को आगे बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। चुनाव के अनुसार भी वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति चुनाव के अनुकूल नहीं है, जैसा कि रिपोर्ट आई है। सीमा पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रह रहे लोगों पर गोलीबारी और कई तरह की घटनाएं घटती रहती हैं।

जब वहां के स्थानीय बच्चे स्कूल जा रहे थे, वैसे लोगों पर भी रोड़ेबाजी और गोलीबारी हुई है। मैं आरक्षण संशोधन विधेयक पर भी बोलना चाहता हूं। मैं दो मिनट का समय चाहूंगा। इस कानून के तहत आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर जम्मू-कश्मीर की नियंत्रण रेखा के आसपास रहने वाले लोगों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। अभी तक यह आरक्षण केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों को ही मिलता था। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोग उससे वंचित रह जाते थे। प्रधान मंत्री जी का संकल्प सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास को पूरा करने का काम एनडीए सरकार लगातार कर रही है। आरक्षण संशोधन का प्रावधान दस प्रतिशत गरीब सवर्णों के लिए पूरे देश में लागू हुआ था, उससे जम्मू कश्मीर आज भी वंचित है, यह भी लागू हो जाएगा। एससी/एसटी और ओबीसी के लिए भी जो आरक्षण है वह भी लागू हो जाएगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में, मैं संकल्प और विधेयक पर भाषण नहीं दूंगा। मेरे कुछ प्रश्न या शंकाएं हैं। मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। यहां पहली दो पंक्तियां हैं: सुरक्षित भारत, दृढ़ भारत। पहला है 'आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की

हमारी नीति जारी रखें और आतंकवाद से निपटने में सुरक्षा बलों को सशक्त बनाएं।' दूसरी पंक्ति अधिक महत्वपूर्ण है: अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और अनुच्छेद 35क को रद्द करने के लिए प्रतिबद्धता।

कुछ हद तक मेरे मित्र श्री जितेन्द्र सिंह जी ने भी इन दोनों मुद्दों का जिक्र किया। मुझे लगता है कि गृह मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि सरकार इन दोनों मुद्दों पर क्या प्रगति कर रही है। ये कुछ बातें हैं जो इस देश के कई प्रबुद्ध नागरिक जानना चाहेंगे। मैं इसके कुछ पहलुओं का समर्थन तो करता हूं परंतु इसकी कुछ दूसरी बातों का समर्थन नहीं करता। लेकिन ये दो चीजें हैं जिन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया है और जिस पर पुनर्विचार और समीक्षा की आवश्यकता है। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पर पहले ही कई माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा की जा चुकी है। चूंकि जम्मू और कश्मीर का एक अलग संविधान है, इसलिए जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के अंतर्गत छह महीने का राज्यपाल शासन अनिवार्य है, जिसके तहत सभी विधायी शक्तियां राज्यपाल के पास निहित हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल ने इसी तरह का अनुरोध किया है। धारा 92 के तहत छह महीने के बाद राज्यपाल शासन जारी रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, 28 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन को स्वीकृति देने वाला संकल्प लोक सभा और राज्य सभा में 3 जनवरी 2019 को पारित किया गया, जिसके आप भी सदस्य थे और मैं भी। क्योंकि इन छह महीनों के दौरान विधानसभा चुनाव नहीं हो सके। हालांकि आश्वासन दिया गया था कि इन छह महीनों के भीतर सरकार जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और राष्ट्रपति शासन को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने की जरूरत आ पड़ी है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रपति शासन हमेशा के लिए लगा रह सकता है? नहीं, चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बिना यह तीन वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता।

इसमें सरकार की भूमिका बहुत कम है। चुनाव आयोग को यह प्रमाणित करना होगा कि विधानसभा चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण राष्ट्रपति शासन बने रहना आवश्यक है।

मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि तारीख तय होने से पहले दो लोगों को यह पता लगाने के लिए जम्मू-कश्मीर भेजा गया था कि विधानसभा चुनाव कराया जाए या नहीं। चुनाव आयोग को उनकी रिपोर्ट

उपलब्ध कराने के बाद ही यह निर्णय लिया गया कि हम विधानसभा चुनाव नहीं कराएंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है, संबंधित मंत्री हमें इसका कारण बता पाएंगे।

मैं वर्ष 2015 में सरकार के गठन के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। लोगों की बुद्धिमत्ता को चुनौती दी गई थी लेकिन यह केवल मुफ्ती साहब ही थे- जिनके नाम का बहुत कम उल्लेख किया जाता है - और उनका नेतृत्व था जिसके कारण सभी ने स्थिति को सहन किया।

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि चिंता का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह सरकार चुनाव के बाद आतंक के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखा रही है। मैं अनुच्छेद 370 और 35क के बारे में उल्लेख नहीं करूंगा लेकिन मैं यहां कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक अनुच्छेद सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है; यह दुरुपयोग के लिए रखा गया है; कभी-कभी, इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है; और यह अनुच्छेद 356 है। हमारे देश में अनुच्छेद 356 का बार-बार उपयोग किया गया है और ओडिशा इसका पीड़ित रहा है, परंतु यह सब वर्ष 1994 से पहले था। उसके बाद, इसका उपयोग दुर्लभ हो गया है और इसका प्रयोग करना मजबूरी से परे है।

मैं यहां कुछ बताना चाहूंगा। एक बार मैंने राष्ट्रपति भवन में रात्रिभोज के समय एक जनरल से पूछा था - हम एक ही मेज़ पर बैठे थे - पश्चिमी सीमा से इतनी अधिक घुसपैठ कैसे हो रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ चीजों की वजह से हुआ था। हमने अपनी सीमाओं पर बाड़ लगा दी है लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग अंदर आ जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

मुझे दो स्पष्टीकरण चाहिए। इस विधेयक के पारित होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जम्मू और कश्मीर राज्य का एक संविधान है। तीन प्रतिशत का यह आरक्षण उस संवैधानिक प्रावधान के अधीन है। भारतीय संविधान के आधार पर यह संशोधन प्रभावी होने जा रहा है। एक बार जब जम्मू-कश्मीर में एक लोकप्रिय सरकार अस्तित्व में आ जाएगी, तो क्या इस संशोधन को, जिसे हम संसद में स्वीकृति दे रहे हैं, जम्मू-कश्मीर के विधानसभा द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी? चलिए मान लेते हैं कि ऐसा ही किया जाएगा। परंतु जम्मू-कश्मीर संविधान की शुचिता क्या है? अब, यह संसद जम्मू-कश्मीर संविधान की सभी शक्तियों का भंडार है क्योंकि वहां कोई लोकप्रिय सरकार मौजूद नहीं है।

मुझे लगता है कि यह बिंदु एक अस्पष्ट क्षेत्र है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसी संभावना है कि जम्मू-कश्मीर सरकार, उन्हें प्राप्त जनादेश के कारण, अन्यथा निर्णय ले सकती है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरा स्पष्टीकरण जो मैं मांग रहा हूं वह जम्मू और कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की चर्चा के संबंध में है, जिसकी बात मीडिया में हो रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया गया, वह काफी हद तक घाटी के पक्ष में था। क्या सरकार उस गलती को सुधारने की सोच रही है; जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करना आवश्यक माना जाता है। क्या आप आज यह स्पष्ट करने की स्थिति में हैं कि क्या यह विचाराधीन है? मेरा मानना है कि उस गलती को सुधारने की जरूरत है।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर का इश्यू इतना सेंसटिव है कि इस पर सभी दलों को विस्तार से बात रखने का मौका देना चाहिए।

आज जम्मू एंड कश्मीर की जो स्थिति है, उसमें मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपना स्टैंड, पार्टी का स्टैंड क्लीयर करना चाहता हूं। यह स्थिति ऐसे ही उत्पन्न नहीं हुई है। आज भले ही उधर बैठे हुए लोग, इधर के लोगों को ब्लेम करें या इधर बैठे हुए लोग उधर के लोगों को ब्लेम करें, कहीं न कहीं हम सब लोग जिम्मेदार हैं, चाहे शेर-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब को इम्प्रीजन किया गया हो या वर्ष 1986 में जब वहां सरकार बदलने की कोशिश की गयी हो। उसके बाद आज भी पिछले कुछ वर्षों से बहुत जल्दी में अपना पोलिटिकल बेस एक्सपेंड करने की कोशिश के चक्कर में हम कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के जो असली मुद्दे हैं उससे भटक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में पहले भी बहुत मजबूत सरकारें रहीं हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में और आज भी बहुत मजबूत सरकार है आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जैसा वाजपेयी जी ने कहा था कि हम इंसानियत, कश्मीरियत, जो ह्यूमन टच वहां के लोगों को देने की जरूरत है उससे हम कहीं न कहीं भटक गये हैं। मुझे याद है 90 के दशक की बात यहां हुई। 10 वर्षों तक कोई प्रधान मंत्री जम्मू कश्मीर के कश्मीर वैली में भी नहीं गया था, लेकिन शायद जिन सरकारों को कमजोर कहा जाता है इस देश में ऐसी ही एक सरकार के प्रधान मंत्री श्री एच.डी.देवेगौड़ा जी 10 वर्षों के अंतराल के बाद कश्मीर वैली में गये थे और राजौरी के अंदर ओपन जीप में उन्होंने दौरा किया था। जम्मू कश्मीर का एक एक इंच का हिस्सा हमारा है, जम्मू कश्मीर का एक-एक बाशिंदा हमारा है। हम केवल जमीन की बात नहीं करते है, हम वहां रहने वाले हर एक इंसान की बात करते हैं। हमें इंसानियत की नजरिए से भी देखना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हमारा चुनाव आयोग लोक सभा चुनाव पीसफुल कंडक्ट कराने में सफल हो गया तो आखिर ऐसी कौन-सी वजह थी। कि हम वहां पर विधान सभा का चुनाव नहीं करा पाए। इसमें कहीं न कहीं कुछ बू आती है। हम लोग, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें अपनी राजनीति से ऊपर उठकर, जो हमारे सर का ताज है उसको हमें ध्यान में रखना होगा

। सरकारें आती हैं, जाती हैं। एक प्रदेश में आई, दूसरे में गई, कोई परमानेंट नहीं है जो लोग यहां बैठे हैं या वहां बैठे हैं। मेरा यही कहना है कि हम हमेशा से धारा 356 के खिलाफ रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ रहे हैं। हम अभी भी सरकार से कहेंगे कि जल्द से जल्द वहां पर चुनी हुई सरकार आए और जहां तक रिजर्वेशन में अमेंडमेंट की बात है, मैं समझता हूं कि जिन लोगों के लिए किया जा रहा है हम उसके समर्थन में हैं। जो इंटरनेशनल बार्डर पर रहते हैं चाहे जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बार्डर पर हों या और प्रदेशों के इंटरनेशनल बार्डर पर हों, उनका जो बलिदान है उससे हम पीछे मुंह नहीं मोड़ सकते। उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हमें देनी चाहिए। लेकिन, यह अधिकार जम्मू कश्मीर की चुनी हुई असेम्बली और सरकार का है। मैं समझता हूं कि यह उन पर छोड़ देना चाहिए था। हम कहीं न कहीं इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर जो भी करें, यह जो नई सरकार आई है, नए गृह मंत्री जी आए हैं, जैसे सत्तापक्ष के एक सदस्य ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के मामले में यह सरकार पहल करेगी और जम्मू कश्मीर में लांग टर्म के लिए शांति बहाल करने और वहां पर एक चुनी हुई सरकार का रास्ता साफ करने के लिए आगे कदम बढ़ाएगी। बहुत -बहुत शुक्रिया।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने रिज्योल्यूशन के साथ-साथ बिल को इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने इन्ट्रोडक्शन के साथ-साथ कुछ इश्यूज को, जो हाउस में प्रस्ताव किया उसके लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले इसमें जो दो इश्यूज है, करीब-करीब 1500 बंकर्स अभी रिसेन्टली कम्पलीट किए है, उसका प्रोग्राम है। दूसरा जो पंचायत का चुनाव हुआ है। पंचायत के चुनाव में किसी तरह का दंगा नहीं हुआ है। पंचायत के चुनाव बहुत सक्सेसफुली कम्पलीट हुए हैं। इन दोनों के लिए उन्हें बधाई देनी है। जम्मू एण्ड कश्मीर भी भारत देश का भाग है, वहां पर जो लोग जी रहे हैं उन लोगों की तकलीफ हम लोग टी.वी. पर देखते हैं। जब भी बॉर्डर पर कोई टैंशन होती है तो जो लोग बंकर्स में जी रहे हैं, उन लोगों को देश के कोने कोने से मदद देनी चाहिए। उन लोगों की फर्दर सेफ्टी के लिए जो 15 हजार बंकर्स बनाए गए हैं उनका धन्यवाद गवर्नमेंट को देना चाहिए। उसके साथ-साथ हम लोग जब 15वीं लोक सभा चल रही थी, उस समय स्टूडेंट्स का स्टोन थ्रोइंग का लगातार काम चल रहा था। हम लोग 15वीं लोक सभा चलने के समय में पक्ष-विपक्ष भी यही बोला था। कश्मीर में अभी तक 300 बच्चों की स्टोन

पेल्टिंग में डेथ हुई है, उसके बारे में इस हाउस में चर्चा होनी थी। हम सबने मिलकर उस टाइम यू.पी.ए. गवर्नमेंट पर दबाव डाला। उसके बाद हम सभी पार्टी के लीडर्स को लेकर तीन दिन जम्मू और कश्मीर दोनों जगह गए। हमारी सभी लोगों के साथ मीटिंग हुई थी। तीन दिन में मार्निंग से इवनिंग तक हर सैक्शन को बुलाकर बात से उन लोगों ने जो मुद्दा बताया उसमें सबसे इम्पोर्टेन्ट मुद्दा युवाओं के पास नौकरी नहीं थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। कोई इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट नहीं है इससे पहले हम टूरिज्म की वजह से जी रहे थे। आज के दिन में टूरिज्म नहीं है। इस तरह से तकलीफ उन लोगों ने बताई थी। आज के दिन में रिजर्वेशन पर जो बिल आया है, इन्टरनेशनल बार्डर तक ले जाने के लिए जो बिल है, उसका हम पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारे नेता के.सी.आर. जी कोई भी रिजर्वेशन हो एस.सी, एस.टी., ओ.बी.सी., सब जगह जो माइनोरिटीज के रिजर्वेशन का बिल है, फ्रॉम दी बिगनिंग, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उसी तरह रिजर्वेशन के बिल में करते हैं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। समय बहुत कम है और गृह मंत्री जी जब अपना उत्तर दे रहे थे, तब उन्होंने बोला कि समय बचाने की कोशिश की जा रही है। दो अलग हैं, एक रेज़ोल्यूशन है, एक बिल है, तो मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि यह प्रायरिटी समय बचाने की नहीं, कश्मीर बचाने की, लोग बचाने की और लोकतंत्र बचाने की होनी चाहिए और इसी के साथ आपके जरिए दो बातें आगे रखना चाहता हूँ।

सर, एक बात यह कि अभी युवा लोगों को जो अंतर्जातीय सीमा पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियां अन्य स्टेट्स की भी हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। क्या ये रिजर्वेशन, जो जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जा रहा है, यह उन स्टेट्स में भी बढ़ाया जाएगा, जहाँ की परिस्थितियां बिल्कुल सिमिलर हैं।

दूसरी बात यह है कि अभी सरकार वहां राष्ट्रपति शासन को छ: महीने बढ़ाने की कोशिश कर रही है। [अनुवाद] क्या सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आने वाले छह महीनों के भीतर वे चुनाव कराएंगे और छह महीने के बाद दोबारा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं करना पड़ेगा? क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है?

श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. (लक्षद्वीप): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। वास्तव में, हमारी नेता सुप्रिया सुले इस विषय पर सभा में बोलने वाली थीं परंतु किसी आपात स्थिति के कारण उन्हें सभा से जाना पड़ा। मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल पर बात करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक पर बात करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं सभा में एक बात की सराहना करता हूं कि लक्षद्वीप के इतिहास में पहली बार, हमें राजनीतिक रूप से नामित प्रशासक/उपराज्यपाल, श्री फारूक खान मिले हैं। जिन्हें इस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। वे जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं। इसलिए लक्षद्वीप के प्रतिनिधि को इस पर बात करनी चाहिए। चूंकि वे लक्षद्वीप के लिए इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो मुझे जम्मू-कश्मीर के बारे में भी बात करनी चाहिए। यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है।

जहां तक जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक का संबंध है, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ, मैं कुछ और बातों का उल्लेख करूंगा। अभी 6-7 महीने पहले जब मैं जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर गया था, तो एक टैक्सी में यात्रा करने के दौरान मैंने टैक्सी ड्राइवर से बातचीत की। मैंने उनसे पूछा कि उनका विचार क्या है, वे क्या सोचते हैं और वे निराश क्यों दिख रहे हैं। उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि हमारे लिए कुछ अलग से बनाकर दे दो। हमें अलग से एक हिस्सा दे दो। मैंने कहा कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं और हमें एकजुट होकर रहना चाहिए और हम मिलकर निश्चित रूप से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं उसी तरह दोहराना चाहूंगा कि यद्यपि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट रहने वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए आरक्षण लागू किया जा रहा है, हमें कई कल्याणकारी योजनाएं लाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वहां के निवासी जो वास्तव में हतोत्साहित हो रहे हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके।

जहां तक विधानसभा चुनाव कराने का प्रश्न है, हम सभी यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं होगा। मेरा तो यही मानना है। जनता की सरकार, एक स्थिर सरकार और एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। सरकार के पास विधानसभा चुनाव लोक सभा चुनावों के साथ कराने की सभी सुविधाएं और अवसर थे। लेकिन एक

साथ चुनाव न कराने का क्या कारण है, मुझे विश्वास है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इसका कारण स्पष्ट करेंगे।

इसी के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): महोदय, मैं राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूं क्योंकि यह अनुच्छेद 370 का उल्लंघन है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाकर यह सरकार अनुच्छेद 370 का उल्लंघन कर रही है।

दूसरी बात, कल माननीय गृह मंत्री जम्मू-कश्मीर में थे। बकरवाल पगड़ी पहनकर वह बेहद अच्छे लग रहे थे। मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि उनके अनुसार शांति की परिभाषा क्या है। क्या हम कब्रिस्तान जैसी शांति चाहते हैं या फिर मानसिक शांति? अभी हम कश्मीर घाटी में जो देख रहे हैं वह कब्रिस्तान जैसी शांति है। हम इस तरह नहीं देख पाएंगे। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और हमेशा रहेगा लेकिन वहां आप मानसिक शांति किस तरह से लाएंगे?

उदाहरण के तौर पर कल जब गृह मंत्री वहां थे तो पूरी घाटी बंद थी। क्या यही है शांति की परिभाषा? ...(*व्यवधान*) गृह मंत्री के शहर में होने के कारण राज्यपाल की ओर से ट्रैफिक एडवाइज़री जारी की गयी, जिसके कारण एक भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सका। क्या यह शांति है? नहीं । आप कहते हैं कि हड़ताल का आह्वान नहीं किया गया था। पिछली बार, जब श्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री के रूप में वहां गये थे तो कोई हड़ताल नहीं हुई थी।

तीसरा, मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं क्या वे मीरवाइज फारूख़ अब्दुल्ला की ओर से दिए गए बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। उन्होंने शांति के लिए हाथ बढ़ाया है। क्या यह सरकार इसे आगे ले जायेगी?

चौथा, मैं माननीय गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि उनके प्रवक्ता ने कहा है कि शुजात बुखारी की मृत्यु के कारण वे इस सरकार को भंग कर रहे हैं। कृपया क्या आप हमें बता सकते हैं कि शुजात बुखारी की हत्या की जांच में क्या प्रगति हुई है? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि चूँकि हमने उस उग्रवादी, आतंकवादी

को मार डाला है, इसलिए शुजात बुखारी की जाँच पूरी हो गई है? मैं माननीय गृह मंत्री जी से इसका ब्यौरा जानना चाहता हूँ।

एक और बात मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या वे इसकी सूची उपलब्ध करा सकते हैं कि कितने कश्मीरी मुस्लिम अधिकारी कार्य कर रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूची स्पष्ट रूप से 68 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच के अनुपात को दर्शाती है।

इस परिसीमन के कार्य का सिद्धांत क्या है? एक माननीय सदस्य ने कहा है कि कश्मीर में यह कार्य किया जाना है। मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि घाटी में 15 लाख से अधिक लोग रहते हैं। क्या आप परिसीमन से संबंधित कार्य को करने के पक्ष में हैं? क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि पिछले पांच वर्षों में आप कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में वापस लाये हैं? कृपया सदन को बताएं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चुनावी मुद्दा रहा है। आपने हमें हराने के लिए और डर का माहौल बनाने के लिए अनुच्छेद 370 का उपयोग किया है; कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल किया है।

ये मेरे प्रमुख प्रश्न हैं जिनका मैं माननीय गृह मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं। कृपया अमन का माहौल कायम कीजिए और ऐसा माहौल मत बनाइए कि कोई कुछ कह ही न सके। इस सरकार के शासनकाल में वर्ष 2005 से अब तक बहुत सारे आईडीई हमले हुए हैं और 73 सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु हो चुकी है। सत्तासी स्थानीय लोग मारे गए हैं। हम स्थानीय लड़कों पर हुई गोलीबारी पर आपकी स्थिति जानना चाहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर माननीय गृह मंत्री जी को देना होगा।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, अगर समय कम है तो मैं अपनी स्पीच ले भी कर सकती हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलें।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: आदरणीय अध्यक्ष जी, इस पर सुबह से विचार हो रहा है और पता चला कि गृह मंत्री जी पहुंचे। वर्ष 1990 के बाद पहली बार एहसास ऐसा हुआ कि कश्मीर वैली में कोई प्रोटैस्ट, कुछ नहीं हुआ। मैं उस विषय में एक बात कहना चाहती हूं कि

एहसास बदल जाते हैं, बस और कुछ नहीं,

वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल में है।

यह मोहब्बत का जो माहौल दिखाई दे रहा है, जहां नफरत अब तक बस रही थी, उसके पीछे कारण है - ढ़ाई करोड़ घरों में बिजली पहुंचाना। आज तक वहां पंचायती चुनाव नहीं होते थे, म्युनिसिपल बॉडी के चुनाव नहीं होते थे, उनका चुनाव करवाना। उसके पीछे कारण है- जो उनके हिस्से का पैसा था, वह किसकी जेब में जाता था, कहां निकल जाता था, जनता को पता नहीं था। वह डायरैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में पहुंचना। एक नल लगाने के लिए, एक बांध बनाने के लिए, एक दीवार खड़ी करने के लिए पंचायत के पास पैसा नहीं था। उन सभी अव्यवस्था के लिए जो लोग जिम्मेद्वार हैं, वे कुछ आज इस हाउस में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन जी की बात मुझे याद आ रही है। अधीर रंजन जी ने जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर बात की तो कहा कि यह सरकार कॉम्प्लिमेंट एडिक्टेड है। मैं उनको यह बताना चाहती हूं कि यह सरकार कॉम्प्लिमेंट एडिक्टेड नहीं है, बल्कि कॉम्प्लिशन एडिक्टेड है। अब तक हिन्दुस्तान का जो एजेंडा अधूरा पड़ा है, यह सरकार उस एजेंडे को पूरा करने जा रही है। हम ने डिलिमिटेशन की बात बहुत सुनी, न्याय-अन्याय की बात सुनी, एलिएनेशन की बात सुनी और इंक्लूसिव भारत बनाने की बात भी सुनी। इंक्लूसिव भारत में क्या कश्मीर इंक्लूडेड नहीं है। जब इंक्लूसिव भारत में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात आती है तो वह विश्वास क्या कश्मीरियों का विश्वास जीतने की नहीं है? आज वह विश्वास नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों ने जीत कर दिया है। इस देश का

जो इतिहास है, जब इतिहास की बात आती है तो मुझे कहीं न कहीं सरदार पटेल की मूर्ति दिखाई देती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाई देता है, जिसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वह कहानी उन सारी रियासतों को जोड़ने की है। अगर उन रियासतों को जोड़ा नहीं जाता तो आज हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान नहीं होता। आज हमें जो भारत का नक्शा दिखाई देता है, वह नक्शा नहीं दिखाई देता। उन रियासतों में से सिर्फ एक रियासत जो पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई। इन्होंने इस देश के 55 सालों का इतिहास बताया है और बताया है कि पांच साल बनाम पचपन साल, पचपन साल बनाम पांच साल तो सबसे अधिक....* वह कश्मीर में दिखाई देता है। वह कश्मीर में उन नीतियों में दिखाई देता है, जिसके कारण एक राज्य और उसमें ऑपर्च्यूनिस्ट ऑपरनिस्टिक पालिटिशियंस अपना एक संविधान बनाने में सफल हो गए। वह संविधान बनाने के समय कौन प्रधान मंत्री था, किसके कारण यह सब हुआ, किसके कारण वहां पर दो परमिट राज चालू हुआ?

वहां किसकी सरकार थी, जब पाकिस्तान हमारी 1/3 कश्मीर की जमीन आक्यूपाई करके बैठ गया? किसने घरेलू मुश्किल का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया, किसकी वजह से आज तक हम अपना हिस्सा वापस नहीं ले पाए? इसका भी हिसाब देश जानना चाहता है। वर्ष 1990 की बात तिवारी जी ने की, जैसे वर्ष 1990 से पहले कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं थी और आज की जो दिक्कतें हैं, वे वर्ष 1990 के बाद पैदा हुई। प्रेमचन्द्रन जी ने डेमोग्राफी और जियोग्राफिकल एक्सपेक्टेशन्स की बात कही। मैं जियोग्राफिकल एक्सपेक्टेशन की एक बात बताना चाहती हूं कि जम्मू और कश्मीर एक राज्य है और जम्मू-कश्मीर एक राज्य के अंदर लद्दाख का सबसे बड़ा जियोग्राफिकल हिस्सा है। जम्मू में सबसे अधिक जनता रहती है और बावजूद इसके ऐसी व्यवस्था खड़ी की गई, जिसके कारण इन लोगों को इनके हिस्से का न्याय न मिल पाए। जहां तक विषय प्रेजीडेंट रूल को लगाया जाए या न लगाया जाए।...(व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, यदि आपकी अनुमति हो, तो क्या मैं अपनी स्पीच टेबल कर दूं। हमें सुबह ही बता दिया गया था कि आपको बोलना है। मेरी पूरी तैयारी है, लेकिन यदि आप कहते हैं, तो मैं अपनी स्पीच को सभा पटल पर रखती हूं। आपका बहुत-बहुत आभार।

[अनुवाद]

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में और सिविल पदों और सेवाओं के लिए की जाने वाली सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत शामिल न किए गए पदों हेतु दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

[हिन्दी]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): माननीय सदस्य, इस बिल पर चर्चा नहीं हो रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए, माननीय सदस्य।

[अनुवाद]

श्री जसबीर सिंह गिल: यद्यपि, मैं विधेयक की विषय-वस्तु का समर्थन करता हूं लेकिन मैं अध्यादेश के माध्यम से इसे लाए जाने का विरोध करता हूं। कश्मीर के मुद्दे को समय-समय पर वोटों के लिए उठाया जाता रहा है और कश्मीर की इस समस्या को सुलझाने की उनकी मंशा पर हमेशा से ही प्रश्न उठते रहे हैं। इस बार, जब राज्य में ध्रुवीकरण चरम स्तर पर पहुंच गया है, इस बार असली चुनौती मुख्य मुद्दों का समाधान करने और कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की है।

केन्द्र सरकार के कदम राजनीति से प्रेरित हैं और भाजपा अगले चुनाव के बारे में सोच रही है। जेम्स फ्रीमैन का एक उद्धरण है: "एक लोकप्रिय और सम्मानित राजनेता अगली पीढ़ी के बारे में सोचता है, जबकि राजनीतिज्ञ अगले चुनाव के बारे में सोचता है।"

यदि वे लोकप्रिय और सम्मानित राजनेता हैं, तो माननीय गृह मंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लोक सभा चुनावों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव कराने की पहल करनी चाहिए थी। इससे बहुत

बड़ी धनराशि की बचत हो सकती थी जिसे जम्मू और कश्मीर के निवासियों के उत्थान पर खर्च किया जा सकता था।

जब आप परिसीमन का मुद्दा लेकर आ रहे हैं जिसमें लगभग एक साल का समय लगेगा और भाजपा बिना किसी जनादेश के जम्मू-कश्मीर पर शासन करेगी।

माननीय गृह मंत्री जी चाहते हैं कि जब जम्मू और कश्मीर की बात आती है तो विपक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन उनका हर कदम वोट हासिल करने और धार्मिक आधार पर राज्य का ध्रुवीकरण करने के लिए राजनीति से प्रेरित होता है।

[हिन्दी] महोदय, मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यदि सरकार इंटरनेशनल बार्डर पर रिजर्वेशन देने की बात करती है, तो उन्हें सैंट्रल जॉब्स में भी रिजर्वेशन देनी चाहिए और पंजाब या दूसरे राज्य जो बिलकुल इंटरनेशनल बार्डर्स के साथ लगते हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन की सुविधा देनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करता हूं कि यह बिल पास होने के बाद हम प्राइवेट मैम्बर बिल लेंगे।

माननीय गृह मंत्री जी।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों बिल्स पर सदन के 17 सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। कुछ लोगों ने इनका समर्थन किया है, कुछ लोगों ने सुझाव दिये हैं और कुछ लोगों ने विरोध किया है। मैं सभी सदस्यों का मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन लोगों के मन में इस बिल के लिए कुछ-कुछ आपत्तियाँ थीं, आपके माध्यम से उन्होंने अपने विचार सदन में रखे हैं, मैं निश्चित रूप से उनका जवाब भी देना चाहूँगा।

काफी सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी सदस्यों को और देश की सवा सौ करोड़ जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की

नीति अपनाकर चल रही है और वह चालू है। आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ने के लिए यह सरकार कृतनिश्चयी है और मुझे भरोसा है कि जनता के सहयोग से हम जरूर सफल होंगे।

यह जो लड़ाई है, मनीष जी ने कहा कि विचारधारा से ऊपर उठकर इसको लड़िएगा। मनीष जी, इसको विचारधारा से ऊपर उठकर जरूर लड़ना चाहिए, जब विचारधारा ऐसी हो। हमारी तो विचारधारा ही भारत माता के हित में समाहित है, इसलिए इससे ऊपर उठने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी विचारधारा ही हमें बताती है कि टॉप-मोस्ट प्रायरिटी इस देश की सुरक्षा, देश के जनता की सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी की विचारधारा, मेरी पार्टी की सरकार की विचारधारा ही इस लक्ष्य को सिद्ध कर सकती है, ऐसी मेरी विनम्रमता है।

जब 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बने, श्री राजनाथ जी देश के गृह मंत्री बने, तो इस सरकार ने डे-वन से ही जम्मू-कश्मीर की शांति के लिए आतंकवाद को नष्ट करने को टॉप मोस्ट प्रायरिटी दी है। यह ज़ीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ भाषणों की नहीं रही, यह ज़ीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ सदन में और राजनीतिक जलसों में तक़रीरों के लिए ही नहीं रही, इसको जमीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ढेर सारे कदम उठाए गए हैं।

पहले सीएपीएफ की कम्पनियों की कमी रहा करती थी, वह कभी इधर जाती थीं, कभी उधर जाती थीं। हमने कम्पनियाँ भी बढ़ाई और कम्पनियों के आबंटन में जम्मू-कश्मीर को टॉप मोस्ट प्रायरिटी पर रखा। सुरक्षा बलों की जितनी कम्पनियों की डिमांड है, उससे एक भी कम्पनी आज कम नहीं है।

सीएपीएफ के जवान देश भर में सुरक्षा का काम करते हैं, नक्सलवादी क्षेत्रों में भी काम करते हैं, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों में भी काम करते हैं, दंगों में भी काम करते हैं, चुनाव के वक्त भी वे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मगर जम्मू-कश्मीर में एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति है क्योंकि वहाँ जो आतंकवाद है, वह पाक-प्रेरित आतंकवाद है।

यह पाकिस्तान की सरहद से जुड़ा हुआ प्रदेश है, यहाँ सीएपीएफ की कुछ विशिष्ट माँगें थीं, जिनमें हाई सिक्योरिटी इक्विप्मेंट्स में- बी.पी. व्हीकल्स, सीसीटीवी कैमरा, अत्याधुनिक गन्स, रडार, कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर आदि चीजें थीं। पूरा एक पेज भर जाए, इतनी इनकी रिक्वायरमेंट्स आई थीं। माननीय

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को बताते हुए आनन्द हो रहा है कि 2307 करोड़ रुपये खर्च करके उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हैं।

मैं कल ही रिव्यू लेकर आया हूँ। सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई। सीआरपीएफ के जो हेड हैं, वहाँ डीजी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट ज़ीरो हुई है।

वहाँ एजेंसियों के को-ऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत थी क्योंकि वहाँ सेना भी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी होती है, आईबी भी काम करती है, रॉ भी काम करती है, मिलिट्री एजेंसी भी काम करती है, सीआरपीएफ भी काम करती है और जम्मू-कश्मीर पुलिस भी काम करती है। जब इतनी सारी एजेंसियाँ एक छोटे-से क्षेत्र में काम करें, तो को-ऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत आती है।

गत सरकार के समय के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टैरर मॉनिटरिंग ग्रुप- टीएमजी को बनाया गया। आज हर सप्ताह टीएमजी के सदस्य बैठते हैं और कोऑर्डिनेट होकर आतंकवाद का सामना करने का सफल प्रयास करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति शासन लगाया, जम्हूरियत की बात की जाती है, राज्यपाल शासन लगाया, लोकतंत्र का गला घोंट दिया, जो ये बात कर रहे हैं, मैं ज़रा उनको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किसने किया है। ...(व्यवधान) हमने तो विशिष्ट परिस्थिति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया। यह सदस्यों की जानकारी में रहे, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि इस देश में अब तक - आज होगा तो उसके बाद 133 हो जाएंगे - 132 बार धारा 356 का उपयोग किया गया है। ...(व्यवधान) 132 बार में से 93 बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका उपयोग किया गया है। ...(व्यवधान) आज ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? ...(व्यवधान) राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया है? ...(व्यवधान) एक विशिष्ट परिस्थिति है, आपने तो चुनी हुई 20-20 सरकारों को 356 के तहत एक दिन के अंदर ध्वस्त कर दिया था। ...(व्यवधान) आपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए यह किया था। ...(व्यवधान) हमने कभी 356 का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, ये हमें बता रहे हैं कि लोकतंत्र रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं। लोकतंत्र रहना चाहिए, यह बात तो ठीक है, मगर लोकतंत्र के रहते जब कुछ चीज़ें इस प्रकार की होती हैं, जिन पर वोट बैंक के लालच होनी में कभी कुछ

नहीं किया जा सकता है, इसकी भी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर आज तक क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया गया। आप किस को खुश करना चाहते थे? यह भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार है, जिसने जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध लगाकर उसके कैडर को निष्क्रिय कर दिया । जेकेएलएफ - इतने सालों से आप किस देश का लिब्रेशन करना चाहते हैं? जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको देश के मानने वालों पर ...(व्यवधान) जेकेएलएफ पर प्रतिबंध किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया ।

माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवादियों को समर्थन देने वाले सभी लोगों को प्रेवेंटेव अरेस्ट के तहत जितना गत सरकार के समय में जेल में डाला गया है, इतना आजादी के बाद कभी नहीं डाला गया । प्रेवेंटेव अरेस्ट को बधाई । जेलों की सुरक्षा चरमराई हुई थी । अंदर टैरिरिस्ट्स के ट्रेनिंग कैम्पस चलते थे। एके-47 को कैसे चार मिनट में खोलकर असेंबल किया जाता है, इसके वीडियो बनते थे । हमारी सरकार ने जेलों की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त कर के आज जेलों के अंदर जो लोग जा रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है कि टैरिरिज़म को फैलाने का मतलब क्या होता है । यह एहसास दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, जो देश विरोधी बात करता था, उसको सुरक्षा दी जाती थी । सुरक्षा देने के लिए खतरे के पैरामीटर्स होते थे । जम्मू कश्मीर में एक नया पैरामीटर था । चार भारत विरोधी बयान दे दो, आपको तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। ...(व्यवधान) मेरी तो समझ में ही नहीं आता। ...(व्यवधान) सरकार के खर्चे से, भारत की जनता के खर्चे से भारत विरोधियों को सुरक्षा देने का क्या तर्क था? कोई थ्रैट नहीं है, मारने वाले उनको नहीं मारेंगे, यह पूरी दुनिया को मालूम है। मारने वाले भारत की बात करने वाले को मारते हैं। भारत की बात करने वाले को सुरक्षा नहीं मिलती थी, भारत का विरोध करने वाले को सुरक्षा मिलती थी। ...(व्यवधान) इसका रिव्यु कभी नहीं किया जाता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, 2 हजार लोगों को जो व्यक्तिगत सुरक्षा दी गई थी, उसका हमने रिव्यु किया । उनमें से 919 ऐसे लोग थे, जिनको सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था, उनको भारत विरोधी सर्टिफिकेट के

कारण सुरक्षा मिली थी । ...(व्यवधान) उनकी सुरक्षा को हटाने का काम इस सरकार ने किया है। ...(व्यवधान)

पाकिस्तान के चैनल्स दिखाए जाते थे, भारत विरोधी प्रचार होता था, भारत विरोधी कार्यक्रम होते थे, भारत के अंतर्गत विषयों को तोड़-मरोड़कर रखा जाता था। जो कश्मीर के युवा को बहकाता था, गुमराह करता था, उन चैनलों पर रोक कभी नहीं की गयी। मैं आज इस सदन के अंदर श्रीमान राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं, देश के प्रधान मंत्री का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि भारत विरोधी जितने भी पाकिस्तान के भी अनऑथराइज्ड चैनल थे, उनका प्रसारण इस सरकार ने बंद करने का काम किया ।

माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। माननीय सदस्य मनीष जी ने ठीक ही कहा है कि हर पार्टी जब सरकार में रही है, उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया है, इसको नेस्तनाबूत करने के लिए प्रयास किया है। इसका किसी ने समर्थन नहीं किया, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी । परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लड़ने-लड़ने के तरीके में बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है।

पहले लड़ाई क्या चलती थी कि टेरेरिस्ट घुसकर आते थे, यहां के अपने लड़कों को गुमराह करते थे, अपनी टोली को बड़ा करते थे, हथियार मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे और बेरोकटोक भारत के अंदर टेरेरिज्म को फैलाते थे । हम लड़ाई क्या लड़ते थे कि उन टेरेरिस्टों को मारते थे, उन अपने ही लड़कों को मारते थे। अपनी जमीन पर अपने सुरक्षाकर्मी, अपने लड़के भी मरते थे, टेरेरिस्ट भी मरते थे। एप्रोच क्या होनी चाहिए? टेरेरिज्म कहां से आता है? हम सब को मालूम है कि कश्मीर के अंदर और देश के अंदर जो टेरेरिज्म की समस्या है, वह पड़ोस के देश से आती है, वहीं से जनरेट होती है। ये कश्मीर का टेरेरिज्म पाक प्रेरित टेरेरिज्म है। हम हमारी जमीन पर लड़ाई लड़ते थे। देश की जनता ने मोदी जी को चुना, परिवर्तन आया और मोदी जी को चुनने के बाद लड़ाई के तरीके में परिवर्तन आया । हमारी भूमि पर लड़ाई लड़नी हो तो वे तो लड़ते ही हैं और भी मजबूती से लड़ते हैं और भी मजबूती से लड़ेंगे, परंतु जहां टेरेरिज्म की जड़ है, वहां उनके घर में घुसकर उनके दिल दहलाने, हमले करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, सवाल उठाए गए, शान्ति के दूत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने लगे। मैं कहना चाहता हूं कि रिकॉर्ड क्लीयर रहना चाहिए देश की जनता और दुनिया के सामने कि हमारे दोनों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के अंदर एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई, पूरे के पूरे टेरेरिस्ट मारे गए। माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड क्लीयर रहना चाहिए और हमने कोई हमला नहीं किया है। यह भारत का आत्म रक्षा का अधिकार है। एक सार्वमौमिकता प्राप्त करने वाले देश को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और सर्जीकल स्ट्राइक तथा एयर स्ट्राइक दोनों भारत की आत्म रक्षा के अधिकार का प्रयोग है। पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया भर के डिफेंस के पण्डित कहते थे कि भारत की नीति नहीं है, ये फ्ल्यूक है, अचम्भे में हो गया है, अचानक कर दिया है। यह बात भी सही थी, पहली बार हो रहा था। जो बोलते थे, वह तो हम सुनते थे। जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। पुलवामा हमला हुआ, हमारे 40 सी.आर.पी.एफ. के जवान शहीद हो गए। सब को लगता था कि अब क्या होगा? अचम्भे से तो अब नहीं होगा, पाकिस्तान सावधान है। बीच में सेना बिछा दी, टैंक बिछा दिए, मगर माननीय अध्यक्ष जी नरेन्द्र मोदी सरकार का देश की रक्षा के लिए कमिटमेंट जस का तस था। उन्होंने टैंक बिछाए, तोपें बिछाई, सेना बिछा दी, नरेन्द्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। एयर स्ट्राइक होने के बाद आज दुनिया में कोई नहीं कहता कि यह फ्ल्यूक है। पूरी दुनिया मानती है कि भारत की सुरक्षा नीति बनी है और देश को सुरक्षित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। मैं यह नहीं कहता कि बाकी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है, मगर करने-करने में अंतर है और उनके परिणामों में भी अंतर आता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो जाना नहीं चाहता था, कुछ लाया भी नहीं था कि क्या बोलूं। मुझे लगता था कि सब समर्थन कर देंगे तो मेरे बोलने का मौका ही नहीं आएगा। मनीष जी खड़े हो गए। मनीष जी ने इतिहास की बात की।

इन्होंने इतिहास की बात की है, तो मुझे भी इतिहास में जाना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये इतिहास की बात करते हैं। इन्होंने विभाजन की बात की, कि विभाजन के कारण पूरा देश रक्तरंजित हो गया। विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता। हम न उस वक्त विभाजन का समर्थन करते थे, न आज करते हैं। मनीष जी विभाजन का सवाल उठा रहे हैं। किसने किया विभाजन? हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यह

ऐतिहासिक गलती हुई है। इसकी उँचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है। मगर हमने वह गलती नहीं की है। गलती आपने की है, आपकी पार्टी ने की है और इस इतिहास से आप भाग नहीं सकते।

माननीय अध्यक्ष जी, ये हमें इतिहास की दुहाई दे रहे हैं। एक तिहाई हिस्सा जम्मू-कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि की, तो वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहाँ गई। उसने पाकिस्तान की कबीलाई के रूप में भेजी हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया । खदेड़ते-खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एल.ओ.सी. तक पहुंचे। किसने सीज़फायर कर दिया?

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया । जवाहर लाल नेहरू उस वक्त प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने सीज़फायर किया । वह हिस्सा आज पाकिस्तान में है । आप हमें इतिहास सिखाते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, फलाने को नहीं लेते, ढिमके को नहीं लेते । जवाहर लाल नेहरू जी ने देश के गृह मंत्री और उप प्रधान मंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर यह कर दिया। अगर भरोसे में लेते, तो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के कब्ज़े में होता। इसको वापस लेने के लिए इतनी जद्दोज़हद न होती और शायद भरोसे में लेते तो टेरेरिज्म का मूल ही न उगता । इसलिए, मनीष जी इतिहास हमें मत सिखाइए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि बहन मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 600 से ज्यादा रिसासतें थीं, राजे-रजवाड़े थे। ओवैसी जी चले गए हैं। वह मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। ऐसी प्रॉब्लम हैदराबाद में भी हुई थी । मजलिस ने ऐसा किया था। ऐसी प्रॉब्लम जूनागढ़ में भी हुई थी, मगर ये दोनों प्रॉब्लम्स सरदार पटेल जी टैकल कर रहे थे। आज हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा हैं। उस वक्त जम्मू-कश्मीर कौन देख रहा था?...(व्यवधान) । माननीय अधीर रंजन जी, सुरेश जी बैठिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने सवाल नहीं खड़े किए। ...(व्यवधान) । जवाब क्यों न दें? उस भूल के कारण आज देश को सज़ा भुगतनी पड़ रही है। उस भूल के कारण आज हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। उस भूल के कारण देश टेरेरिज्म का शिकार बना है। क्यों न दें जवाब? ...(व्यवधान) क्यों न दें नाम? जरूर देंगे। ये इतिहास का हिस्सा हैं। ...(व्यवधान) । माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं। सुरेश जी, प्लीज़ मुझे सुनिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपने वायदा किया था कि आप व्यवधान पैदा नहीं करेंगे। आप बात सुनें। जब आपके माननीय सदस्य बोल रहे थे, तब मैंने इधर की बेंचों के सदस्यों को चुप कराया था।

…(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): आप जवाहरलाल नेहरू पर दोषारोपण क्यों कर रहे हैं? ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया शांत हो जाइए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अमित शाह: मुझे जवाब तो देने दीजिए। मैं बताता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। आप लोग कृपया बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आसन पैरों पर है।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: सुरेश जी, आपके नेता बोल रहे हैं, उनको तो सुन लीजिए।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अगर हिस्ट्री की बात हो रही है तो हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको बोलने का मौका देंगे ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपके माननीय सदस्य ने भी हिस्ट्री बतायी थी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको रिप्लाई के बाद बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मालूम नहीं था कि सच्चाई सुनकर इनको इतना दुख लगेगा। मैं फिर से नाम नहीं लूंगा, प्रथम प्रधान मंत्री कहूंगा। ...(व्यवधान) नाम नहीं लूंगा, कह तो रहा हूं ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं व्यवस्था देख लूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आसन पैरों पर है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जब आपके माननीय सदस्य इतिहास के बारे में बोल रहे थे तब मैंने ट्रैज़री बैंचिज़ से भी आग्रह किया था कि कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। आपने भी कहा था। अगर आपको कोई बात कहनी है तो माननीय गृह मंत्री के बाद दो मिनट बोलने का समय आपको भी दिया जाएगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, आप इनसे रेज़ोल्यूशन पर बोलने के लिए कहिए। रेज़ोल्यूशन से बाहर बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन जी जिस संधि की बात कर रहे हैं, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि यह संधि सिर्फ जम्मू-कश्मीर के साथ नहीं हुई थी, देश की 630 रियासतों के साथ हुई थी। मेरा कहने का यही मतलब है कि 630 रियासतों के साथ संधि हुई कहीं 370 नहीं बचा है। श्री जवाहर लाल नेहरू ने एक ही जगह नेगोसिएशन किया था और आज वहां 370 है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: स्पेशल सिचुएशन थी ...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि स्पेशल सिचुएशन थी।

इनके अप्रोच के कारण ही इस समस्या का उद्भव हुआ है।...(व्यवधान) साहब, ऐसे तो नहीं चलेगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अधीर रंजन जी, आप बोलने ही नहीं देंगे। ऐसा कैसे चलेगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*) ... *

श्री भगवंत मान (संगरूर): आप बिल पर बोलिए।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मैं बिल पर ही बोल रहा हूं।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यहां चिंता व्यक्त की गई।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सीट पर बैठे-बैठे ज्ञान मत दीजिए। यह संसद है, मर्यादा से चलेगी।

...(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, अभी कहा जाए कि भरोसा नहीं है। मैं पार्शियली इस बात से सहमत हूं कि जम्मू-कश्मीर की आवाम और भारत की आवाम के बीच में खाई पैदा हुई है। मगर भरोसा क्यों नहीं बना, क्योंकि पहले से भरोसा बनाने का प्रयास ही नहीं किया गया था। मैं थोड़ा और इतिहास में पीछे जाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर के अंदर सन 1931 में मुस्लिम कान्फ्रेंस की स्थापना हुई। इसके नेता कौन थे? शेख अब्दुल्ला साहब। मुस्लिम कान्फ्रेंस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने वहां पर लंबे समय तक अपनी पार्टी भी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मुस्लिम कान्फ्रेंस को चलाना चाहते थे, समर्थन करना चाहते थे।

माननीय अध्यक्ष जी, क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने शेख अब्दुल्ला पर आंख बंद करके पूरी तरह से भरोसा किया था। सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे और अब्दुल्ला साहब टोकरी लेकर ही भाग गए। स्थिति क्या पैदा हुई? शेख अब्दुल्ला साहब को वहां का प्रधान मंत्री बनाया गया। 23 जून, 1953 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू-कश्मीर के संविधान का विरोध करते हुए, परमिट प्रथा का विरोध करते हुए, देश में दो प्रधान मंत्री के प्रावधान का विरोध करते हुए, जम्मू-कश्मीर की सरहद के अंदर घुसे, तो उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था और जेल के अंदर उनकी शंकास्पद मृत्यु हो गई थी।...(व्यवधान) अब कहेंगे कि अगर मृत्यु हो गई, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसकी जांच तो हो सकती है। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देश के विपक्ष का नेता था। नई बनी हुई, मगर एक पार्टी का नेता था। देश के भूतपूर्व उद्योग मंत्री थे, बंगाल के नेता थे। अगर आज बंगाल भारत में है, तो उसमें श्यामा प्रसाद जी का योगदान है। वरना आज बंगाल भारत में नहीं होता।

माननीय अध्यक्ष जी, उनकी मृत्यु हुई, लेकिन जांच नहीं की गई। उसके बाद देश में ऐसे हालात बने कि 8 अगस्त को शेख अब्दुल्ला को पदच्युतत करके उनको जेल में डालना पड़ा। किसने भरोसा किया? क्यों भरोसा किया? वहीं से यह विश्वास टूटने की बात शुरू हुई है, मनीष भाई। माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव कराने चाहिए। चुनाव नहीं करते हैं, तो जम्मू-कश्मीर की आवाम के अंदर शंका पैदा होती है। अच्छा हो गया कि ओवैसी साहब आ गए। ओवैसी जी ने भी कहा कि चुनाव कराने चाहिए, शंका उत्पन्न होती है।

चुनाव कराए गए 1957 में, चुनाव कराए गए 1962 में, चुनाव कराए गए 1967 में, शंका क्यों उत्पन्न होती है, उसका मूल वहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे चुनाव फर्ज़ी कराए गए, जिसमें जम्मू-कश्मीर की जनता को वोट नहीं देने दिया गया। हमारी सरकार नहीं थी, न 1957 में थी, 1962 में थी और न ही 1967 में थी। ये तीनों चुनाव डेमोक्रेसी के नाम पर मजाक थे। वहीं से जम्मू-कश्मीर की जनता के मन में इस शंका का बीज आरोपित हुआ है, जो आज बड़ा पेड़ बनकर, दरख्त बनकर खड़ा है। यह हमने शुरू नहीं किया है। यहां पर जम्मू- कश्मीर के मेंबरान भी बैठे हैं। वे शायद अब्दुल खालिक के नाम को जानते होंगे, जो श्रीनगर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। आधी घाटी श्रीनगर जिले में आती थी, उस वक्त ज्यादा जिले नहीं थे। उस वक्त दो हिस्से होते थे, एक जनता के चुने हुए एमएलए होते थे और एक खालिक साहब के बनाए हुए एमएलए होते थे।

तीनों चुनावों के अंदर ख़ालिक साहब के सामने ही पर्चे दिए जाते थे। ख़ालिक साहब उनको रिकॉर्ड पर नहीं लेते थे और 25 से 31 तक मेंबरान निर्विरोध चुने जाते थे। यह डैमोक्रेसी का मज़ाक हमने नहीं उड़ाया था। डैमोक्रेसी की हत्या हमने नहीं की थी। जब ख़ालिक जैसे लोग सरकार के एजेंट बन कर चुनाव कराते हैं तो जनता के मन में दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है और उसमें से शंका उत्पन्न होती है। चुनाव तो सन 1977 में मोरारजी भाई ने कराए थे। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराए थे, जिसमें सबको वोट देने का अधिकार था। चुनाव हमारे शासन में हुआ। हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमने बहुमत के लिए किसी ख़ालिक को नहीं ढूंढा। जनता ने जो मेंडेट दिया, उसको हमने स्वीकार किया। मैं अभी-भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग जब भी तय करेगा, चुनाव डैमोक्रेटिक तरीके से कराए जाएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। केन्द्र सरकार का उसमें कोई दख़ल नहीं होगा। कुछ मेंबरान ने पूछा कि चुनाव कब कराएंगे?...(व्यवधान) सवाल आपकी बेंच से ही उठा। इसलिए उठा कि पहले इलैक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी चलाती थी, लेकिन हम नहीं चलाते हैं। हमारे समय में इलैक्शन कमीशन के फैसले इलैक्शन कमीशन ही करता है। ...(व्यवधान) रिकॉर्ड है। ...(व्यवधान) अगर आपको ...(व्यवधान) साहब, ऐसे भी तीन अलग-अलग चुनाव आपने कराए हैं। ...(व्यवधान) इतिहास में मत ले जाइए। इतिहास में ले जाओगे तो आपको ही सुनना पड़ेगा और बाद में वहां से डांट भी खानी पड़ेगी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। आज कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। नई पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं। जीतती हैं और जीतकर आती हैं। कोई किसी को रोकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तत्वाधान में वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, जो रिगिंग नहीं करती हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, शेख़ अब्दुल्ला जी को जेल में डाला। बाहर निकाला। फिर से सी. एम. बनाया, फिर से झगड़ा किया। फ़ारुख़ अब्दुल्ला जी सी. एम. बने और फ़ारुख़ अब्दुल्ला को भी बाहर निकालने का भी एक बड़ा इतिहास है। यहां से बी. के. नेहरु गवर्नर बन कर गए। उनको कहा गया कि अब आप राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट भेजो। बी. के. नेहरु कौन हैं, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है। किनके रिश्तेदार हैं, वह भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आज बी. के. नेहरु साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वह रिपोर्ट नहीं भेजी। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी । रुक जाते, ऐसा नहीं हुआ। इसके एक सप्ताह में ही बी. के. नेहरु का इस्तीफा कराया गया और दूसरा गवर्नर भेजा गया। दूसरे गवर्नर ने तीन ही दिन में 356 का उपयोग किया।

माननीय अध्यक्ष जी, शंका क्यों पैदा हुई थी? जम्मू-कश्मीर की अवाम के दिमाग के अंदर शंका किसलिए पैदा हुई? शंका के बीज किसने रोपे? हमने नहीं रोपे थे। शंका के बीज रोपने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है ।

माननीय अध्यक्ष जी, गुलाम मोहम्मद साहब को पार्टी तोड़ कर मुख्य मंत्री बना दिया गया। एक महीने के अंदर ही सिचुएशन ऐसी हुई कि मालूम ही नहीं पड़ा कि गुलाम मोहम्मद शाह भारत के किसी सूबे के मुख्य मंत्री हैं या पाकिस्तान के किसी सूबे के मुख्य मंत्री है। उनके बयान इस तरह से आते थे कि उनको भी अंत में हटाना पड़ा। यह पूरी जो उठा-पटक चली, शेख़ अब्दुल्लाह साहब से ले कर गुलाम मोहम्मद साहब तक की, उस उठा-पटक के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, गवर्नेंस समाप्त हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, टैरेरिज्म के खिलाफ हमारी जो लड़ने की मंशा थी, सिक्योरिटी फोर्सेज़ का जो हौसला था, जम्मू कश्मीर की जनता का जो विश्वास था, वह चूर-चूर हो गया था और टैररिज्म पीक पर पहुंचता गया ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए बताता हूँ कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा। रोग क्या है, वह समझना पड़ेगा। उसकी दवाई करनी पड़ेगी, भले ही कटु हो, वह दवाई ही रोग को खत्म कर सकती है। आतंकवाद को वह दवाई ही समाप्त कर सकती है ।

माननीय अध्यक्ष जी, एक समय ऐसा आया कि पूरी कश्मीर घाटी के अंदर भारत का कोई निशान नहीं मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पर इंडिया शब्द जहाँ लिखा है, वहाँ चादर डाल दी जाती थी। भारत का झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी और नरेन्द्र मोदी जी ने यात्रा लेकर लाल चौक में जाकर अपनी जान की बाजी लगा कर झंडा फहराया। उस वक्त हम नहीं थे, हम दूर-दूर तक सत्ता में नहीं थे। ये हमें कह रहे हैं कि शंका हो रही है, डर पैदा हो रहा है। डर पैदा ही होना चाहिए, जिनके मन में भारत का विरोध है, उनके मन में डर पैदा ही होना चाहिए। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके मन में डर होना चाहिए। हम “टुकड़े-टुकड़े गैंग' के मेम्बर नहीं हैं। यह रिकॉर्ड इस हाउस में क्लियर है। हम 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के मेम्बर नहीं हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। उनके मन में डर होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि जम्मू-कश्मीर की अवाम के मन में डर होना चाहिए। हमने तो उनको देश भर में घुमाया, बच्चों की नौकरियों पर बाद में आऊँगा, क्या-क्या किया है, बच्चों को नौकरियाँ देने की शुरुआत की, कोर्टों को एस्टेब्लिश किया, स्कूलों को फंक्शनिंग में लाए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की, मिड-डे-मील उन तक पहुंचता रहा और जम्मू कश्मीर की घाटी की विधवा बहनों तक विधवा पेंशन पहुँच रही है। एक बूढ़े कश्मीरी को बुढ़ापे की पेंशन मिल रही है। उनको आज प्रधान मंत्री जी का कार्ड मिल गया है, जिससे पाँच लाख तक का इलाज वह फ्री ऑफ कॉस्ट में ले रहे हैं। उनके घर में उन्होंने गैस के सिलेंडर का स्वप्न नहीं देखा था, आज उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुँचा है, शौचालय पहुँचा है। अध्यक्ष जी, हम डर पैदा नहीं करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की अवाम को हम अपना मानते हैं, हमारी है। हमारे भाई, हमारी बहनें हैं, हम गले से लगाना चाहते हैं। मगर आपने जो शंका का पर्दा डाला है, वह हटाने में हमें तकलीफ हो रही है। मैं इसलिए पूरे इतिहास में जा रहा हूँ। अधीर रंजन जी ने कहा कि पीछे का क्यों बता रहे हैं। दो बातें हैं। ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने पीछे का नहीं बोला, मैंने कहा असलियत बताइए।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मैं असलियत ही बता रहा हूँ। अभी तो बहुत है, जरा सुन लीजिए।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कश्मीर की अवाम की चिंता करने वाली सरकार है। आज तक उनकी पंचायतों को अपना पंच और सरपंच चुनने का अधिकार किसने नहीं दिया था। सिर्फ तीन ही परिवार इतने साल तक कश्मीर पर शासन करते रहे। पंचायत का शासन भी वह करे, तहसील पंचायत का भी वही करे, जिला पंचायत का भी वह करे, म्यूनिसिपेलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी वह करे और सरकार भी वह चलाए, क्यों भाई? जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? आज माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुझे यह बताते हुए, इस सदन को बताते हुए आनन्द हो रहा है कि 40 हजार पंच-सरपंच अपने अधिकार के साथ अपने गाँव का विकास कर रहे हैं। विश्वास इस तरह से खड़ा होता है। विश्वास खड़ा करने की प्रकियाएँ हैं, हमने तो अधिकार दिए, आपके समय में अधिकार छीने गए हैं। हसनैन साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अधिकार हमने लिया। अधिकार हमने दिया है और वही तकलीफ है कि अधिकार तीन परिवारों के पास से निकल कर जनता के पास जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायत का चुनाव होना चाहिए, भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी का ही यह सपना था, इसी सदन के अंदर लेकर आए। मगर दुःख का विषय यह है कि जम्मू-कश्मीर तक नहीं पहुँचा है। वह जम्मू-कश्मीर तक पहुँचाने का काम हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कहते हैं कि सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं है। हमने साहब तारीख के अंदर बहुत सारे चुनाव देखे हैं, जिसमें असेम्बली के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर खून की नदियाँ बही हैं। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, 40 हजार पदों के लिए 4 हजार गाँवों में चुनाव हुआ, खून का कतरा भी जम्मू-कश्मीर की भूमि पर नहीं गिरा है और आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है। अभी लोक सभा चुनाव हुआ, खून का एक कतरा भी जम्मू-कश्मीर की जमीन पर नहीं गिरा और आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है, मगर यह कंट्रोल आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपका देखने का नज़रिया अलग है, हमारा देखने का नज़रिया अलग है।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक जम्मू-कश्मीर की जनता को भरोसे में लेने का सवाल है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, उनके कल्याण का सवाल है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि

उनको कुछ ज्यादा भी देना पड़ेगा, तो हमारी इसलिए तैयारी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सहा है। कुछ ज्यादा देने में कोई दिल नरेन्द्र मोदी जी का या हमारी सरकार का दिल कोई छोटा नहीं हो जाएगा, हम बड़े हृदय के साथ में इसके विकास में लगे हैं।

महोदय, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि यह सिर्फ तकरीर नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम जम्मू-कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, तो यह सिर्फ तकरीर नहीं है, भाषण नहीं है, जम्मू- कश्मीर के अवाम की खुशहाली के लिए, जम्मू-कश्मीर के अवाम को विकास देने के लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए। 7 नवम्बर, 2015 को प्रधान मंत्री जी ने, आजादी के बाद सबसे बड़ा एक विशेष पैकेज जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का देने का काम किया।

महोदय, इस पैकेज के पहलुओं में जाते हैं तो यह पैकेज सर्वस्पर्शी है। यह लद्दाख को भी स्पर्श करता है, जम्मू को भी स्पर्श करता है, घाटी को भी स्पर्श करता है और पहाड़ियों को भी स्पर्श करता है। यह सर्वस्पर्शी पैकेज है। यह पैकेज सर्व समावेशक पैकेज है। इसमें जम्मू-कश्मीर के हरेक नागरिक का समावेश हुआ है। इस पैकेज के तहत 63 बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के हैं, 16 बड़ी सड़कें हैं, 8 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, 2 एम्स हैं, 2 आईआईएम हैं, 1 आईआईटी है। पैकेज की घोषणाएं तो बहुत सारी हुई हैं। कल मैं रिव्यू लेने के लिए गया था, एक ब्रिज के बारे में मुझे बताया गया, 32 साल पहले उसका भूमि पूजन हुआ है, 2 खंभे वहाँ लगे हैं, मगर ब्रिज निर्माण अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।

महोदय, नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति पैदा की है कि जिसका भूमि पूजन हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। लगभग-लगभग 82 प्रतिशत धनराशि भेजी जा चुकी है। 44 प्रतिशत से ज्यादा धनराशि के टेंडर आबंटित हो चुके हैं और 16 प्रोजेक्ट्स अब तक पूरे समाप्त होकर माननीय प्रधान मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री जी ने उनका उद्घाटन करने का काम भी समाप्त कर दिया है।

महोदय, लद्दाख के क्षेत्रफल के अनुसार लट्दाख का 45 प्रतिशत भू-भाग है, मगर वहाँ पर स्थानीय ईकाई के चुनाव हो सकें, ऐसी स्थिति नहीं है। वे बिखरे पड़े हैं। वे बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर छिटपुट-छिटपुट रहते हैं। हमने वहाँ की हिल काउंसिल को पंचायत की तरह उनके विकास का अधिकार उनको सुपुर्द करने

का काम किया और आजादी के बाद पहली बार लद्दाख को लग रहा है कि हिल काउंसिल की दृष्टि से हमें हमारा बजट खूब मिलेगा।

महोदय, उनकी फरियाद थी कि हमें प्रशासन का अनुभव नहीं है। आजादी के बाद पहली बार हमें अधिकार मिला है, हो सकता है कि हम इसे खर्च न कर पाएं, आप एक ही साल की अवधि देते हो, तो हमने लद्दाख को एक स्पेशल फेवर दिया है कि इनकी काउंसिल को जो भी बजट दिया जाएगा, वह लैप्स नहीं होगा, वह क्यूम्यूलेटिव इफेक्ट से सालों तक बरकरार रहेगा।

महोदय, हम चिंता करने वाले लोग हैं। श्रीनगर-लेह ट्रासमिशन लाइन पूरी कर दी गई है। कारगिल और हेनली में 7500 मेगावाट की क्षमता से चलने वाले सोलर प्लांट की नींव रख दी गई है। 2 नए डिग्री कॉलेज लद्दाख में खोले हैं। 5 नए टूरिस्ट सर्किट और 5 नए ट्रेकिंग के मार्ग खुले हैं। मैंने कल रिव्यू में इस बारे में पूछा। पाँचों मार्ग पर आज तक दुनिया भर के 170 से ज्यादा दल ट्रेकिंग के लिए आए हैं। यह लेह-लद्दाख के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, 6 राज्य और दिल्ली में हमारे कश्मीरी पंडित, जो वहाँ से निष्कासित किए गए हैं, जो भागकर आए हैं, उनके लिए भी हमने बहुत कुछ किया है। उनकी नगद राहत को 2015 में 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया, 2018 में उसे 13 हजार रुपये किया गया। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा यह राशि सीधे उनके एकाउंट में पहुँचा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार में 3 हजार अतिरिक्त पद सृजित किए गए, यह उनके लिए किए गए और इसकी भर्ती की प्रक्रिया भी चालू है और 600 से ज्यादा लोगों को मिला है। ओवैसी साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आपने पंडितों के लिए क्या किया? मैं मानता हूँ कि वे सुनते होंगे, उनका ध्यान भी होगा। हमने घाटी के अंदर 6 हजार ट्रांजिट आवासों का निर्माण कश्मीरी पंडितों के लिए शुरू किया है। अब जम्मू प्रवासियों को भी, कश्मीर की तरह, जो बाहर गए हैं, नकद राशि दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर में पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर और छम्ब से जो विस्थापित आए थे, जिन्हें वहां से भागना पड़ा, उन्हें साढ़े पाँच लाख रुपये प्रति परिवार सहायता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपके माध्यम से सदन को यह बताते हुए मुझे आनन्द है कि आज

तक 26,989 लोगों को 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि उनके बैंक एकाउंट्स में ट्रांसफर की गयी है। यह 70 सालों से नहीं हुआ, भरोसा इसलिए टूटा, शंका इसलिए उत्पन्न हुई।

माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए, उन्हें भी साढ़े पाँच लाख रुपये देने की शुरुआत की गयी है। जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से गोलीबारी होती है। इससे मृत्यु अथवा 50 प्रतिशत दिव्यांगता के मामले में पाँच लाख रुपये तक की राशि दी गई। दुधारू पशुओं की हानि पर पचास हजार रुपये दिए गए। कठुआ, साम्बा, जम्मू, राजौरी और पुँछ जिले में पन्द्रह हजार बंकरों के निर्माण की शुरुआत की गयी। 4400 बंकर्स बनाए जा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इसके सृजन के लिए भी हमने बहुत काम किया है। दो बॉर्डर बटालियन्स की मंजूरी दी गयी। दो हजार नए विशेष पुलिस अधिकारियों के पदों को मंजूरी दी है। उनकी भर्तियां हो चुकी है, ट्रेनिंग चालू है। पाँच नई आई.आर. बटालियन्स, दो नई वूमेन बटालियन्स, और सीमावर्ती जिलों में इनकी भर्ती में 60 प्रतिशत आरक्षण देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। यह काम एक साल के अन्दर हुआ है।

अध्यादेश जारी करने के बाद आरक्षण के मामले में, जो लोग नियंत्रण रेखा के पास रह रहे हैं, उनको भी इसका फायदा होगा। अगर आप सब सहमति देंगे तो इसे कानून बनाएंगे और जम्मू क्षेत्र के इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों को भी इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार में 41,000 नए पद सृजित किए गए हैं। 'हिमायत', 'उड़ान', और 'पी.एम.के.वी.वाई.' जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत 2.27 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। देश के दूसरे स्थानों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा के लिए 18,000 से ज्यादा युवकों को पी.एम, स्कॉलरशिप्स देने का काम किया गया। 'वतन को जानें' प्रोग्राम के तहत 6,000 कश्मीरी युवाओं को, जो शंका आपके समय में सूजित हुई थी, उस शंका का निवारण करने के लिए, देश भर में घुमा कर, देश आपका है - इसका अहसास दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया।

'सेवा' के माध्यम से कुपवाड़ा में लगभग 880 मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए, 4900 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी लम्बी चीज़ें हैं। मैं सदन का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो भय की बात है, इसके दो हिस्से हैं। जम्मू-कश्मीर की जो अमन पसन्द अवाम है, उनके मन में कोई भय नहीं है, बल्कि उत्साह है। उन्हें नए मौके दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि 70 सालों के बाद वे तीन परिवारों के चंगुल से मुक्त हुए हैं। मगर, जिनके मन में जम्मू-कश्मीर के अन्दर आग लगाने की मंशा है, जिनके मन में जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की मंशा है, जिनके मन में अलगाववाद खड़ा करने की मंशा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, उनके मन में भय है, यह होना चाहिए और यह और बढ़ेगा। जो देश के साथ जम्मू-कश्मीर को जोड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें जरूर भयभीत होना चाहिए और वह अच्छे शासन का गुणधर्म है।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अलग-अलग चीजें उठाई हैं। अपने भर्तृहरि जी ने यह प्रश्न उठाया कि क्या इस ऑर्डिनैंस को फिर से राज्य विधान मंडल की अनुमति की जरूरत पड़ेगी? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के संविधान ने भारत की संसद के दोनों सदनों को यह अधिकार दिया हुआ है। लेकिन, अगर वहां नई चुनी हुई सरकार आती है तो वह इस बिल पर जरूर पुनर्विचार कर सकती है। किसी भी बिल पर कोई भी सदन पुनर्विचार कर सकता है। अगर वहां विधान मंडल है तो उसे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दानिश अली जी ने कहा कि इंसानियत, ज़म्हूरियत और कश्मीरियत' की नीति चालू रहनी चाहिए। दानिश अली साहब, “इंसानियत, ज़म्हूरियत और कश्मीरियत' की नीति चालू ही है। इंसानियत तो वह है कि 70 सालों के बाद जम्मू-कश्मीर की माताओं को एक टॉयलेट उपलब्ध कराने का काम इस सरकार ने किया है, उनकी झोपड़ी को धुएँ से मुक्त कराने का काम किया है।

जम्मू-कश्मीर के अंदर एक लाख 42 हजार लोगों को घर देने का काम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इंसानियत तो यह है कि इनके मन में जो भय था, शंका थी और अविश्वास था, उसे दूर करने लिए हमने उनको सुरक्षा दी है और जो इसे खड़ा करते थे, उनके मन में भय का सृजन किया है, यही इंसानियत है।

जहां तक जम्हूरियत का सवाल है, 87 लोगों की जम्हूरियत की बहुत ज्यादा चिंता मत करो। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा, हम चुनाव करा लेंगे, शांतिप्रिय चुनाव होगा, उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। दानिश अली साहब, हमने 40 हजार लोगों तक जम्हूरियत को पहुंचाने का काम किया है। क्या 70 साल तक इन 40 हजार लोगों को जम्हूरियत मालूम थी? उनके यहां सरकार के एजेंट डाल देते थे। वे अपने नुमाइंदा नहीं चुन पाते थे। वे अपनी बात अपनी पंचायत में नहीं रख सकते थे। मेरे गांव में क्या चाहिए, वह तय नहीं कर सकते थे। मेरी तहसील के अंदर, मेरे जिले के अंदर क्या चाहिए, वे तय नहीं कर सकते थे। जम्हूरियत इसको कहते हैं कि आज गांव का विकास कैसे करना है, उस गांव के सरपंच और पंच बैठकर इस काम को कर रहे हैं। एक करोड़ रुपये, पचास लाख रुपये, अस्सी लाख रुपये जैसी अमाउन्ट ग्राम पंचायत के खाते में दिल्ली के खजाने से सीधे जाती है, इसको जम्हूरियत कहते हैं।

अब जहां तक कश्मीरियत का सवाल है, कश्मीरियत खून बहाने में नहीं है, कश्मीरियत देश का विरोध करने में नहीं है, बल्कि कश्मीरियत देश के साथ जुड़े रहने में है, कश्मीरियत कश्मीर की भलाई के लिए है, कश्मीरियत कश्मीर की संस्कृति को तवज्जो देने की है। किसने सूफ़िज्म को भगाया, किसने कश्मीरी पंडितों को भगाया, क्या वे कश्मीर की संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं? कहां गए सूफ़ी? मैं पूछना चाहता हूं। जो हम पर सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहा हैं सूफ़ी?

माननीय अध्यक्ष जी, हम कश्मीर की संस्कृति की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कश्मीरियत जरा भी डाइलूट नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि ऑर्डिनेन्स लाए। प्रेमचन्द्रन जी, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन, धारा 356, कितनी बार किस पार्टी ने लगाया। अगर और ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैं फिर से पढ़ देता हूं। ऑर्डिनेन्स के आँकड़ें आप देखेंगे तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे इसलिए मैं देना नहीं चाहता। जितने ऑर्डिनेन्स कांग्रेस के शासन में आए, उतने कुल मिलाकर बाकी किसी शासन में नहीं आए। इसके एक-चौथाई है, इसलिए आप हमें यह न कहें। छह महीने में ऑर्डिनेन्स को सदन में लाना ही पड़ता है। हम चर्चा भी करते हैं, शांति से चर्चा करते हैं। आपके एक-एक बात का मैं जवाब दे रहा हूं। ओवैसी साहब ने कहा कि डीलिमिटेशन का क्या करोगे...(व्यवधान) अच्छा, वह चले गए। छोड़ दीजिए, आगे

चले।...(व्यवधान) श्री नायडू जी ने कहा कि गृह मंत्री एश्योरेंस देंगे कि हम चुनाव करा देंगे । इलेक्शन हमें नहीं कराना होता है, चुनाव इलेक्शन कमीशन को कराना होता है। अध्यक्ष जी, जिस दिन इलेक्शन कमीशन अनुशंसा करेगा, हमारी सरकार चुनाव कराने में एक सेंकेंड की भी देरी नहीं करेगी।...(व्यवधान) यह विषय नहीं है, मगर जवाब चाहिए तो मैं उसका जवाब दे दूंगा।...(व्यवधान) आप खड़े होकर रिकॉर्ड पर कह दो, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। आपने 13 बार किया है। जब आपकी बारी आई, तब सहन नहीं होता है। 13 बार इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कराए और देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसको निकाल दिया है । ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन (वडाकरा): आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री अमित शाह: मैं एंग्री नहीं हो रहा हूं।...(व्यवधान) मैं जरा भी एंग्री नहीं हो रहा हूं। भईया, ऐसा है, जरा सुनिए तो मैं आपको बताता हूं। मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूं। मेरी आवाज़ ऊंची हुई है, वह इसलिए ऊंची हुई है कि अगर किसी को न सुनाई पड़े तो ध्यान से सुन ले।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जसबीर जी ने कहा...(व्यवधान) अरे भईया, इसको आप इतना पर्सनली क्यों लेते हो? किसी आदमी की आवाज़ बड़ी हो सकती है।...(व्यवधान) आप आवाज़ पर क्यों जाते हो? आप कन्टेन पर जाओ। हसनैन साहब ने कहा कि धारा 370 है। हसनैन साहब, मैं मानता हूं कि धारा 370 है। मगर क्या आप अस्थाई शब्द भूल गए हैं?

यह अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। अस्थायी शब्द है, आप भूल गए हैं या तो जान-बूझकर पढ़ते नहीं है। धारा 370 हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है, यह याद रखिएगा। यह शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। आपने कहा कि एप्रोच में परिवर्तन, मैं सदन के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे एप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी एप्रोच पहले भी वह थी, आज भी वह है, आगे भी यही रहेगी। भारत को सुरक्षित, समृद्ध, सुसंस्कृत और शिक्षित बनाने की एप्रोच हमारी जस की तस बनी रहेगी। इसलिए आप परिवर्तन की चिंता न करें। मैं इतना ही कहना चाहता

हूं कि ये जो संकल्प और बिल जो मैं आज लेकर आया हूं, ये जम्मू-कश्मीर की भलाई के लिए हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सिचुएशन खड़ी हुई है।

ओवैसी साहब ने यह भी पूछा था कि इसके साथ चुनाव क्यों नहीं कराए गए? काफी मेंबर्स ने भी पूछा कि लोक सभा के साथ वहां चुनाव क्यों नहीं कराए गए? मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि लोक सभा की छ: सीट्स होती हैं, छ: प्रत्याशी होते हैं। जब असेंबली का चुनाव करते हैं, तो ढेर सारी जगहों पर असेंबली के चुनाव होते हैं, ढेर सारे प्रत्याशी होते हैं। लोक सभा चुनाव के साथ इन सब को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। ढेर सारी सुरक्षा की ऊर्जा भारत विरोधियों को सुरक्षा देने में खर्च होती थी। अब उससे मुक्ति मिल गई है। चुनाव आयोग जब भी कहेगा, हम तुरन्त चुनाव करा लेंगे। इसकी आप जरा भी चिंता मत करिए। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र बहाल करना, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मगर हम तभी इसे कर सकते हैं, जब चुनाव आयोग हमें कहे।

माननीय अध्यक्ष जी, अंत में, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अपील करना चाहता हूं कि ये जो दोनों बिल मैं लेकर आया हूं, माननीय मनीष जी, अब सुनें, उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर इसका समर्थन करिए। यही विनती करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने सांविधिक संकल्प के संबंध में अपनी टिप्पणियों तक ही सीमित रहूंगा। मैं अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए सांविधिक संकल्प का उत्तर देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहूंगा। मैं सम्मानपूर्वक पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्मरण करना चाहूंगा, जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं और जिन्होंने इस संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को दुनिया की सबसे अच्छी प्रणाली बनाया है।

अपने सांविधिक संकल्प के संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष जो विशिष्ट प्रश्न रखा है उसका संबंध इस बात से है कि किस तारीख से अध्यादेश को प्रख्यापित किया जा रहा है। जी हां, माननीय मंत्री जी बिल्कुल सही हैं कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब तत्कालीन सरकारों, विशेषकर

कांग्रेस सरकार, द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे। लेकिन अध्यादेश को प्रख्यापित करने में कुछ तर्कसंगतता होनी चाहिए।

जहां तक इस मामले का संबंध है, जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम वर्ष 2004 का है, और भाजपा के नेतृत्व वाली श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले पांच वर्षों से सत्ता में रही है। इस सरकार को इस विषय पर कानून बनाने और उसे पारित करने का समय नहीं मिला। लेकिन 1 मार्च को, अर्थात् चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होने से ठीक 10 दिन पहले, सरकार ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण प्रदान किया जा सके। इसका मतलब है कि आप संविधान के अनुच्छेद 123 का उपयोग कर रहे हैं। यद्यपि आपके पास पूर्ण बहुमत है, फिर भी यह अनुच्छेद 123 (1) का दुरुपयोग है। यही वह मुद्दा है जिसे मैं उठाना चाहता हूं।

अन्य मुद्दों के संबंध में, मैं उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर राज्य में सैन्य बलों को आतंकवादी ताकतों को खत्म करने के लिए निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है, लेकिन साथ ही हमें सभी राजनीतिक उपायों से ऊपर उठकर जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रेम और स्नेह हासिल करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(*व्यवधान*)

...(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी: अध्यक्ष महोदय, क्या मैं दो मिनट के लिए अपनी बात रख सकता हूं? ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अमित जी, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। आप लोगों के सत्ता में आने क बाद, आपकी जिम्मेदारी संभालने के बाद, पिछले छ: महीनों में तिरंगे में लिपटी हुई ताबूत की कतार थमने का नाम नहीं ले रही है।

अपराह्न 4.00 बजे

एक के बाद एक सिक्युरिटी पसर्नेल जिस तरह से शहादत के शिकार हो रहे हैं, क्या आप यह सोचते हैं कि आपकी पॉलिसी कश्मीर में हमसे ज्यादा कामयाब हो रही है?

माननीय अध्यक्ष: भाषण नहीं देना है, केवल क्लेरीफिकेशन लेना है? मैं आपको विशेष इजाजत दे रहा हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपने अपने भाषण में कहा कि पहले विदेश से आतंकवादी आते थे, लेकिन अब कश्मीर में एक नया डाइमेंशन पैदा हो गया है। जहां लोकल मिलिटेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। आप कश्मीरी पंडितों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन उन लोगों की वापसी के लिए क्या प्लॉन है, इस बारे में आपको सदन को बताना चाहिए। चुनाव के पहले से आप लोगों से सुनते आ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ कर लाएंगे, कब दाऊद इब्राहिम को पकड़ कर लाएंगे? जब कश्मीर की बात होती है, यह कश्मीर की बात है। ...(व्यवधान) उन्हीं की बात कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य कुछ नियम प्रक्रिया होती है। कंस्टीट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने क्लेरीफिकेशन के लिए स्पेशल परमिशन दी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं माननीय मंत्री जी श्री अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 की उदघोषणा के प्रवर्तन को 3 जुलाई 2019 से और 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रखने का अनुमोन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं माननीय श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 2019 को प्रख्यापित जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री अमित शाह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.04 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण ...जारी *

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा बुंदेलखंड में किसानों को समय से सिंचाई का पानी न मिलना, बेतवा-केन को मिलाने के संबंध में तथा अन्ना पशुओं द्वारा उत्पन्न स्थिति के संकल्प पर जो चर्चा चल रही थी, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह चर्चा 21 जून को प्रारंभ हुई थी, आज यह चर्चा कन्टीन्यु हो रही है।

अपराह्न 4.05 बजे (श्री कोडिकुन्नील सुरेश *पीठासीन हुए*)

मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में आज किसानों की जो दशा है, वहां रहने वाले लोगों की जो दशा है, वह निश्चित रूप से बहुत दयनीय है। अन्ना पशुओं द्वारा किसानों की फसल को बर्बाद

---

* 21 जून, 2019 को श्री कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प पर आगे चर्चा।

किया जाता है। पूर्व सरकारों ने ऐसी कोई योजनाएं नहीं बनाई, जिसके कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अन्ना पशुओं पर लगाम लगाई जा सके।

माननीय सभापति जी, हम कह सकते हैं कि वर्ष 2017 के चुनाव के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में लोक सभा के सदस्य आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी बने। उन्होंने किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं दीं। उन्हीं योजनाओं के कारण से उत्तर प्रदेश की जो दयनीय स्थिति है, उसमें बड़ी तेजी के साथ सुधार हो रहा है। सुधार होने में समय लगेगा, क्योंकि अगर ये योजनाएं 15 साल पूर्व से लागू की गई होती तो किसानों की फसलों को बर्बाद करने वाली अन्ना पशुओं के कारण जो स्थिति है, उससे परेशान न होते। यहां समय से सिंचाई के साधन न मिलने की वजह से किसान परेशान है। जब हम छोटे थे तब बजुर्गों से सुनते थे कि खेती हमारे लिए अच्छा साधन है। उस समय वे कहते थे - उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख समान। तब खेती को उत्तम माना गया था, धंधे को द्वितीय माना गया था और नौकरी को एक भीख के समान माना गया था।

माननीय सभापति जी, अब यह उलटा हो गया है। आज हम खेती को भीख के समान समझ रहे हैं और नौकरी उत्तम स्थिति पर पहुंच गई है। आज किसान, जिसके पास खेती है, जो खेत में खेती तो करता है, उसे उतना अन्न नहीं मिलता है जितने पैसे का बीज वह खेत में डालता है। हमने करीब से देखा है, हमने भी खेती की है। हम बुदेलखंड के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड मे जब किसान खेती करता है, बीज डालता है, खाद डालता है, जुताई करता है, बुराई करता है और सब करने के बाद जितना खर्च होता है, उसकी आधी फसल भी उसे प्राप्त नहीं होती है।

हमें अच्छी तरह से याद है, एक बार मैंने छ: एकड़ खेत में खेती की थी। मसूर की खेती की थी, तीन क्विंटल बीज डाला था, खाद डाली थी, दवाई लगाई थी, समय से सब साधन किए थे। तीन क्विंटल बीज डाला था लेकिन, जब फसल काटकर खलिहान में लाए, उसकी मड़ाई की तो मात्र दो क्विंटल मसूर प्राप्त हुआ।

किसानों को इतना सारा नुकसान होता है, इसलिए आज किसान खेती को छोड़कर नौकरी की तरफ भाग रहा है। विशेष रूप से हमारे बुदेलखंड क्षेत्र में किसानों के पास खेती तो बहुत है, लेकिन उसके पास वह साधन नहीं हैं जिनसे वह अच्छी ऊपज ले सकें और अच्छा खद्यान्न पैदा कर सकें। विशेष रूप से बुंदेलखंड की स्थिति में जो मानसून है, जो वर्षा की स्थिति है, वह भी ठीक नहीं है। पहले वर्षा के समय 55-60 दिन तक वर्षा होती थी। उस समय हम छोटे थे, तब इतनी वर्षा होती थी कि बूढ़े-पुराने लोग कहते थे कि इस बादल को हो क्या गया है? छोटे-छोटे मकान गिर जाते थे। बाहर जाने के लिए, शौचालय जाने के लिए विवशताएं बन जाती थीं। उस समय शौचालय नहीं थे तो बाहर जाने में दिक्कत होती थी। आज वे बरसात के दिन, जो पहले 60 दिन तक बरसात होती थी, आज वह बरसात केवल 24 दिन तक सिमट गयी है। बरसात होती भी है तो हमारे यहां ऐसे साधन नहीं हैं, जिन साधनों के माध्यम से उस पानी को रोका जा सके। पानी बरसता है, बरसने के बाद नदी-नालों में चला जाता है। नदियों के बाद सीधा समुद्र में चला जाता है। काश हम लोगों ने जो पूर्व में सरकार रही, उसने अगर बांध बनाकर इस पानी को रोकने का प्रयास किया होता तो शायद बुंदेलखंड के किसानों की दुर्गति न होती।

माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017 के पहले मैं 2014 में सांसद बन गया था। ढेर सारी योजनाएं केंद्र से प्रदेश में भेजी गयी थीं। एक हमारे रिश्तेदार जो गरीब किसान थे, उन्होंने आकर मुझसे कहा कि सांसद जी आप सॉइल कन्जर्वेशन विभाग में कह दीजिएगा कि हमारे खेत में जाकर बंधी बनाई जाए क्योंकि भू-संरक्षण विभाग द्वारा खेतों में बंधी बनाई जाती हैं, बांध बनाए जाते हैं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि इस संकल्प पर चर्चा के लिए पहले ही दो घंटे का समय लिया जा चुका है और इस प्रकार आवंटित समय लगभग समाप्त हो गया है। क्योंकि चर्चा में सात और सदस्यों को भाग लेना है, इसलिए संकल्प पर आगे चर्चा के लिए सभा को समय बढ़ाना होगा।

यदि सभा की सहमति हो तो प्रस्ताव पर चर्चा का समय दो घंटे बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

माननीय सभापति: संकल्प पर चर्चा का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, दो घंटे का समय अपर्याप्त है। सात सदस्यों के बोलने के लिए कम से कम तीन घंटे की आवश्यकता होगी।

माननीय सभापति: हमने पहले ही समय दो घंटे बढ़ा दिया है। यदि यह अपर्याप्त रहता है, तो हम इस पर उस समय विचार करेंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, यह राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख मुद्दा है। नदियों को आपस में जोड़ना, जल की कमी, सिंचाई, वन्य जीव और इससे कई अन्य मुद्दे जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर विस्तृत चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय नेता श्री अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, दो घंटे पर्याप्त नहीं होंगे। चाहे वह चार घंटे और हो या छह घंटे, आप सभा को छह बजे स्थगित कर देंगे। अत:, सदस्यों की सूची समाप्त होने तक बार-बार समय बढ़ाने के बजाय, समय को और चार घंटे तक बढ़ाया जा सकता है और फिर यदि और अधिक सदस्य बोलना चाहते हैं तो इस पर पुन: विचार किया जा सकता है। महोदय, यह आपका विवेकाधिकार है। कई सदस्य यहाँ उपस्थित होंगे और हमारे साथ ऐसे तेजस्वी और यथेष्ट मंत्री जी बैठे हुए हैं जो इस विषय पर सभी सुझाव सुनना चाहते हैं। अत:, मेरा सुझाव है कि श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार इसे शुरू में चार घंटे के लिए बढा दिया जाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: जी हां।

माननीय सभापति: हमने पहले ही समय दो घंटे बढ़ा दिया है। अगर इसे और बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो हम उस समय परामर्श कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं विशेष रूप से बुन्देलखण्ड की उस स्थिति से इस सदन को अवगत करा रहा था। वर्ष 2000 के चुनाव के बाद उत्तरप्रदेश में ऐसी सरकार थी, जिसने बिल्कुल काम नहीं किया था। विशेष रूप से एक हमारे रिश्तेदार, जो खेती का काम करते थे, वे

हमारे पास आए। भूमि संरक्षण विभाग खेतों पर समतलीकरण और उस पर बंध बनाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि आप बी.एस.ए. से कह दीजिएगा कि एक बंधी बनाने का काम मुझे दे दें। मैंने बी.एस.ए. को फोन किया और कहा कि ये किसान हैं, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है और किसी के द्वारा इन्हें बंधी बनाने का काम दे दिया जाए। यह कहने के बाद हम भी ये सारी चीजें भूल गए। समय आया-गया, हो गया अभी जब वर्ष 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय मैं विधायक के पक्ष में वोट मांगने गया तो उन रिश्तेदारों का यह कहना था कि सांसद जी, मैंने एक काम के लिए कहा था, वह भी काम आप नहीं करा पाए। मैंने कहा क्यों, मैंने तो बी.एस.ए. को बोला था कि आप काम करिए, आपने मुझे बताया नहीं।

सभापति महोदय, आप सुनकर अचंभे में रह जाएंगे कि कुछ अधिकारियों ने उस किसान से जो थोड़ी बहुत ठेकेदारी करता था, कहा कि आप कमीशन के रूप में पहले 70 परसेंट पैसा जमा करा दीजिए। 30 परसेंट में बंधी का काम कीजिए, उसमें जो तुम बचा सकते हो, बचा लेना। मैं कह सकता हूँ कि वर्ष 2017 के चुनाव की क्या स्थितियां थी बुन्देलखण्ड में। आज मैं कह सकता हूँ कि योगी जी की सरकार है। किसानों के लिए नई नई योजनाएं दी जा रही हैं। अधिकारी सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें समय लगेगा। यह अन्ना पशु प्रथा, आज भी किसान परेशान हैं। आज भी वह अगर कोई फसल बो देता है तो रात में उसका बेटा जाता है। अगर खाना खाने उसे आना है तो उसका पिता पहुंच जाता है। पिता और बेटे यदि घर आते हैं तो उनके परिवार की महिलाएं खेत पर पहुंच जाती है। तब कहीं जाकर वे खेतों को बचा पा रहे हैं, लेकिन 2017 के चुनाव के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार बनी उन्होंने इस विषय पर काम किया। उन्होंने नई-नई गौशालाएं बनाने का काम किया। यहां तक कि जो हमारी गायें, बछड़े फसल को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों ने जिन गायों को छोड़ दिया है, वे एक किलो या दो किलो दूध दे रही हैं, किसान उन्हें अपने पास नहीं रख रहे हैं, प्रदेश की सरकार ने उसमें नया प्रयास तलाशा। उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से इन गायों में जो सीमन डाला, उससे स्पष्ट हो गया कि 90 परसेंट तक उससे बछिया ही पैदा होगी और 90 परसेंट तक बछिया ही हो रही है, 10 परसेंट तक बछड़े हो रहे हैं। आज जो बछड़े हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्होंने उनको बधिया

करके कम करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ढेर सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।

हमारे बुन्देलखण्ड के लोग पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि खेती तो उनके पास ढेर सारी है, लेकिन उन्हें सिचांई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। जब से देश स्वतंत्र हुआ है, हमारे बुंदेलखण्ड में एक भी नहर नहीं खोदी गई है। अगर नहर की क्षमता बढ़ाई जाए, पानी को रोका जाए, हमारे जो बांध हैं, उन बांधों में सिल्ट इतनी आ गई है कि अगर उनकी सफाई की जाए तो शायद उनमें ज्यादा से ज्यादा पानी भरा जा सके और किसानों को समय से पर्याप्त जल दिया जा सके।

आज वहां के लोग बाहर जाकर रिक्शा चलाने को मजबूर हैं और किसी तरीके से अपने परिवार को लेकर जीवनयापन कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जब हम लोग झांसी में पढ़ते थे, उस समय वहां एक सूती मिल भी लगी हुई थी। पता नहीं कया परिस्थितियां बनीं, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगी हुई वह सूती मिल भी बन्द हो गई। उससे निकले हुए मजदूर भी आज इधर-उधर भटक रहे हैं, इधर-उधर काम कर रहे हैं और उनके पास सारी चीजें हो नहीं रही हैं।

सभापति महोदय, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी ने यह संकल्प रखा है, इनका क्षेत्र महोबा है। महोबा में पान की खेती होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वहां पान की खेती से करीब दो करोड़ रुपये का निर्यात किया जाता है। अगर उसे देखा जाए तो किसान बहुत अच्छा काम करते हैं। उससे पांच-छ: करोड़ रुपये का निर्यात होता है। उनको और सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर उन पान की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी तो शायद उनकी आय और ज्यादा बढ़ेगी।

हमारे यहां बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा, अगर दलहन में देखा जाए तो अरहर, मसूर आदि फसलें होती हैं। ...(व्यवधान) सभापति जी, यह प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस है, इसमें बुन्देलखण्ड की जो स्थिति है, उन सारी चीजों को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि वहां के लोग बेहद परेशान हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बुन्देलखण्ड में चम्बल, सिंध, पहुज, बेतवा, केन और धसान नदियां हैं। ...(व्यवधान) अगर उन नदियों के ऊपर चार-चार या पांच-पांच किलोमीटर के दायरे के अन्दर दस-दस या पन्द्रह-पन्द्रह मीटर ऊपर तक, जिस तरह से हमारी नहरों में रोक लगाई जाती थी, उसी तरीके से अगर रोक लगाई जाए तो बरसात का जो पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, वह पानी उसमें रुकेगा। आज हमारा जल स्तर बड़ी तेजी के साथ नीचे जा रहा है, आज हमारे कुएं सूख गए हैं, आज हम देखते हैं कि अगर 100 हैण्डपम्प लगे हुए हैं, तो उनमें से मुश्किल से 15 या 20 हैण्डपम्प पानी दे रहे हैं, बाकी सभी हैण्डपम्प्स में जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि हम उनमें बार-बार पाइप डालते हैं, लेकिन फिर वे नल पानी देना बन्द कर देते हैं। बुन्देलखण्ड का जल स्तर बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। इसका एक अन्य कारण भी है। हमारे यहां नदियों में से बालू बड़ी तेजी के साथ निकाली जाती है। जिन नदियों से ठेकेदार बालू निकालते हैं, उनका लेवल बहुत नीचे चला जाता है। जब उनके स्रोत नीचे चले जाते हैं तो दूर का पानी भी वे नदियों में खींच लेते हैं। यह भी एक कारण है। हमारे यहां बालू वगैरह बहुत तेजी के साथ निकाली जाती है तो आस-पास के जितने भी जल स्रोत होते हैं, पांच-दस किलोमीटर तक के जितने भी स्रोत होते हैं, उनका पानी खींच लेते हैं। वे नदियों में 15 फुट, 20 फुट या 30 फुट तक गहराई से बालू निकाल लेते हैं और उसके बाद पानी का समतलीकरण नीचे की ओर होता है, जल स्तर नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद आगे दस-दस किलोमीटर तक उससे जो जल स्रोत मिले होते हैं, उनका पानी सीधे उसमें चला जाता है, इससे वहां नल, कुएं, नाले आदि सारी चीजें सूख जाती हैं।

सभापति महोदय, विशेष रूप से बुन्देलखण्ड में अगर किसानों को बचाना है तो सिंचाई के साधन उन्हें देने होंगे। सिंचाई के साधनों के बगैर किसान फसल कैसे बोए और अगर फसल बो भी देता है तो उतना अन्न ही नहीं मिलता है, उसे उतनी आमदनी होती ही नहीं है कि अपने परिवार का खर्च चला सके। वैसे अन्य जगहों की अपेक्षा बुन्देलखण्ड में जोत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अगर कहीं जोत 2 हेक्टेअर है तो

हमारे यहां बुन्देलखण्ड में यह 3 हेक्टेअर है। इसके बावजूद सिंचाई के साधन सही न होने के कारण किसानों को बेहद परेशानी हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारी केन्द्र की सरकार ने ढेर सारी नई योजनाएं पूरे देश के लिए दी हैं, उनमें बुन्देलखण्ड के किसानों को भी लाभ मिल रहा है। वहां प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना के तहत छ: हजार रुपये में से दो-दो हजार रुपये की किस्त मिलना प्रारंभ हो गयी है, उससे उन्हें थोड़ी-सी राहत मिली है। हमें अच्छी तरह से याद है कि वर्ष 2007-08 में जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था तो सूखे के समय किसानों को सहायता दी गई थी। जिन किसानों को सहायता दी गई थी, उनके साथ मजाक किया गया था। यह पता चला कि किसानों को जो चेक दिए गए थे, कोई पांच रुपये, कोई दस रुपये के थे तो कहीं सौ रुपये के दिए गए। उस समय जिन्होंने फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया था, उनको बीमा का पैसा नहीं मिला था। उस बीमा के पैसे की यह दुर्गति हुई थी, उसे सुन कर आप दंग रह जाएंगे। इस योजना से वर्ष 2007 में किस तरह से मजाक किया गया था। किसान को बीमा का पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला। जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उनके खाते बैंक में थे, वे किसान नहीं थे। उस समय सरकारी मशीनरी द्वारा किसानों के खाते में पैसे जाने चाहिए थे, लेकिन बच्चों के खाते में 35-35 हजार की तीन-तीन चेक लगा दी गई थी। हम लोगों ने उसकी जांच की मांग उठाई थी। एक तहसील, कोच में जांच हुई थी, उसमें पचास लाख रुपये का घोटाला पकड़ा गया था। उन बच्चों के खाते में पैसे डाल दिए गए। अधिकारियों ने उनसे एटीएम ले लिया और सारे पैसे निकाल लिए गए। जब हम लोगों ने जांच की मांग की तो उसकी जांच हुई। प्रशासन ने उन बच्चों के साथ सख्ती की। पढ़ने वाले बच्चों के पास पैसे कहा से आते, वे पैसे कहां से दें? वे घर छोड़ कर भाग गए। पुलिस-प्रशासन उनके पीछे लग गए। वे उनके पिता को उठा कर लाए, क्योंकि वह सरकारी पैसा था और वह उन्हें वापस चाहिए था। उस समय की सरकार को लग रहा था कि हमारी बेइज्जती हो रही है, अधिकारियों ने किस तरह से गलत काम कर दिया है। उनके परिवार के लोगों को उठा कर लाया गया और रात में कोतवाली में बैठाया गया। उनसे पैसे मंगाए गए और बैंक में जमा कराए गए। सरकार के खाते में पैसे वापस लिए गए। बुंदेलखंड में ये स्थितियां होती थीं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि केन्द्र से जाने वाली जो सम्मान निधि है, वह किसानों के खातों में जा रही है।

हमारे देश के प्रधान मंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, किसी तरह वे आत्महत्या न करें, उन्हें आत्महत्या से बचाने के लिए 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' के माध्यम से किसानों को बचाने का काम किया है। इस योजना के माध्यम से अकेले बुंदेलखंड में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किसानों को बचाने का काम किया गया है। यह बहुत अच्छी योजना है। यह एक ऐसी योजना है, जिससे किसानों को लगता है कि हमारी जो फसल बर्बाद हो जाती थी, हमारा पैसा लगता था, हम बीमा कराते थे। पहले किसानों से प्रीमियम का पूरा पैसा ले लिया जाता था और उसके बाद बीमा होता था। बेमौसम वर्षा या कहीं कुछ हो जाता था तो किसानों को बीमे का पैसा नहीं मिलता था और वह मिलता भी था तो लेखपाल चुन-चुन कर देता था, क्योंकि उस समय लेखपाल ही रिपोर्ट लगाते थे।

उस समय 50 प्रतिशत नुकसान होने के बाद किसानों को बीमे का पैसा मिलता था। अगर लेखपाल चाहता था तो किसान को बीमे का पैसा मिलता था। अगर लेखपाल नहीं चाहता था तो किसान को बीमे का पैसा नहीं मिलता था, चाहे उसका 55-60 प्रतिशत नुकसान ही हुआ हो। लेखपाल रिपोर्ट लगाने जाता था और नुकसान देखने के बाद अगर किसी तरह से उस किसान ने उसे लाभ नहीं पहुंचाया तो 55 और 60 प्रतिशत नुकसान को घटा कर 45 प्रतिशत कर देता था। जिसने उसे थोड़ा-बहुत लाभ पहुंचा दिया तो उसके 40-45 प्रतिशत नुकसान को 55 प्रतिशत कर देता था। जिन किसानों को नुकसान होता था, वे सोचते थे कि हमें बीमे का पैसा मिलेगा। सरकार की एजेंसियां भी पैसे दिलाने में कोताही बरतती थीं, लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने उस नुकसान को 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया।

किसान का प्रीमियम पहले किसान क्रेडिट कार्ड से पूरा-पूरा काट लिया जाता था, अब रबी और खरीफ की फसल में मात्र डेढ़ या दो परसेंट प्रीमियम किसान से लिया जाता है और बकाया प्रीमियम का पैसा सरकार अपने खाते से देती है। सरकार यदि अपने पैसे से प्रीमियम देती है, तो चिंता भी करती है। सरकार को लगता है कि मेरा पैसा है और किसान के लाभ के लिए हमने बीमा कराया है, तो सरकार कम्पनियों के ऊपर दबाव भी बनाती है। ये योजनाएं अब उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गई हैं। हमें याद है कि शायद सहारनपुर में कोई मीटिंग थी, उस समय देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी ने मंच पर खड़े हो कर कहा था कि कैसी उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने वर्ष 2016 में किसानों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए फसल बीमा योजना तय की है, उसके लिए ये कम्पनियां ही तय नहीं कर पा रही हैं। जब केंद्र

सरकार ने दबाव बनाया, तब ये योजना लागू की गई थी । आज इस योजना का लाभ हमारे बुंदेलखंड के किसानों को भी मिल रहा है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे किसान कुछ खुशहाल तो हुए हैं, लेकिन सिंचाई के साधन न होने की वजह से आज भी वे परेशान हैं । विशेष रूप से हमारे किसानों की जो उपज है, उसका मूल्य सही नहीं मिल पाता था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चार लेन, छः लेन की सड़कें बनाकर किसानों को सीधा कानपुर, दिल्ली और अन्य जगहों से जोड़ने का काम किया था। आज ऐसे ही बहुत तेजी के साथ विकास के काम किए जा रहे हैं।

सभापति जी, केंद्र सरकार द्वारा मेरे लोक सभा क्षेत्र बुंदेलखंड के अंदर डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। पहले किसानों की जमीन मुश्किल से तीस-चालीस या पचास हजार रुपए प्रति बीघा बिकती थी, आज वहां डिफेंस कॉरिडोर घोषित होने के बाद हमारे किसानों के पास जो जमीन थी, उनमें से कुछ किसानों की जमीन डेढ़-दो करोड़ रुपये में बिक रही है। आज वहां किसानों की हालत अच्छी हो रही है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से गरौठा विधान सभा एरच का जो क्षेत्र है, उसमें 17 गांव लिए गए हैं। 17 गांवों के किसानों की जमीन ली गई है । वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन हमारे जो दूसरे भाग हैं, जो सात जिले हैं, गरौठा तो केवल एक विधान सभा क्षेत्र है, लेकिन बुंदेलखंड में 19 विधान सभाएं और हैं। उन क्षेत्रों के लिए किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, बाहर की कम्पनियां काम करेंगी, तो बुंदेलखंड के किसानों को वहां काम करने के लिए मिलेगा और जब वहां से रोड निकलेगा तो निश्चित ही आस-पास फैक्टरियां लगेंगी और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। बुंदेलखंड में जो चित्रकूट धाम है, वहां से जालौन और बुंदेलखंड से होते हुए सीधे कन्नौज में मिलाया जाएगा । उसमें बहुत सारे जिले बनेंगे । वहां किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है । किसान खुशहाल हो रहे हैं । वे किसान आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमें इतना पैसा मिल रहा है । जहां से रोड निकल रहे हैं, जहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वहां लोगों को निश्चित लाभ मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक बुंदेलखंड में सिंचाई के साधन नहीं होंगे, तब तक बुंदेलखंड का किसान अच्छी तरह से जीवन यापन नहीं कर सकता है । किस तरह से वह अपने बच्चों की पढ़ाई कराएगा, कैसे अच्छी

शिक्षा देगा और कैसे अपने परिवार का खर्च उठाएगा। यदि इन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अगर सही ढंग से पूर्व में हुआ होता, तो शायद हमारे किसानों की दयनीय स्थिति नहीं होती।

इसलिए माननीय कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी के द्वारा जो केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का संकल्प लाया गया है, वह बहुत ही अच्छा संकल्प है। हम जानते हैं कि केन नदी से जैसे ही बेतवा नदी को जोड़ दिया जाएगा, तो इससे एमपी में जो बुंदेलखण्ड का भाग है, वहाँ तो इसका पानी जाता ही है, साथ ही जब यह झांसी जिले में आकर बेतवा नदी में मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश में जालौन जनपद होते हुए अन्य जनपदों में भी जाएगी। बेतवा नदी जिन जनपदों के किनारे-किनारे जाती है, वहाँ के आसपास के किसानों को उसका लाभ मिलेगा।

लेकिन मैं पुन: कहना चाहता हूँ कि बरसात के दिनों में नदियों-नालों और तालाबों में जो पानी आता है, वह बड़ी तेजी से समुद्र की ओर चला जाता है। इसे रोकने का काम किया जाना चाहिए। ऐसी योजनाएँ बनानी चाहिए, जिनसे यह पानी रुक सके। जब यह पानी नहीं रुकेगा, जब यह बहकर समुद्र में चला जाएगा, तो स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी।

हमें बुंदेलखण्ड में नये-नये बांधों का निर्माण करना होगा। पहले भी हमने कहा कि जो बांध बने हैं, वे वर्षों से बने हुए हैं, उनकी सफाई नहीं हुई है। काश उनकी सफाई हुई होती, तो शायद हमारी जल भण्डारण की क्षमता और बढ़ गई होती। गुरसराय क्षेत्र में एक भसनेह बांध है, उसमें तो इतनी सिल्ट आ गई है कि उसमें पानी ही नहीं बनता है, सिर्फ सिल्ट ही सिल्ट बनी हुई है। अगर उसकी सिल्ट एक बार उठा दी जाए, उसकी मिट्टी उठाकर कहीं दूसरी जगह कर दी जाए, तो वह गहरा हो जाएगा और बरसात में पानी भरने की जो व्यवस्था है, जब वह उससे भर जाएगी, तो इससे गरौठा के आसपास के किसानों को पर्याप्त जल दिया जा सकता है।

अन्य नदियों में भी जगह-जगह पानी को रोका जाए, गांवों में जो तालाब हैं, उन तालाबों का सीमांकन सही तरीके से किया जाए। अभी-अभी गर्मी में कुछ तालाब भरे गये हैं। तालाबों को भरने के लिए नहर में पानी नहीं था। पता चला कि चार-पाँच गांव के बीच में एक तालाब को भरा गया है। जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी न मिलने के कारण बहुत-से जानवर मर गये।

आज हम लोग कहते हैं कि जो प्राइवेट ट्यूबवेल है, अभी जब हम 21 तारीख को बोल रहे थे, तब तक जानकारी थी कि शायद किसानों को विद्युत कनेक्शन में सब्सिडी नहीं मिल रही है। आज जानकारी मिली है कि विद्युत कनेक्शन में उनको सब्सिडी देना प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्राइवेट ट्यूबवेलों में और सब्सिडी देनी चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं, वे ऊबड़-खाबड़ जंगल टाइप के क्षेत्र हैं। वहाँ तेजी से समतलीकरण किया जाना चाहिए, जो भूमि- संरक्षण विभाग से होता है। भूमि-संरक्षण विभाग पर भी लगाम कसना चाहिए। जो योजनाएँ आती हैं, पता चला कि गांव सभा ने ही उस बंध को बना दिया है। इसके बाद पता चला कि भूमि-संरक्षण विभाग ने भी उसी बंध को बना दिया है। सरकार चाहती है कि उसका फोटो खींचकर दिया जाए। उसके चित्र लिये जाएं। उसकी फोटो तो ली जाती है, फोटो लेने के बाद, पाँच मीटर छोड़ने के बाद अगर दूसरी तरफ से फोटो लेंगे, तो उसकी पिक्चर बदल जाएगी। उसकी दिशा बदल जाएगी। यह समझ में नहीं आएगा कि यह बंध पुराना वाला है या नया वाला है। इसलिए किसानों को खुशहाल करने के लिए इन सारी योजनाओं को लागू करना होगा।

सभापति महोदय, यह संकल्प विशेष रूप से अच्छा संकल्प है। किसानों को हम अच्छी हालत में ला सकते हैं, उन्हें सम्पन्न बना सकते हैं, उन्हें खुशहाल बना सकते हैं। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार की सभी योजनाएँ तो अच्छी हैं, लेकिन उनमें समय लग रहा है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी केन्द्र की सरकार निश्चित रूप से इस पर चिन्ता करेगी। वह बुंदेलखण्ड के किसानों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने के लिए समय दिया।

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय सभापति जी, मैं चन्देल साहब को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। वे अपने रिजोल्यूशन में एक ऐसे विषय को लाए हैं, जिसके साथ सारे हिन्दुस्तान के लोग, खासकर हिन्दुस्तान के किसान, आम लोग गहनता से जुड़े होते हैं।

आपने केन-बेतवा की बात कही है। साथ-साथ स्ट्रे-कैटल, गांवों में गाय और जो दूसरे जानवर घूमते रहते हैं, उसके चलते जो नुकसान होता है, खासकर उस दिन अपनी तक़रीर में आप पेश कर रहे थे कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए और उसकी शहादत को बचाने के लिए जैसे कारगिल में चौबीसों घंटे फौज की तैनाती होती है, उसी तरह गांवों में चौबीसों घंटे हमारे किसान अपनी जमीन पर पहरा देते हैं। यह आपने

उस दिन अपनी तक़रीर में कहा था। इस विषय को मैंने बाद में पेपर में देखा, इसकी नैशनल न्यूज़पेपर में बड़ी आलोचना भी हुई है।

<u>अपराह्न 4.41 बजे</u> (श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

चेयरमैन सर, रिवर लिंकिंग हमारे देश के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। [अनुवाद] नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का है और इसे उच्च प्राथमिकता पर लिया गया है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय संदर्शी योजना तैयार की गई है। यह अब जल शक्ति मंत्रालय हो गया है। हमारे शेखावत साहब यहां आए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, एन.डब्ल्यू.डी.ए. ने क्षेत्र सर्वेक्षण, जांच और विस्तृत अध्ययन के आधार पर जल के अंतर-बेसिन अंतरण के लिए हिमालयी नदी घटक के अंतर्गत 14 लिंकों और प्रायद्वीपीय नदी घटक के अंतर्गत 16 लिंकों की पहले ही पहचान कर ली है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था जिसमें 90:10 प्रतिशत हिस्सेदारी को शामिल किया गया था। [हिन्दी] जब यह तय हुआ था, तो केन्द्र की सरकार का 90 परसेंट और सूबों की सरकार का 10 परसेंट फंडिंग पैटर्न था। यह जो फंडिंग पैटर्न है, इसे अब बदला गया है। अब केन्द्र की सरकार कहती है कि वह 60 परसेंट फंड देगी और सूबे की सरकारें कहती हैं कि 40 परसेंट फंड देंगी। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के फेज़-2 का डीपीआर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार को जनवरी, 2014 में भेजा गया था।

[अनुवाद] केन-बेतवा चरण-II लिंक की डी.पी.आर. वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को भेजी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोअर ओर बांध और अन्य बैराजों सहित केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II की डी.पी.आर. का प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना को इसमें जोड़ा गया और दो बैराजों नामत: नीमखेड़ा और बरारी को छोड़ दिया गया था। केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II की डी.पी.आर. जिसमें अब लोअर ओर, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना शामिल हैं, सी.डब्ल्यू.सी. में तकनीकी मूल्यांकन के अधीन है।

चेयरमैन सर, हमारे देश में यह जो इंटर-लिंकिंग की भावना है, यह बहुत पुरानी भावना है। 160 वर्ष पहले, एक ब्रिटिश जो नियमित रूप से अपने वरिष्ठों और अन्य लोगों के साथ वैचारिक मतभेद रखता था,

ने एक भव्य परियोजना की कल्पना की जिसे 21 वीं सदी में ठोस आकार दिया जा रहा है। सर आर्थर कॉटन जिन्होंने ब्रिटिश राज काल के दौरान मद्रास प्रेसीडेंसी में काम किया था, सिंचाई और जलमार्गों के संबंध में अति उत्साहित रहते थे। उनके आलोचकों का कहना है कि उनका मस्तिष्क जल संबंधी योजनाओं से भरा रहता था जो उनके अनुसार उनके जटिल विचारों की उत्पत्ति का स्रोत था। अपने प्रशंसकों, अधिकतर भारतीयों, के लिए वह लॉर्ड और राजा थे। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर उनकी हजारों मूर्तियों पर कुछ पट्टिकाओं पर 'अपरा भागीरथ' (जिसका अभिप्राय वह दिव्य राजा है जिसने गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारा था) के साथ-साथ कॉटन दोरा और लॉर्ड कॉटन भी लिखा था। यह सर कॉटन ही थे जिन्होंने उस बांध का निर्माण किया था जिसने गोदावरी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश को देश के धान के कटोरे में बदल दिया था। सर कॉटन ने ही सबसे पहले उत्तर और दक्षिण भारत में विभिन्न नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की थी।

यह उनका विज़न था और वो यह चाहते थे कि विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को इस प्रकार जोड़ा जाए जिससे कि लुधियाना से सतलुज, यमुना, सोन, गंगा, महानंदा, गोदावरी, कृष्णा बोट नहर के माध्यम से और नेल्लोर से कर्नाटक होते हुए पोन्नी तक स्टीम बोट संचार को पूरा किया जा सके ताकि लगभग नाममात्र की लागत पर अदन की खाड़ी के सामने जल संपर्क केन्द्र बनाया जा सके। यह उनकी भव्य योजना थी। इसलिए उनकी नदियों को परस्पर जोड़े जाने की योजना में जलमार्गों के माध्यम से सिंचाई और सस्ते परिवहन दोनों की परिकल्पना की गई थी।

[हिन्दी] इसका मतलब यह है कि जो यह रिवर लिंकिंग है, इसके साथ-साथ हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, हम इसके साथ-साथ एन्वायरमेंट का भी रख-रखाव कर सकते हैं। सर, बात यह है कि इस इंटर-लिंकिंग को लेकर बहुत दिनों से हमारे पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई है। हमारे पार्लियामेंट की स्टौण्डिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज 2008-09 में हमें यह देखने को मिल रहा है कि [अनुवाद] राष्ट्रीय जल ग्रिड को इससे पहले 1972 में तत्कालीन केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग ने तैयार किया था। इसके बाद, सी.डब्ल्यू.सी. के अलावा, अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण की इस अवधारणा को 1972 में डॉ. के.एल. राव द्वारा "राष्ट्रीय जल ग्रिड" और बाद में 1977 में कैप्टन दस्तूर द्वारा गारलैंड नहर के रूप में भी प्रस्तावित किया गया था,

जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया था। जबकि डॉ. राव के प्रस्ताव में गंगा-कावेरी लिंक के माध्यम से कावेरी हेतु गंगा जल के स्थानांतरण की परिकल्पना की गई थी, आंशिक रूप से उद्वहन द्वारा और आंशिक रूप से गुरुत्वाकर्षण द्वारा, कैप्टन दस्तूर के प्रस्ताव में सभी सहायक नदियों, उप नदियों के जल को एक नियत ऊंचाई पर नहरों में भण्डारित करके और हिमालयी और मध्य-दक्षिणी गारलैंड नहर के माध्यम से उनका उपयोग किए जाने की बात की गई थी, जिसमें दोनों दिशाओं में पानी का स्थानांतरण किया जाना शामिल था।

एनपीपी में दो घटक शामिल हैं - एक प्रायद्वीपीय नदियों का विकास और दूसरा हिमालयी नदियों का विकास। एनपीपी में सतही जल के द्वारा 25 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और भूजल के उपयोग को बढ़ाकर 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई किए जाने के अतिरिक्त लाभ की परिकल्पना की गई है, जिससे अंततः भूमि की सिंचाई की क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर के मौजूदा स्तर से बढ़कर 170 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ जाएगी और बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, लवणता में कमी, प्रदूषण नियंत्रण आदि के फायदों के अलावा इससे 34000 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा।

वर्ष 2004 में संप्रग सरकार के एनसीपीएमपी में दक्षिणी नदियों से शुरू होने वाले लिंक की व्यवहार्यता का पूरी तरह परामर्शी तरीके से व्यापक मूल्यांकन करने की परिकल्पना की गई थी। इसके बाद डी.पी.आर. तैयार करने के लिए संबंधित राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए प्राथमिकता वाले लिंकों के रूप में पांच लिंकों नामत: केन-बेतवा, पार्वती कालीसिंध-चंबल, पार-तापी-नर्मदा, दमनगंगा-पिंजाल और गोदावरी-कृष्णा की पहचान की गई थी। तथापि, केन-बेतवा लिंक के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस लिंक की डीपीआर 2008 के अंत तक पूरा होने की संभावना थी। तब यही कहा गया था।

नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न लिंकों पर ध्यान दिए जाने से इस बात का पता चला है कि पहचाने गए 30 लिंकों में से 14 लिंक हिमालयी घटक के अंतर्गत आते हैं। इनमें से, समिति ने यह पाया कि सात जल स्थानातंरण लिंक और उनके भंडारण की प्रारंभिक पहुंच पड़ोसी देशों नेपाल और भूटान में स्थित है। दिसम्बर, 2002 में उच्चतम न्यायालय के एक निर्देश के अनुसरण में

तत्कालीन सरकार ने श्री प्रभु, संसद सदस्य के नेतृत्व में एक कार्य बल का गठन किया था। उन्होंने नदियों को आपस में जोड़ने की योजना तैयार करने में शानदार और उत्कृष्ट कार्य किया था। तब, उस समय एक स्थायी समिति थी जिसने टिप्पणी की थी:

"समिति ने नोट किया है कि संघ और राज्यों के बीच विषयों के वर्तमान संवैधानिक विभाजन (जो एक बहुत ही प्रासंगिक मामला है) के अनुसार, विषय 'जल' संघ और राज्य सूचियों दोनों के अंतर्गत आता है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 246 के अनुसार सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 56 केंद्र सरकार को कानून बनाने, अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित करने और विकसित करने की उस सीमा तक शक्ति प्रदान करती है जिसमें संघ के नियंत्रण में ऐसे विनियमन और विकास को संसद द्वारा कानून बनाकर सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया गया हो।

सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 17 राज्य को संघ सूची की प्रविष्टि 56 के प्रावधान के अधीन कानून बनाने, सिंचाई के लिए जल संसाधनों को विनियमित और विकसित करने आदि की शक्ति प्रदान करती है।

उपर्युक्त के अलावा, अनुच्छेद 254(1) में यह उपबंध किया गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा ऐसे विषय पर बनाई गई विधि जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंध के विरोध में है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी और राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी।

तथापि, समिति यह टिप्पणी करने के लिए विवश है कि केन्द्र सरकार ने सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची की प्रविष्टि 56 के उपबंध के अधीन अब तक कोई कानून नहीं बनाया है, यद्यपि अधिकरणों के निर्णय की अवहेलना करते हुए जल के मुद्दे पर राज्यों के बीच विवादों के कई उदाहरण सामने आए हैं जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से परियोजनाओं के निष्पादन में परिहार्य विलंब हुआ है।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समिति ने नदियों को जोड़ने के विषय पर विशेषज्ञों/व्यक्तियों से ज्ञापन आमंत्रित किए थे। इन ज्ञापनों में समिति ने पाया कि अधिकांश व्यक्तियों और विशेषज्ञों ने राय दी है कि जल विषय को या तो समवर्ती सूची के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है या संघ द्वारा सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 56 के पिछले उपबंधों के तहत कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।"

मैं इस मुद्दे का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जल राज्य सूची का विषय है। इसलिए, मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी को अपनी वांछित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने से पहले विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कटुता शुरू हो गई है। अच्छी मंशा रखने के बावजूद भी किसी कार्य को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): आपके क्या सुझाव हैं? माननीय सदस्य सभा के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूं। [हिन्दी] वह शायद यह प्रपोज़ करेंगे कि वाटर को कनकरेंट लिस्ट में लाएं। मैं उनकी भूमिका से ऐसा समझ रहा था, कि अगर ये ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये इनके विचार हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हिन्दुस्तान के विकास के लिए, हिन्दुस्तान के आम लोगों की सुविधा के लिए लिस्ट में लिया जाना चाहिए, ताकि हिन्दुस्तान के आम लोगों के लिए अच्छा हो। सर, मैंने बहुत दिन पहले इस हाउस में यू.पी.ए. सरकार को एक नसीहत दी थी कि- [अनुवाद] आपको नदियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। नदी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। आपके लिए नदियों को आपस में जोड़े जाने की इस परियोजना को कार्यान्वित करना लगभग असंभव है। अलग-अलग राज्यों की नदियों को जोड़ना एक कठिन कार्य है। ... (*व्यवधान*)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: आपने अपने भाषण के दौरान पहले जिन बातों का उल्लेख किया है, वे सभी एक ही राज्य से संबंधित थी। [हिन्दी] एक ही स्टेट में सम्भव हुआ है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपको एक ही स्टेट तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: मैं आपको बता रहा हूं कि केवल एक ही स्टेट में हुआ है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: इसका कारण यह है कि सहमति नहीं बन पाती है। आपने तरीका बदल दिया। अगर सभी स्टेट राजी हो जाते तो आप दूसरा तरीका अपनाते। आपकी करने की इच्छा है, लेकिन आपकी ऐसा करने की क्षमता नहीं है, ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए यह अदल-बदल होता है। अभी भी केन और बेतवा ये स्टेट की दो रिवर हैं। इसमें भी बहुत तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है।

सर, बात यह है कि जब प्राइवेट मैम्बर्स बिल में चर्चा होती है तो कोई यह मानता है कि इंटरलिंकिंग होने से उनको फायदा होगा। नदियों को आपस में जोड़ने से हमारे राष्ट्र को एक नया जीवन प्राप्त होगा। लोगों को सूखा, बाढ़, जलप्लावन आदि से बचाया जा सकता है। लेकिन इसके विरोध में भी बहुत से लोगों की राय है और ये कोई छोटे-मोटे लोग नहीं हैं बड़े-बड़े लोगों की राय है। हमें किस तरफ जाना चाहिए इस बारे में हमें सोचना चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंटरलिंकिंग हुए हैं। सभी इंटरलिंकिंग का नतीजा अच्छा निकला है, ऐसा नहीं है।

श्री सी.पी. राजेन्द्रन, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु में जियोडायनामिक्स के प्रोफेसर — इनका यह कहना है - "किसी भी नदी में मुक्त रूप से प्रवाहित होने वाला अधिशेष जल नहीं है", क्योंकि लिंकिग का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि सरप्लस से डेफिसिट एरिया में पानी को हम ले जाएंगे। जहाँ जल अधिक होगा वहाँ से उसका प्रवाह जल की कमी वाले क्षेत्र की ओर होगा। [अनुवाद] लेकिन इनका कहना है - "सच्चाई यह है कि किसी भी नदी में मुक्त रूप से बहने वाला या अधिशेष जल नहीं है। समुद्र में किसी भी प्रकार से उपयोग में लाए बिना प्रवाहित होने वाले जल का दोहन करने के संबंध में सामान्य रूप से लगाए जाने वाले हिसाब-किताब में पर्यावरण और जलविज्ञान संबंधी परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव रखने वाले ऐसे प्रश्नों से जुड़े इको-सर्विस आयामों को देखने में विफल रहते हैं। यह एक समुचित प्रस्ताव प्रतीत होता है, लेकिन मूल रूप से यह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्राथमिक रूप से यह प्राकृतिक भौगोलिक जल प्रणालियों में बड़े पैमाने पर अनियंत्रित मानव-सृजित असंतुलन पैदा करेगा और संबंधित पारिस्थितिकीय विशिष्टताओं को हमेशा के लिए नष्ट कर

देगा जिससे पूरे समाज के कल्याण के प्रतिकूल रहने वाले अनेकों दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ेगा - जो कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी।"

फिर, उन्होंने यह सुझाव दिया है — "अविश्वसनीय कार्य पद्धतियों पर निर्भर रहने के बजाय, जल संरक्षण के वैकल्पिक लागत प्रभावी और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील तरीकों का पता लगाए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, केन-बेतवा क्षेत्र में, हमें अभी भी जल संचयन के लिए पारंपरिक तालाब कभी मौजूद रहे होंगे इस बात के प्रमाण मिलते हैं।"

उस दिन चंदेल साहब बोल रहे थे कि बुंदेलखंड में बड़े-बड़े तालाब हैं, राजाओं ने उन्हें बनवाया था। राजेन्द्रन जी भी वहीं कह रहे हैं -"कि क्यों न उनका पुनरुद्धार किया जाए? राजस्थान और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस तरह के तरीकों को काफी सफलता मिली है। विश्व में अनेक स्थानों पर विशेषरूप से अमेरिका में नदियों से धाराएं निकालने के संबंध में बनाई गई पहले की परियोजनाओं में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 1954 में फ्लोरिडा में बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत की गई किसिममी नदी के नहरीकरण का कार्य एक पर्यावरणीय आपदा साबित हुआ है।"

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

> "अब इससे यह बात साबित हुई है कि इस कार्य से नदी को नुकसान पहुंचा और आर्द्रभूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भी कमी आई। नदी को उसके मूल प्राकृतिक स्वरूप में वापस लाने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन व्यय किए जा रहे हैं। हमारे द्वारा नदियों के प्रति आध्यात्मिक श्रद्धा अभिव्यक्त किए जाने के बावजूद भी हम उनके संरक्षण के लिए कुछ नहीं करते हैं। भारतीय नदियाँ खुली मल जल व्ययन प्रणालियाँ बन गई हैं। नदियों को जोड़ने की परियोजना संकटग्रस्त नदियों के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगी।"

यह मैं नहीं, एक बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं। हमारे देश में पानी का जो संकट है, यह हमें हर रोज मालूम पड़ता है। दिन पर दिन हालत बड़ी गंभीर होती जा रही है। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर इस सदन में हम सब चर्चा करें। यह कहा जाता है कि, [अनुवाद] दोनों विश्व युद्ध जमीन के लिए लड़े गए थे। लेकिन तीसरा विश्व युद्ध निश्चित रूप से पानी के लिए लड़ा जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, जल जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। जल के बिना जीवन के किसी भी रूप की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह प्रसन्नता का विषय है कि पृथ्वी वास्तव में जल भंडारों से भरी हुई है। जल की 325 मिलियन क्यूबिक मील की कुल मात्रा पृथ्वी की सतह के 71 प्रतिशत हिस्से को कवर करती है। इस मात्रा का लगभग 97.5 प्रतिशत हिस्सा महासागरों और समुद्रों का खारा पानी है। शेष 2.5 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ पानी का है। प्रति 1,000 पी.पी.एम. में 0.1 प्रतिशत से कम नमक वाला जल ऐसा जल है जिस पर अधिकांश स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र और मानवता निर्भर करती हैं। इस जल के 2.5 प्रतिशत हिस्से में से दो-तिहाई हिस्सा ध्रुवीय क्षेत्र और ग्लेशियरों में मौजूद है। इस प्रकार, उपलब्ध समग्र जल का केवल 0.77 प्रतिशत हिस्सा झीलों, आर्द्रभूमि, नदियों, भूजल, मिट्टी और वायुमंडल में पाया जाता है। इसके बावजूद भी, महासागरों से होने वाले जल के वाष्पीकरण से और फिर धरती पर होने वाली वर्षा के कारण जल के इस अत्यल्प प्रतिशत मात्रा की लगातार आपूर्ति होती रहती है।

इस प्रकार, स्वच्छ जल एक निरंतर नवीकरणीय संसाधन है। हमारी सोच बदलनी चाहिए। जल को संपदा के समान माना जाना चाहिए। इसका सोच-समझकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो हमारे हिन्दुस्तान पर एक बड़ा खतरा आने वाला है। भारत का लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा सूखे से बुरी तरह प्रभावित रहता है। [हिन्दी] हिन्दुस्तान के आधे से भी ज्यादा हिस्से सूखे की चपेट में आ चुके हैं । हमारे हिन्दुस्तान में पांच मिलियन सिप्रंग्स हैं। हिन्दुस्तान में इन पांच मिलियन में से तीन मिलियन हिमालय डिवीजन में हैं, लेकिन वह भी ड्राई होते जा रहे हैं। इस इकोलॉजिकल डीग्रेडेशन के चलते हमारी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। हम जो पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 80 फीसदी से ज्यादा पीने का पानी हम ग्राउंड वाटर से लेते हैं। हमारा जो इरिगेशन है, उसमें 70 से 80 फीसदी पानी को हम ग्राउंड वाटर से लिया करते हैं। अगर हम इसी तरीके से पानी को इक्स्ट्रैक्ट करते रहें,

तो हिन्दुस्तान में जल्दी ही वाटर फेमिन आने वाला है। [अनुवाद] हिन्दुस्तान को अपरिहार्य रूप से भयानक जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। हमें भूजल के विनियमन को सुनिश्चित करना चाहिए।

महोदय, पूरे भारत में पांच मिलियन झरने हैं। मंत्री महोदय, हमें भूजल के विनियमन को सुनिश्चित करना चाहिए और ऐसा विनियमन केन्द्रीकृत तंत्र के माध्यम से नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत जलभृत स्तर, समुदाय संचालित प्रयासों आदि के माध्यम से हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट, 2018 जल के लिए प्रकृति आधारित समाधान की सिफारिश करती है। [हिन्दी] जब हम आज़ाद हुए थे, तब 1951 में हर व्यक्ति को जल प्राप्त होता था। वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी।

सर, अभी देखिए कि यह सन 2001 में घट कर यह 1820 क्यूबिक मीटर पर आ गया है। सन 2011 में यह घट कर 1545 क्यूबिक मीटर आ गया। अभी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सन् 2055 में यह फिर घटेगा और 1341 क्यूबिक मीटर हो जाएगा । सन् 2050 में 1140 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। यदि 1700 घन मीटर से कम उपलब्धता है, तो इसे "जल संकट की स्थिति" कहा जाता है। हमें अगर 1700 क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, तब कहा जाता है कि यह वॉटर स्टेज है। लेकिन अभी वॉटर लैवल 1545 तक आ गया है, मतलब वॉटर स्ट्रेस शुरू हो गया है और जब एक हजार क्यूबिक मीटर के नीचे आ जाएंगे तब वॉटर स्कारसिटी होगी।

सर, अगले साल हिंदुस्तान के 21 शहरों में पानी नहीं मिलेगा, 21 ऐसे शहर होंगे जहां पानी की कोई बूंद नहीं मिलेगी। यह स्थिति आप सोच लीजिए। सर, सिर्फ एक किलो गेहूं उगाने के लिए हमें 1654 लीटर्स पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है।

सर, मैं आपको शेखावत साहब के मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए। [अनुवाद] भारत अपने इतिहास के सबसे बड़े जल संकट से जूझ रहा है और लाखों लोगों का जीवन और आजीविका खतरे में है। वर्तमान में, 600 मिलियन भारतीय उच्च से अत्यधिक स्तर के जल संकट का सामना कर रहे हैं और स्वच्छ जल की सहज रूप से उपलब्धता नहीं होने के कारण हर साल लगभग 2 लाख लोग मर जाते हैं। इस जल संकट की स्थिति के बिगड़ते जाने की ही संभावना है। वर्ष 2030 तक, देश में जल की मांग

उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि करोड़ों लोगों के लिए जल की गंभीर कमी का संकट उत्पन्न होगा और अंततः देश के सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत का नुकसान होगा। सर, यह मैं नहीं, बल्कि शेखावत साहब के मंत्रालय की रिपोर्ट बता रहा हूँ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: चौधरी साहब, यह मेरे मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं है । आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह दस्तावेज नीति आयोग का है, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। यह किसी वैज्ञानिक शोध पर आधारित नहीं है। जो विभिन्न अखबारों में, अलग-अलग जगह जो छपा है, उसके बेसिस पर उन्होंने यह लिखा है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : लेकिन शेखावत जी, जैसा यहां लिखा है, एग्ज़िक्यूटिव समरी में लिखा है कि, [अनुवाद] जल संसाधन मंत्रालय के राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग की रिपोर्ट के अनुसार:

> "उच्च उपयोग परिदृश्य में वर्ष 2050 तक जल की आवश्यकता कम से कम 1180 बी.सी.एम. रहने की संभावना है, जबकि वर्तमान उपलब्धता 695 बी.सी.एम. है। देश में संभावित रूप से जल की कुल उपलब्धता अभी भी इस अनुमानित मांग 1137 बी.सी.एम. से कम है। इस प्रकार, जल संसाधनों और उनके उपयोग के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने और हमारे द्वारा किए जाने वाले जल के उपयोग को दक्ष और संधारणीय बनाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है ।"

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: चौधरी जी, यहां तक ठीक है। इसके अलावा यह रिपोर्ट नीति आयोग की है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैं यह अपनी तरफ से नहीं, जो डॉक्युमेंट मुझे मिला है, मैं उससे ही बात कर रहा हूँ। [अनुवाद] यह स्थिति हमें ऐसा एक अवसर भी उपलब्ध कराती है कि हम समग्र जल पारिस्थितिकीय तंत्र के संबंध में केंद्र-राज्य और विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग में सुधार करने के प्रयास करें। अंतर-राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन के लिए सीमित ढांचे के कारण वर्तमान में जल प्रबंधन को राज्यों द्वारा अलाभकारी कार्य के रूप में देखा जाता है। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि 600 मिलियन लोग उच्च से अत्यधिक स्तर पर जल संकट का सामना कर रहे हैं। 75 प्रतिशत घरों में पेयजल उपलब्ध नहीं है। 84 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में पाइप से जल नहीं पहुंचता है। [हिन्दी] आपने हर घर में पाइप्ड वॉटर देने

की बात कही है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह एक पाइप्ड ड्रीम है । पाइप्ड वॉटर देना ठीक है, लेकिन यह एक पाइप्ड ड्रीम है। हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जल का 70 प्रतिशत हिस्सा संदूषित होता है। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत वर्तमान में 122 देशों में 120वें स्थान पर आता है। यह बड़ी भयंकर बात होती है।

[अनुवाद]

बार-बार सूखा पड़ रहा है जिससे भारत में बारिश पर निर्भर किसानों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। भारत में 53 प्रतिशत कृषि वर्षा पर आधारित है। जब जल उपलब्ध होता है, तब हमारी जल आपूर्ति में इसके 70 प्रतिशत हिस्से के दूषित होने की संभावना बनी रहती है जिसके कारण हर साल लगभग दो लाख मौतें होती हैं।

महोदय, 22 मार्च को विश्व जल दिवस से पहले जारी की गई यूनेस्को की रिपोर्ट प्रत्येक भारतीय के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। इसमें इस बात का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार भारत एक बड़े जल संकट की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस गंभीर संकट से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसमें वर्ष 2050 तक पूरे देश में एक बड़े जल संकट की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें मध्य भारत के कई हिस्से पुनः संचयित होने वाले सतही जल संसाधनों के 40 प्रतिशत हिस्से के सूख जाने की समस्या से जूझ रहे होंगे।

हमारी आधी से ज्यादा नदियां अत्यधिक प्रदूषित हैं। संदूषण अब केवल सतही जल की ही समस्या नहीं है बल्कि भूजल संसाधन भी संदूषित हो रहे हैं जिसमें धातुओं से होने वाले संदूषण के अतिरिक्त मानव मल के अनुचित निपटान से होने वाला संदूषण दोनों ही पाए गए हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले पांच वर्षों में प्रदूषित नदियों की संख्या 121 से बढ़ाकर 275 कर दी है और इस स्थिति के लिए बड़ी मात्रा में अशोधित मल जल को हमारी नदियों में प्रवाहित किए जाने को जिम्मेदार ठहराया है।

[हिन्दी] सर, यह रिपोर्ट सब के लिए है, आप सुन लीजिए।

माननीय सभापति: मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: पहले सचेत करते हैं, उसके बाद देते हैं। सर, हमने टाइम माँगा है। हम सब ने तय किया है कि इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

माननीय सभापति: और वक्ता बोल लेंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, इन्हें बोलने दिया जाए।

माननीय सभापति: ठीक है।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: सी.पी.सी.बी. ने वर्ष 2015 और वर्ष 2016 के बीच सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा प्रस्तुत मासिक जल गुणवत्ता विश्लेषण आंकड़ों का मिलान किया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत 1,275 निगरानी केंद्रों के माध्यम से 29 राज्यों में 275 नदियों का मूल्यांकन उनकी जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग- जो कि जलीय जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की सांद्रता है- के आधार पर किया है।

माननीय मंत्री महोदय, रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि महाराष्ट्र में मीठी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, उल्हास, तापी, कुंडलिका, पंचगंगा, मुला-मुथा, पेल्हार, पेनगंगा और वैतरणा सहित 49 प्रदूषित नदी खंड थे, असम 28 नदी खंडों के साथ दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश 21 नदी खंडों के साथ तीसरे स्थान पर, गुजरात में 20 नदी खंड और पश्चिम बंगाल में 17 नदी खंड प्रदूषित थे।

दक्षिण में स्थिति बेहतर नहीं है जहां गोदावरी, कावेरी और कृष्णा सहित प्रमुख नदियों में जल की मात्रा बहुत कम हो गई है।

आंध्र प्रदेश के दो प्रसिद्ध जल कार्यकर्ताओं ने बताया है: “कृष्णा नदी में श्रीशैलम बांध से आगे जल नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि अंतिम 140 किलोमीटर के हिस्से में यह नदी काफी हद तक सूखी हुई है। इसी तरह, कावेरी विशेष रूप से मेट्टूर बांध से आगे सूखी है; और राजामुन्दरी बांध के आगे गोदावरी नदी के साथ भी यही स्थिति है।”

यूनेस्को की रिपोर्ट तैयार करने वाले वैज्ञानिकों ने चेताया है कि भूजल के संबंध में भी स्थिति समान रूप से विकट है। टेरी के श्री एस.के. सरकार ने इस बात का उल्लेख किया है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भूजल का स्तर गंभीर रूप से घट गया है और इससे लवणता का खतरा पैदा हो गया है।

अब यह स्थिति भयावह रूप से मध्य भारत तक फैल गई है जहां सतही स्वच्छ जल संसाधनों का स्तर घट गया है और भूजल का बड़ी मात्रा में दोहन किया जा रहा है। अत: ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जल विशेषज्ञ भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर विक्रम सोनी ने यूनेस्को की रिपोर्ट से सहमति जताते हुए इस बात का उल्लेख किया कि हमने अपनी नदियों को अपने शहरों से निकलने वाले अशोधित मल जल, उद्योगों से निकलने वाले बह्निस्रावों और कीटनाशकों तथा उर्वरकों से भर दिया है, इसलिए हमारी नदियाँ न तो *निर्मल* हैं और न ही *अविरल* हैं। इस कार्य को किए जाने का एकमात्र तरीका कॉलोनी स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से मल जल का शोधन किया जाना शुरू करना है। यह चेतावनी दी गई है कि वर्ष 2030 में हमें जितने जल का आवश्यकता होगी उसकी आधी मात्रा ही उपलब्ध होगी । इसीलिए विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हमें देश में कृषि के तौर-तरीकों को बदलना होगा और ड्रिप सिंचाई सहित जल का उपयोग करने हेतु और अधिक दक्ष पद्धतियों को अपनाना होगा । इस संकट का एक और स्पष्ट संकेत वार्षिक *प्रति व्यक्ति* जल की उपलब्धता है।

महोदय, भारत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई है।

यह विडंबनापूर्ण और दुखद स्थिति है कि भारत ने पिछली शताब्दियों के दौरान सूखे और बाढ़ का प्रबंधन करने में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

सूखे का प्रबंधन और अपने जल संसाधनों का रख-रखाव करने के इन पारंपरिक, समुदाय-संचालित और समय की कसौटी पर खरे सिद्ध हुए तौर-तरीकों ने हमारी नदियों, झीलों, आर्द्रभूमियों और अन्य जल निकायों को कई सदियों तक बचाकर रखने में हमारी मदद की है लेकिन अब उन पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अत:, मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि हमें अपने पारंपरिक तौर-तरीकों को अपनाना होगा। [*हिन्दी*] हमें अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए।

सर, मैं जानता हूँ कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: मैं अधीर नहीं हो रहा हूं। अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूं। हमारे चन्देल साहब ने आवारा पशुओं का एक और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। हमारे गाँवों में कृषि के साथ-साथ पशुधन भी हमारा सहारा होता है । हमें यह सोचना चाहिए कि रिलिजन तो है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें बचने का भी साधन चाहिए। उस दिन चन्देल साहब कहते थे कि 7 लाख गाय एक झुंड की तरह गाँव-गाँव में आ जाती हैं। वे सिर्फ बुन्देलखंड के बारे में बता रहे थे कि वहाँ ऐसी हालत हो गई है। मेरा सवाल है कि हिन्दुस्तान में जो लाइवस्टाक की इकोनॉमी है, अगर हम उसे देखें तो 3 लाख करोड़ रुपये की हमारे हिन्दुस्तान में पशुधन और साथ-साथ लाइवस्टाक की इकोनॉमी है । इसमें से एक बड़ा हिस्सा हमारा पशुधन होता है और खासकर गाय होती है । ऐसी हालत हो गई है कि अब सरकार यह सोचती है कि बछड़ा पैदा न हो। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं, क्योंकि हमने ट्रेड बंद कर दिया है। गाँव में ऐसा होता है कि मान लीजिए गाय बड़ी हो गई है, उसने दूध देना बंद कर दिया है, कोई गाय मेहनत करने में सफल नहीं हो रही है, तो किसान उस गाय को बेच देते हैं। उस गाय को बेचने के बाद वे एक नई गाय खरीदते हैं और उसे पालते हैं। अभी ट्रेड बंद हो गया है। अगर कहीं कोई गाय की ट्रेडिंग करे, तो उसके ऊपर हमला होता है। जो होता है, वह होता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, जो होते हैं, वे होते हैं। मान लीजिए कि पूरी ट्रेडिंग खत्म हो गई। ट्रेडिंग खत्म होने के बाद एक समय जिस गाय का पालन करना

गाँव वालों के लिए सम्पदा था, आज वह उन पर भारी बन रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपको एक गाय को एक महीने तक अपने घर में बिठाकर खिलाना पड़े तो उसके लिए आपको 7,500 रुपये की जरूरत होती है। गाँव का आदमी यह पैसा कहाँ से लाएगा? वह खुद को तो खिला नहीं सकता है, खुद को वह खिला नहीं पा रहा है, गाय को कैसे खिलाएंगे, इस वजह से वे गाय को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वे गाय को प्रेम नहीं करते हैं। वे गाय को अपने बच्चे की तरह प्रेम करते हैं, अपनी संतान की तरह प्रेम करते हैं। उन्हें मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वह गाय दूसरे की खेती पर हमला करती है, क्योंकि वह भी भूखी, प्यासी रहती है। अब आप यह कहेंगे कि हमने शेल्टर बना दिए। हम इन शेल्टर का हिसाब आपको देते हैं, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा। वर्ष 2012 में, भारत में सड़कों पर 50 लाख आवारा पशु घूमते हुए दिखाई देते थे। तब तक गौ रक्षकों का इतना हमला नहीं हो रहा था, लेकिन आवारा पशु तो हैं ही और हैं तो हैं। यह विधायी कार्रवाई के वर्तमान चक्र के शुरू होने से पहले की बात है। लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब बहुत सारे राज्यों में से बैन हो गए हैं। भारत में 12 वर्ष से अधिक आयु के अनुमानित 40 मिलियन गाय और बैल भी थे, जिन्हें छोड़ दिए जाने का बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है।

इन्हें कब छोड़ दिया जाएगा, यह पता नहीं है, क्योंकि जब इनसे दूध नहीं मिलेगा, जब ये खेतों में काम नहीं कर पाते हैं तो ये बोझ बन जाते हैं और मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ता है। विभिन्न सर्वेक्षणों से यह बात पता चलती है कि भारत में 5000 गौशालाएं हैं। गौशालाएं बहुत हैं। उत्तर प्रदेश में हैं, बुंदेलखण्ड में भी हो सकते हैं। प्रति गौशाला 200 गायों के हिसाब से यह क्षमता मुश्किल से दस लाख की होगी। मान लीजिए कि एक-एक गौशाला में 200 गायें रहेंगी। अगर 5000 गौशालाएं होंगी तो आप एक मिलियन मतलब दस लाख गायें रख पाएंगे। इन संख्याओं को देखते हुए, कोई आसान समाधान संभव नहीं है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा चलाई जा रही गौशालाएं जर्जर अवसंरचना के साथ और अत्यधिक कम निधियों से चलाई जा रही है। अभी गाय की आबादी चार करोड़ है। इनकी भी उम्र बढ़ेगी। आज जो 5,000 गौशालाएं हैं, जहां दस लाख गाय रख सकते हैं। आप दस सालों के बाद तो उसमें नहीं रख सकेंगे। इसलिए इतने गायों को आप कहां रखेंगे? इसका कोई समाधान आपके पास नहीं है। इसलिए गांव-गांव में अन्य प्रथा चालू हो गयी है।

मैं सरकार और मंत्री, सभी को यह कहूंगा कि आप थोड़ा रैशनल बनिए, क्योंकि आज मैकेनाइजेशन के कारण गांव-गांव में गायों की जरूरत कम पड़ रही है। इसलिए गायों के ऊपर निर्भरता भी अभी कम होने लगी है। इसके लिए हमें विकल्प सोचना चाहिए। बहुत-से काउ क्लब भी बने हैं। एक तरफ पानी की, दूसरी तरफ स्ट्रे कैटल, साथ-साथ हमारी कृषि, इन सब चीज़ों में एक संतुलन की जरूरत है। हम जानते हैं कि हमारे मिनिस्टर जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हर सरकार को जरूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन, जिस तरीके से पानी का संकट उभर रहा है और सारे हिन्दुस्तान में पानी के लिए जो त्राहि- त्राहि मच रही है, इससे बचने की क्षमता इन्सान की नहीं है। जब इन्सान की क्षमता नहीं है तो जो जानवर बोल नहीं सकते हैं, उन जानवरों की क्षमता क्या होगी? इसलिए गायों को छोड़ दिया जाता है।

चन्देल साहब ने इन सारे विषयों को देखा है। इसके कारण वे चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकले। मैं भी चन्देल साहब के साथ खड़ा होकर सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र एक कॉम्प्रीहैन्सिव प्लान बनाए, जिससे हमारे देश में हम सब ठीक रहें, हमारा पशुधन भी ठीक रहे, हम सब सही तरीके से जिएं, बढ़ें, यह हमारा लक्ष्य होगा।

धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी के द्वारा एक अत्यंत ज्वलन्त विषय, जो न केवल बुंदेलखण्ड की समस्या है, बल्कि जैसा अभी अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा और इससे पूरा सदन सहमत है कि अगर हमने कहीं न कहीं जल संचयन नहीं किया तो पानी का संकट इस देश के समक्ष एक गम्भीर संकट बन जाएगा। अगर हमने आने वाले दिनों में इस संकट का समाधान नहीं किया तो यह एक ऐसी चुनौती बनेगी कि कदाचित यह समाज के लिए और हमारे-आपके लिए भयावह स्थिति बन जाएगी। मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र का चन्देल जी प्रतिनिधित्व करते हैं। भानु जी और हमारे बहुत सारे प्रतिनिधियों ने इसके बारे में विस्तार से बात की है। इस प्रस्ताव को या इस संकल्प को लाने के पीछे उनकी मंशा क्या है या उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य यही है कि जब एक तरफ इस देश की आज़ादी के बाद क्षेत्रीय असंतुलन है और उस क्षेत्रीय असंतुलन के लिए हमारी सरकार के द्वारा या अतीत में केन्द्र की योजनाएं चलायी गयी हों या राज्य सरकार के द्वारा

इतनी योजनाएं चलायी गयी हों, उसके बावजूद भी जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसे हम कैसे दूर कर सकें। इसके माध्यम से दो-तीन समस्याएँ उठायी गयी हैं कि आज पूरे बुदेलखण्ड इलाके में, चाहे वह उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड हो या मध्य प्रदेश का बुंदेलखण्ड हो, वहां पानी का जो जलस्तर गिर रहा है, वह भविष्य के लिए एक गम्भीर संकेत है।

आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने बुंदेलखंड के बारे में जैसी चर्चा की कि वहां कई ब्लॉकों में 300 से 400 फीट नीचे पानी चला गया है, उन क्षेत्रों को प्रशासन और शासन ने डार्क जोन घोषित कर दिया है। अब इंडिया मार्क टू हैंडपंप से पानी नहीं मिलता है। यह स्थिति पूर्वांचल में भी है, चाहे हमारा जनपद सिद्धार्थ नगर या बस्ती हो, ऐसे कई विकास खंडों को भी डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। अगर पानी का स्तर निरंतर गिर रहा है तो आने वाले दिनों में हमारे लिए पेयजल का संकट होगा। आप कल्पना कीजिए कि हम जिस अन्ना प्रथा की बात कर रहे हैं, जब लोग अपने लिए पानी और अन्न का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तब स्वाभाविक है कि वे अपने पशुओं के लिए कहां से पानी तथा चारे का इंतजाम करेंगे। इसी कारण बुंदेलखंड में पलायन की जो स्थिति थी, उसका भी जिक्र किया गया है। कोई भी मज़बूर होकर अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है। सभी अपने गांव में अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए बुढ़ापे के लाठी का सहारा बनना चाहते हैं। उनके लिए संभव नहीं है कि वे अपने बुजुर्ग माता-पिता को छोड़कर गांव से सुदूर अपने परिवार की रोजी- रोटी के लिए मेहनत और मशक्कत करें।

बुंदेलखंड की धरती बुंदेलों की धरती रही है और आप जानते हैं कि इस बुंदेलखंड की धरती का इतिहास रहा है। मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान का हृदय प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पन्ना, छत्तरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सागर, दमोह तथा भिंड जिलों की जो लहार है, ग्वालियर की भंडोर है या रायसेन, नरसिंहपुर, शिवुपर की पिछोड़, करेरा तहसील गुना की, मुंगावली, अशोक नगर, विदिशा, करबई, बासौदा, होशंगाबाद, सुहागपुर, जबलपुर और पाटन हैं, इन 13 जिलों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है, उसकी भी भौगोलिक पृष्ठभूमि वही है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भाषाई और सांस्कृतिक इकाई मानकर जो विभाजन हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश का जो बुदेलखंड है, उसमें झांसी, ललितपुर, जालोन, महोबा, बांदा, चित्रकूट तथा हमीरपुर हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का एक पठारी इलाका है। इस इलाके का जो नामकरण हुआ, एक रघुवंशी हेमकरन बुंदेला थे, उन्हीं के नाम से इस भूमि का नाम बुंदेलखंड हुआ। यह

वीर भूमि कही जाती थी। यहां पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने भी एक बार मधुकर पत्रिका में 15 मई, 1941 को लिखा था कि शांति निकेतन का भी जो प्राकृतिक सौन्दर्य है, वह बुदेलखंड की छटा के सामने पानी भरता है। आज जिस धरती से, महर्षि पराशर हों, वेद व्यास हों, कुम्भज हों, दनलक हों, लोमष हों, इन ऋषि-मुनियों की प्रगाढ़ स्थली रही है और पावन धरती रही है, वह तुलसीदास, केशवदास, भूषण, याज्ञनिक, बीरबल, लक्ष्मीबाई, छत्रसाल, हरदौल, आल्हा-ऊदल जैसी विभूतियों से जाना जाता है।

आज हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर स्वाभाविक रूप से वहां लोगों के समक्ष पानी का संकट है, पानी के संकट के नाते लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अन्ना प्रथा, जो एक गंभीर संकट हो गया है, जिसके बारे में कई लोगों ने चर्चा की। यह स्वाभाविक है कि आज इसकी चर्चा हो रही है । इस वीर भूमि की चर्चा होती थी उस बुंदेलखंड के लिए, उसमें महाराज छत्रसाल का शौर्य, पराक्रम और वीरता की बात होती थी।

“इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस

छत्रसाल सो लरंकी, रहूं न कहूं हौंस।"

इसका मतलब एक-एक बच्चा जानता है। जब आल्हा ऊदल की बात होती है या छत्रसाल की बात होती है, तो छत्रसाल की पराक्रम तथा वीरता के आगे कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था।

यह स्वाभाविक है कि आज इस संकल्प के माध्यम से हम सब लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। निश्चित तौर से हम चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, अभी जो चर्चा हो रही है, आने वाले दिनों में बुंदेलखंड में पानी की समस्या विकराल रूप धारण करने वाली है। हमारा उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या देश के वैस्ट बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट में सभी जगहों पर पानी का संकट हो रही है। इस संकट के कारण मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं प्रधान मंत्री की यह चिंता स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि यह समस्या कोई अचानक विद्यमान नहीं हुई है, बल्कि पानी का संकट वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा है।

मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बना कर एक निश्चय किया, संकल्प किया कि हम प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल, पीने का पानी देंगे। मैं समझता हूं

कि यह किसी पहली सरकार की इच्छा शक्ति है, जो देश के प्रत्येक घर में पेयजल पहुंचाने का संकल्प ले रही है। आज हम एक प्रस्ताव के माध्यम से एक क्षेत्र के संकट की बात कर रहे हैं।

सभापति जी, आप देख रहे होंगे कि भारत बहुत बड़ा देश है और विविधताओं से भरा पड़ा हुआ है। यूनिटी इन डायवर्सिटी है। मुझे लगता है कि भाषाई रूप से, क्षेत्रफल रूप से, भौगोलिक रूप से बहुत अंतर है। शायद यह पहली बार संकल्पना होगी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर हम पूरे क्षेत्र के लोगों को देखें, तो कठिनाइयां एक जैसी हो सकती हैं। उनकी भाषा अलग हो सकती है, जबान अलग हो सकती है, फूड हैबिट अलग हो सकती है, लेकिन आवश्यकताएं लोगों की वही हैं। चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश के तमाम आदिवासी इलाके हों, उन आदिवासी इलाकों के घरों तक जहां कभी कल्पना नहीं की होगी कि उन गांवों में बिजली का पोल पहुंचे। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि वर्ष 1947 की आजादी के इतने समय बाद कि हम घर में बिजली पहुंचाएंगे और सौभाग्य योजना के माध्यम से नि:शुल्क बिजली का कनेक्शन देंगे। मैं समझता हूं कि यह भी शायद पहली बार किसी सरकार की सोच थी। यह सोच क्या होगी? जिस क्षेत्रीय असंतुलन की बात कर रहा हूं या उस क्षेत्र के देश के उन आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में, देश के जो 115 ऐसे आकांक्षा जनपद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी 8 जनपद हैं। सिद्धार्थनगर हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो या देश के सभी राज्यों में ऐसे जनपद हैं। पहली बार नीति आयोग की ओर से प्रधान मंत्री के निर्देश पर जनपद चिह्नित किए गए। इन जनपदों में जो एक बेसिक पैरामीटर है - एजुकेशन का, हेल्थ का, इनफ्रास्ट्रक्चर का। आज भी आप कल्पना करिए कि इन 115 जनपदों में शायद बुनियादी शिक्षा का अभाव था। लोगों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए, बेसिक एलीमेंट्री एजुकेशन के लिए, माध्यमिक एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए तहसील स्तर पर जाना पड़ता था। आज उन गांवों में सभी को बुनियादी शिक्षा मिले। राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व में 6 से 14 साल की उम्र तक के लिए हमने यहीं कानून पास किया था, आप भी उसके साझीदार है। नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, सबको मुफ्त बुनियादी शिक्षा और कम्पल्सरी शिक्षा दिला सकें, उस दिशा में भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं। निश्चित तौर से हर सरकारों के समक्ष इस तरह की चर्चाएं बहुत रही होंगी। चाहे शिक्षा की बात हो या लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात हो, बुनियादी ढांचे की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, जब से यह सदन 1952 से है, इस सदन में जो भी

क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुनकर आते रहे हैं, उन्होंने अपनी जवाबदेही और कर्तव्य का निश्चित रूप से निर्वहन किया है।

देश की आजादी वर्ष 1947 में हुई। वर्ष 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार बनी । एक निश्चय किया गया, सबसे पहले निश्चय उन्होंने गांव का, घर का नहीं किया। पहले यह निश्चय किया कि देश के जो 18 हजार गांव बचे हुए हैं, चाहे वह नार्थ ईस्ट के गांव हों, सिद्धार्थ नगर के हों, मेरठ का गांव हो, किठौर हो, जिन गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची, ऐसे उन 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम योजना के माध्यम से पूरा करने का संकल्प लिया और पूरा किया। पहली बार हम पूरी दुनिया के सामने कह सकते हैं कि हमने देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने संकल्प लिया कि यह हमारा लक्ष्य नहीं था कि हम केवल गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। गांव में बिजली पहुंचाने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि हम हर घर को बिजली देंगे।

चाहे वह गरीबी रेखा के नीचे हो या ऊपर, शायद यह पहली बार होगा जब यह संकल्प किया गया, कोई किस कैटेगरी में है, सभी का हक बनता है। हम आज भी लालटेन या ढिबरी युग में न रहें, बल्कि सभी के बच्चों को बिजली या एलईडी के बल्ब में पढ़ने का मौका मिले। क्या हम कभी 'उज्ज्वला' की कल्पना कर सकते थे। झारखंड के आदिवासी इलाके में सड़क नहीं थी, जहां अस्पताल नहीं, जहां स्कूल नहीं। उनके घरों में ईधन के लिए जंगल से अपने परिवार के लिए पूरा- पूरा दिन लकड़ी चुन कर खाना बनाने में लग जाता था, महिलाओं का एक ही काम था।

आज बुंदेलखंड की महिलाओं के समक्ष अभी भी यही है। वे कहती हैं कि पानी लाने में उनका जीवन बीत जाता है, पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाती हैं और अपने घरों के लिए पेयजल का इंतजाम करती हैं। महिलाओं की हिम्मत और पुरुषार्थ है, महिलाएं घरों में शादी करके डोली में आती हैं और बुजुर्ग हो जाती हैं। आज जहां देश में लोगों के घरों में वॉटर सप्लाई है, घरों में टैप है और स्वच्छ पानी पी रहे हैं। क्या यह हक बुंदेलखंड के गांवों को नहीं है, यह हक पूर्वांचल या सिद्धार्थ नगर के गांवों का नहीं है?

आज इस पर चर्चा हो रही है। उससे पहले एक मंत्रालय भी बनाया। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की नीति और कार्यक्रमों का एक रोडमैप होता है। उसमें स्पष्ट रोडमैप दिया कि हर घर तक पेयजल को टैप के माध्यम से पहुंचाएंगे। आज यह एक अधिकार होगा और संतोष का विषय होगा,

लोग आत्मविश्वास के साथ कह सकेंगे। सरकार द्वारा कहा जाता था कि एक ग्रामीण भारत और एक शहरी भारत है, जो आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त हो और गांव में लोग अभाव में रहें। आज उस असंतुलन को दूर करने की दिशा में सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। सरकार ने निश्चित तौर से एक योजनाबद्ध ढंग से रूपरेखा बनाई है। उस रूपरेखा के बाद आज चाहे सौभाग्य योजना हो या आयुष्मान हो, आज उसकी भी चर्चा हुई। क्या हम कभी कल्पना कर सकते थे कि दस करोड़ परिवार, देश की लगभग आधी आबादी पचास करोड़ लोगों को अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो सरकार के एक्सचेकर से देश इम्पैनल्ड अस्पताल पांच लाख रुपये प्रति वर्ष तक इलाज करा सकते हैं, उस परिवार कि जिन्दगी या किसी की सुहाग की रक्षा के लिए, किसी बेटे की जिन्दगी की सलामती के लिए सरकार अपने राजकोष से पांच लाख रुपये देगी। यह दर्द और कल्पना उसी की हो सकती है, जिसने इन चीजों को करीब से देखा हो या भोगा हो। वह निश्चित रूप से यह समझता होगा कि यदि भारत माता ने उसे यह अवसर दिया है तो हम आने वाले दिनों में देश में किसी को भी पैसे के अभाव या दवा के अभाव में मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। इसके लिए मैं निश्चित रूप से सरकार को बधाई दूंगा। आज हम पेयजल संकट की बात करते हैं, उस संकट में कहीं न कहीं उन योजनाओं की बात होती हैं। आज चंदेल जी ने कहा, वहां पर पुराने राजाओं ने दस हजार तालाब बनवाए थे। आज लगातार पानी की कमी है या पानी नहीं हो रहा है, उसके कारण तालाब सूख जाते हैं। केन-बेतवा की लगातार बात उठ रही है, वह एक लाइफलाईन होगी। यह कल्पना अटल जी की सरकार की थी। सबसे बुनियादी चीज पानी था, उस पानी के लिए कहीं न कहीं यह सोच बनी। अगर एक जगह पानी नहीं है, हम उसको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स से जोड़ें। जैसे केन-बेतवा प्रोजेक्ट का जिक्र हो रहा है। पिछले दिनों इसी सदन में गडकरी जी ने कहा, चाहे मोटरवरेज की बात हुई या लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की बात हुई, उस संबंध में भी उन्होंने काफी चर्चा की थी। मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, वे नौजवान हैं। आज मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा। आज वॉटर मैनेजमेंट वक्त की जरूरत है। हम पानी की कमी की चर्चा करते हैं। आखिर जब बरसात के दिनों में मानसून आता है, मानसून आ रहा है, मान लीजिए मानसून आने में विलंब हो गया।

जब मानसून आएगा और बारिश शुरू होगी तो उस समय कम से 1475 किलोमीटर तक यानी उत्तराखंड के खटीमा से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता हुआ बिहार का रक्सौल, जो भारत और नेपाल की सीमा है, तक असर होता है। चाहे नेपाल की जलकुंडी, करनाली, बाढ़गंगा नदी हो या बिहार से

मिलती हुई कोसी नदी हो, जब बारिश शुरू होती है, नेपाल में जो भी रिज़र्वायर बना रखा है, वह भर जाता है, वह उस रिज़र्वायर को खोल देते हैं। इसके बाद आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह का जलप्लावन, किस तरह की बाढ़ की विभीषिका का सामना सिद्धार्थ नगर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और बिहार के कोसी नदी से मिले हुए जिले के लोग करते हैं।

माननीय मोदी जी की सरकार ने 1000 करोड़ रुपये बिहार को दिए, उत्तर प्रदेश के नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा दिया। हर साल बाढ़ नियत है, इसमें हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, लेकिन उस पानी का समुचित इस्तेमाल भी नहीं होता है। यह पानी नेपाल की फुटहिल्स में आता है, नेपाल के रिज़रवायर से, नेपाल की नदियों से पानी का वेग और प्रवाह आता है, उससे पूरे पूर्वी और पश्चिमी बिहार में बाढ़ की विभीषिका का सैलाब आता है। इससे बहुत जन-धन की क्षति होती है, घरों की क्षति होती है, लोग बह जाते हैं।

आपने देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी, उस समय बाढ़ आई थी। वह एक-एक जिले में गए थे। पहली बार उन्होंने प्रयास किया। किसानों की जो फसल की क्षति हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों की फसलों की क्षति के बारे में कहा जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था। पहले था कि अगर 50 प्रतिशत फसल की क्षति होगी तो सरकार मुआवजा देगी। माननीय मोदी जी का सरकार में आने के बाद सबसे पहला फोकस उनका किसानों पर था। किसानों के लिए उनके मन में दर्द था क्योंकि किसान अपनी जिंदगी की कमाई लगा देता है खाद और यूरिया के लिए पैसा उधार लेता है, उधार से पम्पिंग सैट से खेत की सिंचाई कराता है। प्रधान मंत्री सम्मान निधि का वही कन्सेप्ट है, वही सोच है। किसान को 1000-2000 रुपये की यूरिया खरीदनी होती है या किसी को सिंचाई के लिए ट्यूबवैल या पम्पिंग सैट का पैसा देना होता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने पैसे से सिंचाई कर सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के जीवन में बुनियादी गुणात्मक परिवर्तन किया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पानी से बहुत नुकसान होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने खराब फसलों की क्षतिपूर्ति हर जनपद में की। उन्होंने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपये कर्ज भी माफ किया। हर साल जो बाढ़ आती है, बाढ़ नियत रहेगी अगर उस पानी का मैनेजमेंट नहीं हुआ तो हर

साल जन-धन की हानि होगी, क्षति होगी। बहुत दिनों से कई बार चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ है। आप प्रयास करें, नेपाल सरकार से वार्ता करें ताकि भारत-नेपाल सरकार इन नदियों पर रिज़रवायर बनाए, बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए। यहां बहुत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकते हैं। आज भी हमारे देश में एक लाख मेगा वाट का पोटेंशियल है।

अब हम रिन्युअल एनर्जी पर जोर दे रहे हैं, थर्मल पावर, एनटीपीसी पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर कभी कोयले का स्टॉक खत्म होगा या कम होगा...

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय सभापति जी, कोरम नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप कोरम का विषय उठाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सामान्यत: यह प्राइवेट मैम्बर्स का समय रहता है, आप ही का विषय है। क्या आप इसके बाद भी कोरम का विषय उठाना चाहते हैं, तो उठा सकते हैं। यह आपका अधिकार है। उसके बाद जो परिणाम होगा फिर वही होगा।

श्री भगवंत मान: अभी 10-15 माननीय सदस्य सुन रहे हैं, तो क्या कोरम पूरा हो गया?...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: सभापति महोदय, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं। इधर वाले लोग कहां गए, कांग्रेस के लोग कहां हैं, टी.एम.सी. के लोग कहां हैं? मैं यह कह रहा हूं कि क्या कोरम पूरा है, क्या हमें वेट करना चाहिए? वे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं उनके बोलने पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं।

माननीय सभापति: घंटी बजाई जा रही है--

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)... *

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, सभा में गणपूर्ति नहीं है। इसलिए अब सभा सोमवार, 1 जुलाई, 2019 को पूर्वाह्न 1100 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 5.56 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 1 जुलाई, 2019 / 10 आषाढ़, 1941 (शक) के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित